©

भारत सरकार
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS

सत्यमेव जयते

विधिक दस्तावेजों
के
मानक प्ररूप

STANDARD FORMS
OF
LEGAL DOCUMENTS

जिल्द III
Vol. III

1983
राजभाषा खण्ड
OFFICIAL LANGUAGES WING

विधिक दस्तावेजों के मानक प्ररूप (जिल्द III) का शुद्धि-पत्र
Corrigenda of the Standard Forms of Legal Documents (Vol. III)

पृष्ठ सं० Page No.	खण्ड Clause	पंक्ति Line	के स्थान पर For	पढ़ें Read
1	1	1	P.W.D.-8	C.P.W.D.-8
1	2क	2	उपलब्ध कराया जाएगा।	उपलब्ध कराया जाएगा। स्थल की उपलब्धता की जांच कार्यपालक इंजीनियर द्वारा की जानी चाहिए और तदनुसार शर्त लगाई जानी चाहिए।
3	22	5	समपह्लत	समपहृत
9	2(घ)	1	भारत से	भारत के
10	2	7 और 20	अवीक्षणा	अधीक्षण
14	7	9	लिटव	लिटल
15	10	14	या आ समाप्त	या समाप्त
16	10C	31	oder	order
22	18	3	सावत्रों	साधित्रों
23	19	5	इस अपेक्षा	यदि इस अपेक्षा
28	19-ञ	2	भवस	भवन
29	25	1	जह्नां	जहां
31	27	2	निश्चयाक	निश्चायक
36	36	16	उक्त रकम	उस रकम
37	36	3	उक्त रकाम	उस रकम
38	42(ii)	5	सीमें	सीमेंट
40	47	4	शर्त्रों	शर्तों
47	6(vi)(क)	2	साफ-सुधरी	साफ-सुथरी
48	7	3	metrers	metres
49	9(5)	1	दुर्मेद्य	दुर्भेद्य
49	9(7)	1	ढेकी	ढकी
49	13 (ii)	1	दुभेद्य	दुर्भेद्य
50	12	4	जो यह	जो वह
51	2(ग)(iii)	1	द्वार	द्वारा
55	10	5	Depatment	Department
60	—	2	(मुख भाग)	(सामने का भाग)
65	शीर्षक	1	धिरोपित	अधिरोपित

1 M of/Law/80

प्राक्कथन

विधिक दस्तावेजों के मानक प्ररूप नामक संकलन की यह तीसरी जिल्द है। इस प्रकाशन की पहली जिल्द और दूसरी जिल्द क्रमशः जून, 1978 और जून, 1979 में प्रकाशित हुई थी जिसका अच्छा स्वागत हुआ है। सरकारी कार्यालयों में सामान्यतया प्रयोग में आने वाली दो विधिक दस्तावेजों के हिन्दी मानक प्ररूप और तैयार किए गए हैं और उनके अंग्रेजी पाठ के साथ उनका संकलन इस जिल्द में किया गया है।

आशा है यह संकलन भी सभी मंत्रालयों विभागों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस संबंध में आपके सुझावों का स्वागत है।

कृपया इस पते पर पत्र-व्यवहार करें :—

संयुक्त सचिव और प्रारूपकार,
राजभाषा खंड,
विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय,
भगवान दास मार्ग,
नई दिल्ली–110001.

ह० वेंकट सूर्य पेरिशास्त्री,
सचिव, विधायी विभाग।

नई दिल्ली;
1 जनवरी, 1983

1—1 M of Law ND/80

विषय सूची

		पृष्ठ संख्यांक
1.	निविदा आमंत्रण सूचना (के०लो०नि०वि०--6)	1
2.	संकर्मों के लिए प्रतिशत दर निविदा और संविदा (के०लो०नि०वि०--7)	5

कार्य का नाम :

के०लो०नि०वि०-6

भारत सरकार

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

मंडल

उप-मंडल

निविदा आमंत्रण सूचना

(के०लो०नि०वि० संहिता पैरा 94-95)

1. भारत के राष्ट्रपति की ओर से, ... कार्य के लिए निविदाएं विहित प्ररूप के० लो० नि० वि०-8 (आठ) में आमंत्रित की जाती हैं। इस कार्य की अनुमानित लागत.................रु० है।

2. निविदाओं के छपे हुए प्ररूप जिसमें विस्तृत नक्शे, पूरे विनिर्देश, विभिन्न वर्ग के उन कार्यों के, जो किए जाने हैं, परिमाणों की अनुसूची और संविदा की उन शर्तों का, जिनका अनुपालन उस व्यक्ति को करना है जिसकी निविदा स्वीकार की जाए, सेट भी सम्मिलित है, रविवारों और सार्वजनिक अवकाश दिनों को छोड़कर प्रतिदिन 11 बजे पूर्वाह्न और 4 बजे अपराह्न के बीच ....रुपए का नकद भुगतान करके मंडल कार्यालय से प्राप्त किए जा सकते हैं।

2क. कार्य के लिए स्थल उपलब्ध है/या कार्य के लिए स्थल आगे विनिर्दिष्ट रूप में भागतः उपलब्ध कराया जाएगा।

3. निविदाएं सदैव मोहरबंद लिफाफे में रखी जानी चाहिए और उन लिफाफों पर कार्य का नाम लिखा जाना चाहिए। वे...................मंडल के मंडल अधिकारी द्वारा तारीख......................तक प्राप्त की जाएंगी और वह उन्हें अपने कार्यालय में उसी दिन ....बजे खोलेगा।

4. कार्य पूरा करने के लिए अनुज्ञात समय, कार्य आरंभ करने के लिखित आदेशों की तारीख के पश्चात् पन्द्रहवें दिन से ....का होगा।

5. ठेकेदारों को चाहिए कि वे उस दर और रकम को जिस के लिए उन्होंने निविदा दी है, अंकों में और शब्दों में लिखें। प्रत्येक मद के लिए रकम हिसाब लगाकर लिखी जानी चाहिए और आवश्यक जोड़ लिख दिया जाना चाहिए।

6. जब कोई ठेकेदार किसी निविदा पर किसी भारतीय भाषा में हस्ताक्षर करता है तब के० लो० नि० वि० प्ररूप सं० 8 और 12 की दशा में, निविदत्त कुल रकम भी उसी भाषा में लिखी जानी चाहिए। यदि ठेकेदार निरक्षर है तो निविदत्त दरें और रकमें किसी साक्षी द्वारा अनुप्रमाणित होनी चाहिए।

7. निविदा प्ररूप का जारी किया जाना, निविदाएं खोले जाने के लिए नियत तारीख से दो दिन पहले बन्द कर दिया जाएगा।

8. प्रत्येक निविदा के साथ रसीदी खजाना-चालान या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्याभूत किसी अनुसूचित बैंक की मांग जमा रसीद के रूप में............रु० का अग्रिम धन (यदि छूट न मिली हो तो) अवश्य होना चाहिए तथा प्रत्येक निविदा मोहरबंद लिफाफे में होनी चाहिए जिस पर ऊपर ही "................के लिए निविदा" लिखा होना चाहिए और वह लिफाफा.........मंडल के मंडल/उप-मंडल अधिकारी को सम्बोधित होना चाहिए।

9. उस ठेकेदार से, जिसकी निविदा स्वीकार की जाती है, (यदि उसे छूट प्राप्त न हो) यह अपेक्षा की जाएगी कि वह अपनी संविदा की सम्यक् रूप से पूर्ति के लिए प्रतिभूति निक्षेप के रूप में इतनी राशि दे जो :

(i) 1,00,000 रुपए तक की लागत के संकर्मों की दशा में, उस कार्य की जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गई है, अनुमानित लागत के 10% के बराबर होगी;

(ii) 1,00,000 रुपए से अधिक किन्तु 2,00,000 रुपए या इससे कम की लागत के संकर्मों की दशा में, प्रथम 1,00,000 रुपयों पर 10% और शेष पर $7\frac{1}{2}$% के बराबर होगी और

(iii) 2,00,000 रुपयों से अधिक की लागत के संकर्मों की दशा में, प्रथम 1,00,000 रुपयों पर 10%, अगले 1,00,000 रुपयों पर $7\frac{1}{2}$% और शेष पर 5% के बराबर होगी किन्तु यह राशि 1,00,000 रु० से अधिक नहीं होगी।

प्रतिभूति निक्षेप की वसूली ठेकेदार के चालू बिलों में से ऊपर बताई दरों से कटौती करके की जाएगी और यदि निविदा देते समय अग्रिम धन नकद जमा किया गया है तो उसे प्रतिभूति निक्षेप का भाग समझा जाएगा। प्रतिभूति की रकम नकद या सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में भी स्वीकार की जाएगी। अनुसूचित बैंकों या भारतीय स्टेट बैंक की सावधि जमा रसीद और प्रत्याभूति बंधपत्र भी इस प्रयोजन के लिए स्वीकार किए जाएंगे, परन्तु ऐसा तब किया जाएगा जब भारतीय रिजर्व बैंक से उनकी पुष्टि की सूचना प्राप्त हो जाएगी।

10. किसी निविदा को स्वीकार करने का अधिकार .... इंजीनियर को है और यह इंजीनियर स्वयं को इस बात से आबद्ध नहीं करता है कि वह निम्नतम निविदा को स्वीकार करेगा। वह प्राप्त हुई निविदाओं में से किसी को या सभी को कोई कारण बताए बिना, अस्वीकार करने का प्राधिकार अपने पास आरक्षित रखता है। ऐसी सभी निविदाएं अस्वीकृत की जा सकेंगी जिनमें विहित शर्तों में से किसी शर्त की पूर्ति नहीं हुई है या जो किसी भी दृष्टि से अपूर्ण है।

11. निविदाओं के संबंध में संयाचना करने की सख्त मनाही है और वे निविदाएं अस्वीकार की जा सकेंगी जो ऐसे ठेकेदारों ने प्रस्तुत की है जो संयाचना करते हैं।

12. सभी दरें निविदा के उचित प्ररूप में ही कोट की जाएंगी।

13. वह सद दर निविदा संक्षेपतः नामंजूर कर दी जाएगी जिसमें कम या अधिक प्रतिशतता दी हुई होगी। किन्तु यदि कोई निविदाकार, नियत अवधि के भीतर संदाय के लिए किसी रिबेट की प्रस्थापना करता है तो उस पर विचार किया जा सकता है।

14. निविदा स्वीकार कर लिए जाने पर, ठेकेदार के प्रस्थापित प्रतिनिधि (प्रतिनिधियों) का नाम जो भारसाधक इंजीनियर से अनुदेश प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होगा/होंगे, भारसाधक इंजीनियर को सूचित कर दिया जाएगा।

15. इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि दरें, अंकों और शब्दों में तथा रकमें केवल अंकों में इस प्रकार लिखी जाएं कि उसमें बढ़ाकर कुछ और लिखना संभव न हो। कुल रकम अंकों और शब्दों में, दोनों में, लिखी जानी चाहिए। अंकों के मामले में 'रु०' शब्द रुपए के अंकों के पहले और पै० शब्द दशमलव अंकों के बाद लिखा जाना चाहिए, उदाहरण के लिए 'रु० 2.15 पै०' और शब्दों के मामले में 'रुपए' शब्द आरम्भ में और 'पैसे' शब्द अंत में लिखे जाने चाहिए। यदि दर पूरे रुपयों में न हो और उसके बाद 'मात्र' शब्द न लिखा हो, तो वह अनिवार्य रूप से दो दशमलव अंकों तक होनी चाहिए। परिमाण अनुसूची में दर कोट करते समय 'मात्र' शब्द रकम के बाद उससे मिलाकर लिखा जाना चाहिए और यह दूसरी पंक्ति में नहीं लिखा जाना चाहिए।

16. भारत के राष्ट्रपति न्यूनतम या कोई निविदा स्वीकार करने के लिए अपने आप को आबद्ध नहीं करते हैं और पूरी निविदा या उसका कोई भी भाग स्वीकार करने का अधिकार अपने लिए आरक्षित रखते हैं और निविदाकार कोट की हुई दर पर उसका पालन करने के लिए आबद्ध होगा।

17. इस संविदा के सम्बन्ध में सामग्री पर विक्रय-कर या अन्य कोई कर ठेकेदार द्वारा देय होगा और सरकार इस संबंध में कोई भी दावा स्वीकार नहीं करेगी।

18. ठेकेदार को निविदा संबंधी कागजपत्रों का विक्रय तभी किया जाएगा जब कि वह संशोधित प्ररूप में आय-कर समाशोधन प्रमाणपत्र पेश कर देगा।

19. ठेकेदार को केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उस सर्किल में (जो संविदाएं करने और उनके निष्पादन के लिए उत्तरदायी है) संकर्मों के लिए निविदा देने की अनुज्ञा नहीं होगी जिसमें उसका (ठेकेदार का) नजदीकी रिश्तेदार मंडल लेखाकार के रूप में या अधीक्षण इंजीनियर और सहायक इंजीनियर की श्रेणियों (जिनमें ये दोनों श्रेणियां भी सम्मिलित हैं) के बीच की किसी हैसियत के अधिकारी के रूप में नियुक्त है। वह उन व्यक्तियों के नाम भी सूचित करेगा जो उसके साथ किसी भी हैसियत में काम कर रहे हैं या बाद में उसके द्वारा काम पर लगाए जाएं तथा जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के या निर्माण और आवास मंत्रालय के किसी राजपत्रित अधिकारी के नजदीकी रिश्तेदार हैं। यदि ठेकेदार इस शर्त का कोई भंग करेगा तो उसका नाम इस विभाग की ठेकेदारों की अनुमोदित सूची में से हटाया जा सकेगा।

20. ठेकेदार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उन अराजपत्रित अधिकारियों की सूची देगा जो उसके रिश्तेदार हैं।

21. भारत सरकार के किसी इंजीनियरी विभाग में इंजीनियरी या प्रशासनिक कार्यों में लगे हुए राजपत्रित रैंक के किसी इंजीनियर को या किसी अन्य राजपत्रित अधिकारी को सरकारी सेवा से निवृत्त होने पर दो वर्ष तक, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना ठेकेदार की हैसियत में काम करने की अनुज्ञा नहीं है। यदि किसी समय यह पाया जाए कि ठेकेदार या उसका कोई कर्मचारी ऐसा व्यक्ति है जिसने निविदा देने से पहले या ठेकेदार की सेवा में लगने से पहले भारत सरकार से उक्त अनुमति नहीं ली थी, तो यह संविदा रद्द की जा सकेगी।

22. संकर्मों के लिए निविदा, निविदाओं के खोले जाने की तारीख से नब्बे दिन की अवधि तक स्वीकृत की जा सकेगी। यदि कोई निविदाकार उक्त अवधि के पहले अपनी निविदा वापस ले लेता है या निविदा की शर्तों और निबंधनों में कोई ऐसे संशोधन करता है जो विभाग को स्वीकार्य नहीं हैं, तो सरकार, किसी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त अग्रिम धन का 10% पूर्णतया समपहृत कर सकेगी।

23. जिन ठेकेदारों को किन्हीं विशेष मामलों में अग्रिम धन/प्रतिभूति-निक्षेप के संदाय से छूट प्राप्त है उन्हें महानिदेशक (संकर्म) के उस पत्र की अनुप्रमाणित प्रतिलिपि निविदा के साथ लगानी चाहिए जिसमें उन्हें अग्रिम धन/अग्रिम धन और प्रतिभूति निक्षेप के संदाय से छूट दी गई है और जब कभी उसकी मूल प्रति मांगी जाए तब पेश करनी चाहिए।

24. कार्य की निविदा में कोई ऐसा ठेकेदार या ऐसे ठेकेदार साक्षी नहीं होंगे जिसने/जिन्होंने स्वयं उसी कार्य के लिए निविदा दी हो या जो उसी कार्य के लिए निविदा दे सकते हों और दे दी हो। इस शर्त का पालन न करने पर निविदा देने वाले और निविदा के साक्षी होने वाले ठेकेदारों की निविदाएं संक्षेपतः नामंजूर की जा सकेंगी।

25. संयुक्त कार्य के लिए निविदा में निर्माण कार्य, स्वच्छता तथा जल प्रदाय और जल निकास संस्थापन, विद्युत संकर्म और उद्यान कृषि संकर्म सम्मिलित हैं।

26. निविदाकार के लिए यह आवश्यक है कि वह, इस बात के होते हुए कि वह वर्ग I (भवन और मार्ग) का ठेकेदार है, स्वयं को उपयुक्त वर्ग के उन अभिकरणों में सहयुक्त कर ले जो स्वच्छता और जल प्रदाय संस्थापनों के लिए निविदा देने के पात्र हैं।

27. ठेकेदार उन कार्यों की, जो उसके हाथ में (चालू हालत में) है, सूची निम्नलिखित प्ररूप में पेश करेगा:

कार्य का नाम	मंडल का नाम और विवरण जहां कार्य किया जा रहा है	कार्य की रकम	चालू संकर्मों की स्थिति	टिप्पणियां
1	2	3	4	5

28. ठेकेदारों द्वारा मद दर निविदा में कोट की गई दरें अंकों और शब्दों में इस प्रकार सही-सही भरी जाएंगी कि अंकों में और शब्दों में लिखी दरों में कोई फर्क न हो किन्तु यदि कोई फर्क पाया जाता है तो वे दरें सही मानी जाएंगी जो ठेकेदार द्वारा हिसाब लगाई गई रकम के समरूप है।

29. यदि ठेकेदार ने किसी मद की रकम का हिसाब नहीं लगाया है या वह रकम अंकों में या शब्दों में लिखी दर के समरूप नहीं है तो ठेकेदार द्वारा शब्दों में कोट की गई दर सही मानी जाएगी।

30. जहां ठेकेदार द्वारा अंकों में और शब्दों में कोट की गई दर एक ही है किन्तु रकम का हिसाब ठीक नहीं लगाया गया है वहां ठेकेदार द्वारा कोट की गई दर को सही माना जाएगा रकम को नहीं।

.... मंडल के मंडल अधिकारी/उप-मंडल के उप-मंडल अधिकारी के हस्ताक्षर
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

के०लो०नि०वि०-7

भारत सरकार

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग

राज्य / शाखा	मण्डल / उप-मण्डल

संकर्मों के लिए प्रतिशत दर निविदा और संविदा

(केन्द्रीय लो०नि०वि० संहिता, पेरा 95)

साधारण नियम और निदेश

1. ऐसे सभी संकर्मों की, जिनका निष्पादन ठेकेदार से कराने का प्रस्ताव है, सूचना निविदा के लिए आमंत्रण के प्ररूप में दी जाएगी जो सार्वजनिक स्थानों पर लगाई जाएगी और उस पर उप-मण्डल अधिकारी/मण्डल अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे।

इस प्ररूप में, किए जाने वाले कार्य के विवरण के अतिरिक्त, निविदाओं को प्रस्तुत करने और उनके खोले जाने की तारीख का, और कार्य किए जाने के लिए अनुज्ञात समय का तथा निविदा के साथ जमा किए जाने वाले अग्रिम धन की रकम का और सफल निविदाकार के बिलों में से जिस प्रतिशत से प्रतिभूतिनिक्षेप की कटौती की जाएगी उसका भी विवरण होगा। पहचान के प्रयोजन के लिए उप-मंडल अधिकारी/मंडल अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित विनिर्देशों, डिजाइनों और आरेखनों की प्रतियां और विभिन्न वर्णन के कार्यों के परिमाण और उनकी दरों की अनुसूची तथा कार्य के संबंध में अपेक्षित कोई अन्य दस्तावेजें भी उप-मंडल अधिकारी/मंडल अधिकारी के कार्यालय में कार्यालय समय के दौरान ठेकेदार द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी।

2. यदि निविदा किसी फर्म द्वारा दी जाती है तो उस पर उस फर्म के हर एक भागीदार के अलग-अलग हस्ताक्षर या यदि कोई भागीदार अनुपस्थित है तो उसकी ओर से किसी ऐसे व्यक्ति के हस्ताक्षर होने चाहिए जिसके पास उसे ऐसा करने के लिए प्राधिकृत करने वाला मुख्तारनामा है ऐसा मुख्तारनामा निविदा के साथ पेश किया जाएगा और उसमें यह प्रकट होना चाहिए कि फर्म भारतीय भागीदारी अधिनियम के अधीन सम्यक् रूप से रजिस्ट्रीकृत है।

3. किसी फर्म द्वारा निष्पादित कार्य के बारे में किए गए संदायों की पावतियों पर भी अलग-अलग भागीदारों के हस्ताक्षर होने चाहिए किन्तु जहां ठेकेदार अपनी निविदा में फर्म के रूप में वर्णित है, वहां पावतियां किसी एक भागीदार द्वारा या फर्म के लिए प्रभावी पावतियां देने का प्राधिकार रखने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा फर्म के नाम में हस्ताक्षरित की जानी चाहिए।

4. वह व्यक्ति जो निविदा देता है, ऐसा मुद्रित प्ररूप भरेगा जो प्रायः इस प्रयोजन के लिए होता है। उसमें वह बताएगा कि वह नियम 1 में विनिर्दिष्ट प्राक्कलित दरों से कितने प्रतिशत अधिक या कम पर कार्य को लेने के लिए रजामन्द है। सभी प्राक्कलित दरों/अनुसूचित दरों से अधिक या कम प्रतिशतता की केवल एक दर लिखी जाएगी। वे निविदाएं, जो निविदा के लिए आमंत्रण के उक्त प्ररूप में विनिर्दिष्ट कार्य में, या कार्य करने के लिए अनुज्ञात समय में किसी परिवर्तन की प्रस्थापना करती हैं या जिनमें किसी प्रकार की कोई अन्य शर्तें हैं, अस्वीकार की जा सकती हैं। किसी एक निविदा के अन्तर्गत एक से अधिक कार्य नहीं होंगे किन्तु जो ठेकेदार दो या अधिक कार्यों के लिए निविदा देना चाहते हैं, वे हर एक के लिए पृथक् निविदा देंगे। लिफाफे के ऊपर निविदाओं से संबंधित कार्य का नाम और उनका संख्यांक लिखा होगा।

4क. दर (दरें) और/या रकम (रकमें) दाशमिक सिक्का प्रणाली में कोट की जानी चाहिए।

5. उप-मंडल अधिकारी/मंडल अधिकारी या उसका सम्यक् रूप से प्राधिकृत सहायक निविदाओं को उन इच्छुक ठेकेदारों की उपस्थिति में खोलेगा जो उस समय वहां उपस्थित हों और अलग-अलग निविदाओं की रकम उपयुक्त प्ररूप में एक तुलनात्मक विवरण में दर्ज

करेगा। किसी निविदा के स्वीकार किए जाने की दशा में उसके साथ भेजे गए अग्रिम धन की पावती ठेकेदार को दे दी जाएगी जो नियम 1 में उल्लिखित विनिर्देशों और अन्य दस्तावेजों की प्रतियों पर पहचान के प्रयोजन के लिए हस्ताक्षर करेगा। किसी निविदा के अस्वीकार किए जाने की दशा में, ऐसी अस्वीकृत निविदा के साथ भेजा गया अग्रिम धन उसको भेजने वाले ठेकेदार को वापस कर दिया जाएगा।

6. निविदाएं आमंत्रित करने वाले अधिकारी को सभी निविदाओं या उनमें से किन्हीं को अस्वीकार करने का अधिकार होगा, और वह निम्नतम निविदा को स्वीकार करने के लिए आबद्ध नहीं होगा।

7. ठेकेदार द्वारा संदत्त किसी धन के लिए लेखाकार या लिपिक की पावती उप-मंडल अधिकारी/मंडल अधिकारी को संदाय की अभिस्वीकृति नहीं मानी जाएगी, और उप-मंडल अधिकारी/मंडल अधिकारी या सम्यक् रूप से प्राधिकृत रोकड़िया द्वारा हस्ताक्षरित पावती प्राप्त करने की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

8. जिस कार्य के लिए निविदा दी गई है उसका ज्ञापन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदाय की जाने वाली सामग्री की अनुसूची और/उनकी निर्गम दरें निविदा प्ररूप जारी करने के पूर्व उप-मंडल अधिकारी/मंडल अधिकारी के कार्यालय में पूरी तौर से भरी जाएंगी। यदि इस प्रकार पूरी तौर से प्रविष्टियां किए बिना प्ररूप किसी इच्छुक निविदाकार को जारी कर दिया जाता है तो वह अपनी निविदा पूरी करने और उसका परिदान करने के पूर्व कार्यालय से ऐसा करवा लेने के लिए निवेदन करेगा।

9. निविदाकार कार्य से संबंधित निविदा की दस्तावेजों, आरेखनों या अन्य अभिलेखों की, जो उन्हें दिए गए हैं, गोपनीयता बनाए रखने के लिए शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अधीन घोषणा पर हस्ताक्षर करेंगे। असफल निविदाकार उन्हें दिए गए सभी आरेखन लौटा देंगे।

घोषणा

मैं/हम इसके द्वारा घोषित करता हूं/करते हैं कि मैं/हम कार्य से संबंधित निविदा की दस्तावेजों, आरेखनों और अन्य अभिलेखों को गोपनीय दस्तावेज मानूंगा/मानेंगे तथा उनसे प्राप्त जानकारी उस व्यक्ति से, जिसे वह जानकारी देने के लिए मैं/हम प्राधिकृत हूं/हैं, भिन्न किसी व्यक्ति को नहीं दूंगा/देंगे और न उस जानकारी का ऐसी रीति में उपयोग करूंगा/करेंगे जो राज्य की सुरक्षा के प्रतिकूल है।

ठेकेदार

कार्यों के लिए प्रतिशत दर निविदा

मैं/हम आगे लिखे ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्य का भारत के राष्ट्रपति के लिए निष्पादन उस ज्ञापन में विनिर्दिष्ट समय के अन्दर . . . . *रु० (. . . . . रुपए) की रकम पर अर्थात् नियम 1 में वर्णित अनुसूची में दर्ज दरों से . . . . प्रतिशत कम/अधिक पर और सभी प्रकार से इसके नियम 1 में तथा ठेके की शर्तों के खंड 11 में विनिर्दिष्ट विनिर्देशों, डिजाइनों, आरेखनों और लिखित अनुदेशों के अनुरूप तथा ऐसी सामग्री से, जो उपलब्ध की जाए, और सभी बातों में इन शर्तों के, जहां तक वे लागू हैं, अनुसार करने के लिए इसके द्वारा निविदा करता हूं/करते हैं। मैं/हम इसके द्वारा करार करता हूं/करते हैं कि ऊपर वर्णित प्रतिशतता किए गए कार्य के बिलों की कुल रकम में से काट ली जाए या उसमें जोड़ दी जाए। *अंकों एवं शब्दों में

ज्ञापन :

(क) साधारण वर्णन

(ख) प्राक्कलित लागत . . . . रु० . . . .

(i) भवन-निर्माण कार्य . . . . रु० . . . .

(ii) स्वच्छता संस्थापन, जल-प्रदाय और जल-निकास . रु० . . . .

(iii) विद्यमान संरचनाओं को ढा देना . . . रु० . . . .

योग . . रु० . . . .

(ग) अग्रिम धन . . . . रु० . . . .

(घ) प्रतिभूति निक्षेप . . . . रु०. . . . .

(i) 1 लाख रु० तक की लागत के कार्य की दशा में, उस कार्य की जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गई है, प्राक्कलित लागत का 10 प्रतिशत;

(ii) 1 लाख रु० से अधिक और 2 लाख रु० तक की लागत के कार्य की दशा में, प्रथम 1 लाख रु० पर 10 प्रतिशत और शेष पर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत; और

(iii) 2 लाख रु० से अधिक की लागत के कार्यों की दशा में, प्रथम 1 लाख रु० पर 10 प्रतिशत, उससे अगले 1 लाख रु० पर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत और शेष पर 5 प्रतिशत किन्तु अधिकतम रकम केवल 1 लाख रु० होगी।

प्रतिभूति निक्षेप ठेकेदारों के चालू बिलों में से ऊपर वर्णित दरों पर कटौती करके वसूल किया जाएगा और यदि अग्रिम धन निविदा के समय नकद निक्षिप्त किया गया है तो उसे प्रतिभूति निक्षेप का भाग माना जाएगा। प्रतिभूति निक्षेप नकद या सरकारी प्रतिभूतियों और अनुसूचित बैंकों तथा भारतीय स्टेट बैंक की सावधि निक्षेप पावतियों और प्रत्याभूति बंध-पत्रों के रूप में भी स्वीकार किया जाएगा।

(ङ) कार्य प्रारम्भ करने के लिए लिखित आदेश की तारीख के पश्चात् 15वें दिन से कार्य के लिए अनुज्ञात समय. . . . . .मास है।

यदि यह निविदा पूर्णतः या भागतः स्वीकार कर ली जाती है तो मैं/हम (i) इससे उपाबद्ध उक्त शर्तों के सभी निबंधनों और उपबंधों तथा निविदा आमंत्रण की सूचना में अन्तर्विष्ट सभी निबंधनों और उपबंधों के, वहां तक, जहां तक वे लागू हों, अनुपालन और पूरा करने और/या उसमें व्यतिक्रम की दशा में उक्त शर्तों में वर्णित धनराशि के भारत के राष्ट्रपति या उनके पदोत्तरवर्ती के पक्ष में समपहृत और संदाय करने का करार करता हूं/करते हैं। अग्रिम धन के रूप में. . . . . . रु० की राशि खजाना चालान/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रत्याभूत किसी अनुसूचित बैंक की मांग पर जमा रसीद के रूप में इसके साथ भेजी जा रही है। यदि मैं/हम उपर्युक्त ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्य प्रारम्भ करने में असफल रहूं/रहें तो मैं/हम इस बात के लिए करार करता हूं/करते है कि उक्त राष्ट्रपति या उनके पदोत्तरवर्ती, किसी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त अग्रिम धन को पूर्ण रूप से समपहृत करने के लिए स्वतंत्र होंगे, अन्यथा उक्त अग्रिम धन उपरिवर्णित ज्ञापन के खण्ड (घ) के सामने उल्लिखित प्रतिभूति निक्षेप के मद्धे उनके द्वारा प्रतिधारित रखा जाएगा; (ii) निविदा दस्तावेजों में निर्दिष्ट सभी कार्यों को उन दस्तावेजों में अन्तर्विष्ट या निर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों पर निष्पादित करने और निविदा दस्तावेजों में कोट की गई दरों पर अधिकतम . . . . प्रतिशत तक विचलन (जिन्हें इसमें आगे निविदत्त रकम की विचलन सीमा कहा गया है), जिनके लिए आदेश किया जाए और उस सीमा से अधिक विचलन उन दरों पर, जो निविदा प्ररूप के खण्ड 12क में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार अवधारित की जाएं, करने का करार करता हूं/करते हैं।

अग्रिम धन के संदाय से छूट

मैं/हम भारत के राष्ट्रपति को अग्रिम धन के बदले में प्रतिभूति दे चुका हूं/दे चुके हैं और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, नई दिल्ली के महानिदेशक (संकर्म) के पास अलग-अलग मामलों में 5,000 रु०/7,500 रु०/10,000 रु०/20,000 रु० की एकमुश्त प्रतिभूति अग्रिम धन के रूप में निक्षिप्त कर चुका हूं/चुके हैं, अतः मैं/हम कार्य की उक्त निविदा की बाबत अग्रिम धन निक्षिप्त करने की आवश्यकता के संबंध में, मेरे/हमारे द्वारा निष्पादित बंध-पत्र संख्यांक . . . . .तारीख . . . . . . 19. . . . . . .के निबंधनों के अनुसार छूट का दावा करता हूं/करते हैं।

मैं/हम यह करार करता हूं/करते हैं कि यदि मैं/हम उक्त ज्ञापन में विनिर्दिष्ट कार्य को प्रारंभ करने में असफल रहूंगा/रहेंगे तो निविदा आमंत्रण के प्ररूप में उल्लिखित अग्रिम धन की रकम के बराबर रकम भारत के राष्ट्रपति को पूर्ण रूप से समपहृत हो जाएगी और भारत के राष्ट्रपति के विकल्प पर, बन्धपत्र के निबंधनों के अनुसार, निक्षेप की मात्रा तक निक्षेप में से और कम पड़ने की दशा में, मुझे/हमें शोध्य किसी अन्य धनराशि में से या अन्यथा वसूल की जा सकेगी।

तारीख........19....... *हस्ताक्षर

†साक्षी

पता

उपजीविका

मैं (अधिकारी का पदनाम) .... भारत के राष्ट्रपति की ओर से .... रु० (केवल ....रुपए) की राशि के लिए उक्त निविदा को स्वीकार करता हूं।

तारीख........19...... ‡हस्ताक्षर

---

*निविदा देने के पूर्व ठेकेदार के हस्ताक्षर।

†ठेकेदार के हस्ताक्षर के साक्षी के हस्ताक्षर।

‡निविदा स्वीकार करने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर।

संविदा की शर्तें

परिभाषाएं :

(1) 'संविदा' से निविदा और उसकी स्वीकृति तथा भारत के राष्ट्रपति और ठेकेदार के बीच निष्पादित प्ररूपिक करार की दस्तावेजें और उसके साथ उसमें निर्दिष्ट दस्तावेजें अभिप्रेत हैं जिनके अन्तर्गत ये शर्तें, विनिर्देश, डिजाइनें, आरेखन और भारसाधक इंजीनियर द्वारा समय-समय पर दिए गए अनुदेश भी हैं, और इन सभी दस्तावेजों से मिलकर एक संविदा गठित होगी और वे एक दूसरे की पूरक होंगी।

(2) संविदा में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित नहीं है, निम्नलिखित पदों का वही अर्थ होगा जो इसमें है :

(क) "संकर्म" या "कार्य" पद का अर्थ, जब तक विषय या संदर्भ में ऐसे अर्थ के विरुद्ध कोई बात नहीं है, यह लगाया और माना जाएगा कि वह की गई संविदा के अनुसार या आधार पर किया जाने वाला संकर्म है चाहे वह अस्थायी या स्थायी है और चाहे वह मूल, परिवर्तित, प्रतिस्थापित या अतिरिक्त है।

(ख) "स्थल" से अभिप्रेत है वह भूमि और/या अन्य स्थान जिस पर, जिसमें या जिसमें से होकर कार्य का संविदा के अधीन निष्पादन किया जाना है या कोई पार्श्वस्थ भूमि, पथ या मार्ग जिससे होकर कार्य का संविदा के अधीन निष्पादन किया जाना है या ऐसी पार्श्वस्थ भूमि, पथ या मार्ग जो संविदा को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए आबंटित या प्रयुक्त किया जाए।

(ग) "ठेकेदार" से वह व्यष्टि या फर्म या कम्पनी, चाहे वह निगमित है या नहीं, अभिप्रेत है जो संकर्म करने का भार अपने ऊपर लेती है और इसके अन्तर्गत ऐसे व्यष्टि का अथवा ऐसी फर्म या कम्पनी को गठित करने वाले व्यक्तियों के विधिक निजी प्रतिनिधि अथवा ऐसी फर्म या कम्पनी के उत्तराधिकारी तथा ऐसे व्यष्टि अथवा फर्म या फर्मों या कम्पनी के अनुज्ञात समनुदेशिती भी हैं।

(घ) "राष्ट्रपति" से भारत के राष्ट्रपति और उनके पदोत्तरवर्ती अभिप्रेत हैं।

(ङ) "भारसाधक इंजीनियर" से, यथास्थिति, मंडल अधिकारी या उप-मंडल अधिकारी अभिप्रेत है जो कार्य का पर्यवेक्षण करेगा और उसका भारसाधक होगा और जो संविदा पर भारत के राष्ट्रपति की ओर से हस्ताक्षर करेगा।

(च) "सरकार" या "भारत सरकार" से भारत के राष्ट्रपति अभिप्रेत हैं।

(छ) महानिदेशक (संकर्म), के० लो० नि० वि० पद के अन्तर्गत जोन का मुख्य इंजीनियर भी है।

एकवचन का बोध कराने वाले शब्दों के अन्तर्गत बहुवचन और बहुवचन के अन्तर्गत एकवचन भी हैं।

खण्ड 1. वह व्यक्ति/वे व्यक्ति जिसकी/जिनकी निविदा (निविदाएं) स्वीकार कर ली जाए/जाएं (जिसे/जिन्हें इसमें आगे "ठेकेदार" कहा गया है) संविदा के अधीन किए गए कार्य के लिए उसे/उन्हें कोई संदाय किए जाने के समय सरकार को ऐसी राशि की कटौती करने की अनुज्ञा देगा/देंगे जो अग्रिम धन के रूप में निक्षिप्त की जा चुकी राशि के साथ मिल कर निम्नलिखित के बराबर होगी : प्रतिभूति निक्षेप।

(i) 1,00,000 रुपए तक की लागत वाले संकर्मों की दशा में, उस कार्य की जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गई है, प्राक्कलित लागत का 10 प्रतिशत;

(ii) 1,00,000 रुपए से अधिक और 2,00,000 रुपए तक की लागत वाले संकर्मों की दशा में, प्रथम 1,00,000 रुपए पर 10 प्रतिशत, और अतिशेष पर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत; और

(iii) 2,00,000 रुपए से अधिक लागत वाले संकर्मों की दशा में प्रथम, 1,00,000 रुपए पर 10 प्रतिशत, अगले 1 लाख रुपए पर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत, और अतिशेष पर 5 प्रतिशत किन्तु यह रकम अधिक से अधिक केवल 1,00,000 रुपए होगी।

किन्तु यदि उसे/उन्हें अलग-अलग मामलों में प्रतिभूति निक्षेप के रो संदाय, छूट प्राप्त है या उसने/उन्होंने ऊपर वर्णित दर पर प्रतिभूति की रकम नकद या सरकारी प्रतिभूतियों या सावधि निक्षेप पावतियों या किसी अनुसूचित बैंक या भारतीय स्टेट बैंक से प्रत्याभूति बंधपत्रों के रूप में निक्षिप्त कर दी है तो यह बात लागू नहीं होगी यदि प्रतिभूति निक्षेप के भाग के रूप में किसी बैंक की सावधि निक्षेप पावती ठेकेदार द्वारा सरकार को दी जाती है और बैंक का समापन हो जाता है या किसी कारण से वह उक्त सावधि निक्षेप पावती के आधार पर संदाय करने में असमर्थ है, तो उससे हुई हानि ठेकेदार पर पड़ेगी और ठेकेदार मांग की जाने पर, कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति तत्क्षण सरकार को देगा।

ऐसी कटौतियां सरकार द्वारा प्रतिभूति निक्षेप के रूप में रखी जाएंगी। परन्तु सरकार इस प्रयोजन के लिए, प्रत्येक चालू बिल की रकम का ....* तब तक वसूल करने की हकदार होगी, जब तक कि प्रतिभूति निक्षेप की बाकी रकम वसूल नहीं कर ली जाती है। इस संविदा के निबंधनों के अधीन ठेकेदार द्वारा संदेय सभी प्रतिकर या

---

*प्रथम एक लाख रुपए पर 10 प्रतिशत, अगले एक लाख रुपए पर $7\frac{1}{2}$ प्रतिशत और शेष पर 5 प्रतिशत, किन्तु यह रकम अधिक से अधिक एक लाख रुपए होगी।

अन्य धनराशियां उसके प्रतिभूति निक्षेप में से या उसमें होने वाले ब्याज में से, या ऐसी राशियों में से जो किसी भी कारण से सरकार द्वारा ठेकेदार को देय हों या हो जाएं, काटी जा सकेंगी या प्रतिभूति निक्षेप के पर्याप्त भाग के विक्रय द्वारा संदत्त की जा सकेंगी, और ऐसी कटौतियों या यथापूर्वोक्त विक्रय के कारण उसके प्रतिभूति निक्षेप के कम हो जाने की दशा में, ठेकेदार 10 दिन के भीतर नकद या भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में निष्पादित प्रत्याभूति बंधपत्रों के रूप में या भारतीय स्टेट बैंक द्वारा या अनुसूचित बैंकों द्वारा निविदत्त सावधि निक्षेप पावती के रूप में (अनुसूचित बैंकों द्वारा प्रस्थापित प्रत्याभूति की दशा में रकम भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विहित वित्तीय सीमा के अन्दर होगी) या भारसाधक इंजीनियर के पक्ष में पृष्ठांकित सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में (यदि 12 मास से अधिक के लिए निक्षिप्त की गई हों) किसी राशि या राशियों की जो उसकी प्रतिभूति निक्षेप में से या उसके किसी भाग में से काटी गई हों या उसके विक्रय द्वारा प्राप्त की गई हो, प्रतिपूर्ति करेगा। प्रतिभूति निक्षेप ऊपर वर्णित दरों पर ठेकेदार के चालू बिलों में से वसूल किया जाएगा और यदि अग्रिम धन निविदाओं के साथ नकद जमा किया गया है तो वह प्रतिभूति निक्षेप का भाग समझा जाएगा।

टिप्पण 1: प्रतिभूति के रूप में निविदत्त सरकारी कागजपत्रों को उसके बाजार कीमत अथवा उसके अंकित मूल्य से, जो भी कम हो, 5% (पांच प्रतिशत) कम पर लिया जाएगा। सरकारी कागजपत्र की बाजार कीमत मंडल अधिकारी द्वारा ब्याज की वसूली के समय अभिनिश्चित की जाएगी और यदि आवश्यक हो तो ब्याज की रकम सरकारी कागजपत्र के मूल्य में कमी की सीमा तक रोक ली जाएगी।

टिप्पण 2: सरकारी प्रतिभूतियों के अन्तर्गत विनिमयता बंधपत्रों को छोड़कर साधारण वित्तीय नियमों के नियम 274 में वर्णित सभी प्रकार की प्रतिभूतियां होंगी। इसके लिए यह आवश्यक होगा कि उस नियम के अधीन प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूति के सामने वर्णित शर्तों का अनुपालन किया जाए।

टिप्पण 3: यदि ठेकेदार द्वारा प्रतिभूति निक्षेप के भाग के रूप में किसी बैंक की सावधि निक्षेप पावती सरकार को प्रस्तुत की जाती है और बैंक का समापन हो जाता है या किसी कारण से वह उक्त सावधि निक्षेप पावती के आधार पर संदाय करने में असमर्थ है, तो उससे हुई हानि का दायित्व ठेकेदार पर होगा और ठेकेदार, मांग की जाने पर, कमी को पूरा करने के लिए अतिरिक्त प्रतिभूति सरकार को तत्काल देगा।

खंड 2: ठेकेदार कार्य पूरा करने के लिए निविदा में दर्ज अनुज्ञात समय का कड़ाई से पालन करेगा। यह समय ठेकेदार की ओर से संविदा का मर्म समझा जाएगा तथा ठेकेदार को कार्य प्रारम्भ करने के लिए दिए गए आदेश की तारीख के पश्चात् पन्द्रहवें दिन से उसकी गणना की जाएगी। कार्य, संविदा की सम्पूर्ण अनुबंधित अवधि में सम्यक् तत्परता से किया जाएगा और ठेकेदार उचित तारीखों के पश्चात् प्रत्येक उस दिन के लिए जब कार्य प्रारम्भ न हुआ हो या पूरा न किया गया हो निविदा में वर्णित सम्पूर्ण कार्य की प्राक्कलित लागत की रकम पर एक प्रतिशत के बराबर रकम या ऐसी कम रकम का जो अधीक्षण इंजीनियर (जिसका लिखित विनिश्चय अंतिम होगा) विनिश्चित करें, प्रतिकर के रूप में संदाय करेगा। इसके अतिरिक्त, कार्य के निष्पादन के दौरान अच्छी प्रगति सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार ऐसे सभी मामलों में, जिनमें (विशेष कार्यों को छोड़कर) किसी कार्य के लिए अनुज्ञात समय एक मास से अधिक है, पूरे कार्य का एक-बटा-आठ भाग संविदा के अधीन अनुज्ञात सम्पूर्ण समय के एक चौथाई भाग के समाप्त होने से पूर्व, कार्य का तीन-बटा-आठ ऐसे समय के आधे भाग के समाप्त होने से पूर्व तथा कार्य का तीन-चौथाई भाग, ऐसे समय के तीन-चौथाई भाग के समाप्त होने से पूर्व पूरा करने के लिए आबद्ध होगा। किन्तु यदि विशेष कार्यों के लिए ठेकेदार ने कोई समय सूची दी है और उसे भारसाधक इंजीनियर ने स्वीकार कर लिया है, तो ठेकेदार उक्त समय सूची का अनुपालन करेगा। यदि ठेकेदार इस शर्त का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो वह उस प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान इतना कार्य नहीं किया जाता है जितना नियत है, सम्पूर्ण कार्य की उक्त प्राक्कलित लागत पर एक प्रतिशत के बराबर रकम या ऐसी कम रकम को जो अधीक्षण इंजीनियर (जिसका लिखित विनिश्चय अंतिम होगा) विनिश्चित करे, प्रतिकर के रूप में संदाय करेगा। परन्तु इस खंड के उपबंधों के अधीन संदत्त की जाने वाली सम्पूर्ण रकम निविदा में वर्णित कार्य की प्राक्कलित लागत के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। विलम्ब के लिए प्रतिकर।

खण्ड 3. भारसाधक इंजीनियर किसी विलंब या घटिया कारीगरी के बारे में या अन्यथा संविदा के किसी प्रकार भंग किए जाने के बारे में नुकसान के किन्हीं दावों के बारे में ठेकेदार के विरुद्ध अपने अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और इस संविदा के उपबंधों में से किसी के अधीन या अन्यथा किन्हीं अधिकारों या उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और चाहे कार्य पूरा करने की तारीख समाप्त हो गई हो या नहीं, निम्नलिखित किसी दशा में संविदा को लिखित सूचना द्वारा पूर्ण रूप से समाप्त कर सकेगा।

(i) यदि ठेकेदार भारसाधक इंजीनियर द्वारा उसे यह लिखित सूचना दिए जाने पर कि किसी त्रुटिपूर्ण कार्य को ठीक किया जाए, पुनःनिर्मित किया जाए या बदल दिया जाए या यह कि कार्य अकुशल या अन्यथा अनुचित या कर्मकौशल रहित रीति से किया जा रहा है, ऐसी सूचना दी जाने के पश्चात् सात दिन की अवधि तक ऐसी सूचना की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं करता है या यदि ठेकेदार कार्य के निष्पादन में इस प्रकार विलंब करता है या उसको निलंबित रखता है कि वह भारसाधक इंजीनियर के निर्णयानुसार (जो अन्तिम और आबद्धकर होगा) कार्य पूरा किए जाने की तारीख तक कार्य पूरा करने में असमर्थ होगा या वह उस तारीख तक कार्य पूरा करने में असफल रहा है।

(ii) यदि ठेकेदार, जो कम्पनी हो, यह संकल्प पारित करता है या न्यायालय यह आदेश करता है कि कम्पनी का परिसमापन कर दिया जाए या यदि किसी लेनदार की ओर से कोई रिसीवर या प्रबंधक नियुक्त किया जाता है या यदि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जो न्यायालय या लेनदार को रिसीवर या प्रबंधक नियुक्त करने के लिए हकदार बनाती हैं या जो न्यायालय को परिसमापन आदेश करने का हकदार बनाती है।

(iii) यदि ठेकेदार इस संविदा के निबंधनों और शर्तों में से किसी को भंग करता है।

(iv) यदि ठेकेदार इसके खंड 21 में उल्लिखित कोई कार्य करता है।

जब ठेकेदार ने पूर्वोक्त दशाओं में से किसी के अधीन अपने को कार्रवाई के लिए दायी बना लिया है तब भारत के राष्ट्रपति की ओर से भारसाधक इंजीनियर को यह शक्ति होगी कि वह :

(क) संविदा को पूर्वोक्त रूप से समाप्त या विखण्डित कर दे (जिस समाप्ति या विखंडन का निश्चायक साक्ष्य ठेकेदार को दी गई भारसाधक इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित लिखित सूचना होगी)। ऐसी समाप्ति या विखंडन पर ठेकेदार का प्रतिभूति निक्षेप समपहृत किया जा सकेगा और वह पूर्णतः सरकार के व्ययनाधीन होगा।

(ख) ऐसे श्रमिक, जिन्हें लोक निर्माण विभाग द्वारा संदाय किया जाता है, नियोजित करे और संकर्म या कार्य के किसी भाग को पूरा करने के लिए सामग्री का प्रदाय करे और श्रमिक का खर्च और सामग्री की कीमत ठेकेदार के नामे डाल दे (इस खर्चे तथा कीमत की भारसाधक इंजीनियर द्वारा प्रमाणित रकम ठेकेदार के विरुद्ध अंतिम और निश्चायक होगी) और सभी प्रकार किए गए कार्य का मूल्य उसी रीति में और उन्हीं दरों पर उसके खाते जमा कर दे, मानो वह कार्य ठेकेदार ने अपनी संविदा के निबंधनों के अधीन किया है। किए गए कार्य के मूल्य की बाबत मंडल अधिकारी का प्रमाणपत्र ठेकेदार के विरुद्ध अंतिम और निश्चायक होगा, परन्तु इस उपखंड के अधीन कार्रवाई ठेकेदार को लिखित सूचना देने के पश्चात् ही की जाएगी। परन्तु यह भी कि यदि विभाग द्वारा उपगत व्यय ठेकेदार को उसकी करार-दरों पर संदेय रकम से कम है तो उनके बीच के अन्तर का संदाय ठेकेदार को नहीं किया जाना चाहिए।

—1 M of Law/ND/80

(ग) ठेकेदार को सूचना देने के पश्चात् उसके कार्य की माप करे और उसके कार्य का वह भाग जो अनिष्पादित रह जाए, उससे लेकर दूसरे ठेकेदार को उसे पूरा करने के लिए दे दे और ऐसी दशा में उस राशि से जो मूल ठेकेदार को तब संदत्त की गई होती जब उसने पूरा कार्य निष्पादित किया होता, अधिक उपगत कोई व्यय (जिस अधिक रकम के संबंध में भारसाधक इंजीनियर का लिखित प्रमाणपत्र अंतिम और निश्चायक होगा) मूल ठेकेदार द्वारा उठाया जाएगा और वही उसका संदाय करेगा और सरकार द्वारा, यथास्थिति, उस संविदा के अधीन या किसी भी अन्य लेखे उसको (ठेकेदार को) देय किसी धन में से या उसके प्रतिभूति निक्षेप में से या उसके विक्रय आगमों में से या उसके पर्याप्त भाग में से काट लिया जाएगा।

भारसाधक इंजीनियर द्वारा उपरोक्त में से कोई एक या अधिक मार्ग अपनाए जाने की दशा में ठेकेदार ऐसी किसी हानि के लिए प्रतिकर का दावा नहीं करेगा जो उसे कार्य के निष्पादन या संविदा के परिपालन के कारण या उसकी दृष्टि से उसके द्वारा किसी सामग्री के खरीद लिए जाने या प्राप्त कर लिए जाने अथवा कोई वचनबंध कर लिए जाने या कोई अग्रिम दे दिए जाने के कारण उसे उठानी पड़ी हो। यदि पूर्वोक्त उपबंधों में से किसी के अधीन कार्रवाई की जाती है तो ठेकेदार इस संविदा के अधीन वस्तुत: किए गए किसी कार्य के लिए कोई राशि वसूल करने या संदत्त किए जाने का हकदार तब तक नहीं होगा जब तक कि भारसाधक इंजीनियर ने ऐसे कार्य का सम्पादन और उसके बारे में संदेय कीमत लिखित रूप से प्रमाणित न कर दी हो और वह केवल ऐसी कीमत का संदाय किए जाने का ही हकदार होगा जो इस प्रकार प्रमाणित की गई हो।

खंड 4. ऐसी किसी दशा में जिसमें उसके खंड 3 द्वारा भारसाधक इंजीनियर को प्रदत्त कोई शक्ति प्रयोक्तव्य हो गई है और उसका प्रयोग नहीं किया गया है, उसका प्रयोग न किया जाना इसकी किन्हीं शर्तों का अधित्यजन नहीं होगा और इस बात के होते हुए भी, भविष्य में ठेकेदार द्वारा व्यतिक्रम किए जाने की दशा में ऐसी शक्तियाँ प्रयोक्तव्य होंगी और ठेकेदार का प्रतिकर के लिए दायित्व अप्रभावित रहेगा। यदि भारसाधक इंजीनियर पूर्वगामी खंड के अधीन उसमें निहित सब शक्तियों का या उनमें से किसी का प्रयोग करता है तो वह यदि चाहे तो ठेकेदार के या ठेकेदार द्वारा प्राप्त किए गए और कार्य या उसके किसी भाग के निष्पादन के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित उन सब या किन्हीं औजारों, संयंत्र, सामान और सामग्री का, जो संकर्म में या उस पर अथवा उसके स्थल पर हों, उनके लिए संविदा की दरों पर या यदि ये लागू नहीं हैं तो भारसाधक इंजीनियर द्वारा प्रमाणित की जाने वाली चालू बाजार दरों पर, जिनके बारे में उसका प्रमाणपत्र अंतिम होगा, संदाय करके या उसके लिए खाते में संविदा दर पर मोक देकर ठेकेदार को लिखित सूचना देकर कब्जा ले सकेगा या (पूर्णत: भारसाधक इंजीनियर के विवेकानुसार, जो अंतिम होगा) भाड़े पर ली गई वस्तु के रूप में उपयोग कर सकेगा (भाड़ा धन की रकम भी अंतिम रूप से भारसाधक इंजीनियर द्वारा निर्धारित की जाएगी) अन्यथा भारसाधक इंजीनियर लिखित सूचना द्वारा ठेकेदार को या उसके संकर्म लिपिक को, फोरमैन को, या अन्य प्राधिकृत अभिकर्ता को ऐसे औजार, संयंत्र, सामान या सामग्री को परिसर से (ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर) हटाने का आदेश दे सकेगा। यदि ठेकेदार ऐसी अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहता है तो भारसाधक इंजीनियर उनको ठेकेदार के खर्चे पर हटवा सकेगा या नीलाम द्वारा या ठेकेदार के लेखे और सभी दृष्टियों से उसकी जोखिम पर प्राइवेट विक्रय द्वारा उनका विक्रय कर सकेगा और ऐसे किसी हटाए जाने के व्यय के और ऐसे विक्रय के आगम की रकम और व्यय के बारे में भारसाधक इंजीनियर का प्रमाणपत्र ठेकेदार के विरुद्ध अंतिम और निश्चायक होगा।

यदि खंड 3 के अधीन कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो ठेकेदार प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी बना रहेगा। ठेकेदार के संयंत्र का कब्जा लेने या उसको हटाए जाने की अपेक्षा करने या उसका विक्रय करने की शक्ति।

खंड 5. यदि ठेकेदार इस आधार पर कि कार्य के निष्पादन में उसे अपरिहार्य रूप से प्रतिबाधा पहुंची है या किसी अन्य आधार पर वह चाहता है कि कार्य को पूरा करने के लिए समय बढ़ा दिया जाए तो वह उस प्रतिबाधा की, जिसके कारण वह समय बढ़वाना चाहता है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, तारीख से 30 दिन के भीतर भारसाधक इंजीनियर को लिखित

समय का बढ़ाया जाना।

आवेदन करेगा और यदि भारसाधक इंजीनियर की राय में (जो अंतिम होगी) उसके लिए युक्तियुक्त आधार दर्शित किए गए हैं तो वह समय में ऐसी वृद्धि प्राधिकृत करेगा जो उसकी राय में आवश्यक या उचित है।

समापन प्रमाणपत्र।

खंड 6. कार्य पूरा होने के दस दिन के भीतर ठेकेदार उसकी सूचना भारसाधक इंजीनियर को देगा और ऐसी सूचना की प्राप्ति के *दस, तीस दिन के भीतर भारसाधक इंजीनियर कार्य का निरीक्षण करेगा और यदि कार्य में कोई त्रुटि नहीं है तो वह ठेकेदार को समापन प्रमाणपत्र देगा, अन्यथा ऐसी त्रुटियां (क) जो ठेकेदार द्वारा ठीक की जानी हैं और/या (ख) जिनके लिए संदाय घटी हुई दरों पर किया जाएगा, उपदर्शित करते हुए अनन्तिम समापन प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा, किन्तु जब तक ठेकेदार उस परिसर से जिस पर कार्य निष्पादित किया जाएगा, सब पाड़, बचा हुआ सामान, कूड़ा-करकट और सभी झोपड़ियां तथा स्वच्छता संबंधी इंतजाम जो कार्य के निष्पादन के संबंध में ठेकेदार के कर्मकारों के लिए स्थल पर अपेक्षित थे और उसके द्वारा परिनिर्मित या सन्निर्मित हैं, हटा नहीं देता है और जब तक ऐसे भवन की जिसमें, जिस पर या जिसके निकट कार्य निष्पादित किया जाना है, या जो कार्य के निष्पादन के प्रयोजन के लिए उसके कब्जे में रहा हो, सभी काष्ठ-वस्तुओं, दरवाजों, खिड़कियों, दीवारों, फर्शों या अन्य भागों से गंदगी साफ नहीं कर देता है और जब तक भारसाधक इंजीनियर द्वारा कार्य की माप न कर ली गई हो तब तक अनन्तिम या अन्य समापन प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाएगा और न कार्य पूरा हुआ माना जाएगा। यदि ठेकेदार कार्य पूरा करने के लिए नियत तारीख को या उससे पूर्व, यथापूर्वोक्त पाड़, बचे हुए सामान और कूड़ा-करकट और सभी झोपड़ियों तथा स्वच्छता संबंधी इंतजाम को हटाने और गन्दगी साफ करने के संबंध में इस खंड की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल रहेगा तो भारसाधक इंजीनियर ठेकेदार के व्यय पर ऐसे पाड़, बचे हुए सामान और कूड़ा-करकट आदि को हटा सकेगा और जिस प्रकार वह उचित समझे उसका व्ययन कर सकेगा और ऐसी गंदगी की सफाई करवा सकेगा तथा ठेकेदार का, यथापूर्वोक्त किसी पाड़, बचे हुए सामान के बारे में, उसके विक्रय द्वारा वस्तुतः प्राप्त किसी राशि के सिवाय, कोई दावा नहीं होगा।

अंतःकालीन प्रमाण पत्र पर संदाय को अग्रिम माना जाना।

खंड 7. पांच हजार रुपए अथवा इससे कम की प्राक्कलित लागत वाले किसी कार्य के लिए कोई संदाय तब तक नहीं किया जाएगा जब तक संपूर्ण कार्य पूरा न हो गया हो और समापन प्रमाणपत्र न दे दिया गया हो। किन्तु पांच हजार रुपए से अधिक की प्राक्कलित लागत के किसी कार्य की दशा में ठेकेदार उस कार्य के उतने भाग के जितना उसने भारसाधक इंजीनियर के समाधानप्रद रूप में तब तक निष्पादित कर दिया हो, अनुपात में मासिक संदाय, बिल पेश करने पर प्राप्त करने का हकदार होगा। ऐसी संदेय राशि के बारे में भारसाधक इंजीनियर का प्रमाणपत्र ठेकेदार के विरुद्ध अंतिम और निश्चायक होगा। किन्तु ऐसे सभी अन्तःकालीन संदायों को अंतिम संदाय के प्रति अग्रिम के रूप में संदाय, न कि वस्तुतः किए गए और पूर्ण हो चुके कार्य के लिए संदाय, माना जाएगा और इनसे खराब, दोषपूर्ण और अपूर्ण या अकुशल कार्य को हटाने और ले जाने की और उसका पुनः सन्निर्माण करने या उसे फिर परिनिर्मित करने की अपेक्षा करना प्रवारित नहीं होगा और न इसे संविदा या उसके किसी काम के किसी रूप में सम्यक् अनुपालन की या किसी दावे के प्रोद्भूत होने की स्वीकृति समझा जाएगा और न ही यह इन शर्तों के अधीन लेखाओं के अंतिम परिनिर्धारण और समायोजन के बारे में या अन्यथा भारसाधक इंजीनियर की शक्तियों को या उनमें से किसी को किसी भी प्रकार से पर्यवसित, समाप्त या प्रभावित करेगा या संविदा में किसी अन्य रूप में फेरफार करेगा या उस पर प्रभाव डालेगा। ठेकेदार द्वारा अंतिम बिल कार्य के पूरा होने के लिए नियत तारीख से या भारसाधक इंजीनियर द्वारा पूरा होने का प्रमाण पत्र देने की तारीख से एक मास के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा और यदि संविदा की और अतिरिक्त मदों की रकम 2 लाख रुपए तक हो तो बिल प्रस्तुत किए जाने

*भारसाधक इंजीनियर के मुख्यालय पर कार्य की दशा में दस दिन और भारसाधक इंजीनियर के मुख्यालय से भिन्न किसी स्थान पर कार्य की दशा में तीस दिन लागू होंगे।

के तीन मास के भीतर और यदि वह दो लाख रुपए से अधिक हो तो बिल प्रस्तुत किए जाने के छह मास के भीतर संदाय किया जाएगा। यदि कार्य की किसी मद या किन्हीं मदों के बारे में विवाद हो तो केवल ऐसी मद या मदों के लिए जिनके बारे में विवाद न हो, यथास्थिति, उक्त तीन मास या छह मास की अवधि के भीतर संदाय किया जाएगा। ठेकेदार विवादास्पद मदों को नामंजूर किए जाने के तीस दिन के भीतर उन मदों की एक सूची प्रस्तुत करेगा और यदि वह ऐसा करने में असफल रहता है तो उसका दावा पूर्णतः अधित्यजित और पूर्णतः समाप्त समझा जाएगा। जब किसी रिहायशी भवन के मामले में चालू संदाय करने के लिए विस्तृत माप अभिलिखित करने में विलम्ब होने की संभावना हो, तो (नींव और परिष्करण संबंधी मद को छोड़कर) (क) लिंटल स्तर (जिसके अन्तर्गत सनशेड आदि भी हैं) और (ख) छत स्तर तक किए गए संकर्म के लिए सहायक इंजीनियर के पास इस आशय के प्रमाणपत्र के आधार पर कि प्रश्नगत स्तर तक कार्य पूरा हो गया है, भारसाधक इंजीनियर अपने विवेकानुसार प्रत्येक तल के लिए विस्तृत माप किए बिना चालू खाता बिलों में निविदत्त दरों के 75% के हिसाब से अग्रिम संदाय कर सकेगा।

उनकी विस्तृत माप करने के पश्चात्, इस प्रकार अनुज्ञात अग्रिम संदायों को पश्चात्‌वर्ती चालू बिलों में समायोजित कर दिया जाएगा। अंतिम संदाय विस्तृत माप के आधार पर ही किया जाएगा।

बिल का प्रति मास प्रस्तुत किया जाना।

खण्ड 8. ठेकेदार प्रत्येक मास में उस तारीख को या उससे पूर्व, जो भारसाधक इंजीनियर द्वारा नियत की गई है, पिछले मास में निष्पादित समस्त कार्य के लिए बिल पेश करेगा और भारसाधक इंजीनियर उसे सत्यापित करने के प्रयोजन के लिए उसका अपेक्षित माप लेगा या कराएगा और दावा, जहां तक वह अनुज्ञेय है, यथासम्भव बिल पेश किए जाने से दस दिन की समाप्ति से पहले समायोजित किया जाएगा। यदि ठेकेदार उक्त नियत समय के भीतर बिल प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो भारसाधक इंजीनियर उक्त नियत तारीख से सात दिन के भीतर अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को उक्त कार्य की माप ठेकेदार की उपस्थिति में लेने के लिए भेज सकेगा, जिसके माप सूची पर प्रतिहस्ताक्षर पर्याप्त आधार माने जाएंगे और भारसाधक इंजीनियर ऐसी सूची से बिल तैयार कर सकेगा।

विभाग द्वारा अभिलिखित माप के बारे में आपत्तियां फाइल करने के लिए ठेकेदार को एक सप्ताह का समय दिया जाना।

खण्ड 8क. किसी कार्य की कोई माप लेने के पहले, जैसा कि इसके खण्ड 6, 7 और 8 में निर्दिष्ट किया गया है, भारसाधक इंजीनियर या उसके द्वारा भेजा गया अधीनस्थ अधिकारी, ठेकेदार को उचित सूचना देगा। यदि ऐसी सूचना के पश्चात् ठेकेदार माप के समय उपस्थित होने में असफल रहता है या प्रतिहस्ताक्षर करने में असफल रहता है या माप की तारीख से एक सप्ताह के भीतर भारसाधक इंजीनियर द्वारा अपेक्षा की गई रीति में अन्तर अभिलिखित करने में असफल रहता है तो ऐसी दशा में, यथास्थिति, भारसाधक इंजीनियर या उसके द्वारा भेजे गए अधीनस्थ अधिकारी द्वारा की गई माप अंतिम और ठेकेदार पर आबद्धकर होगी और उसका विरोध करने का ठेकेदार को कोई अधिकार नहीं होगा।

बिलों का मुद्रित प्ररूप में होना।

खण्ड 9. ठेकेदार सभी बिल मुद्रित प्ररूपों में भेजेगा जो आवेदन किए जाने पर भारसाधक इंजीनियर के कार्यालय से प्राप्त हो सकेंगे और बिलों में प्रभार सदैव निविदा में विनिर्दिष्ट दरों पर या किसी ऐसे अतिरिक्त कार्य की दशा में जिसके लिए आदेश इन शर्तों के अनुसरण में दिया गया है और जिनका उल्लेख जिनके लिए उपबंध या निविदा में नहीं किया गया है, इसमें इसके पश्चात् ऐसे कार्य के लिए उपबंधित दरों पर दर्ज किए जाएंगे।

ठेकेदार के बिलों का बैंकों को संदाय।

खण्ड 9क. ठेकेदार को शोध्य संदाय, यदि वह चाहे तो, सीधे उसको किए जाने की बजाय उसके बैंक को किए जा सकते हैं परन्तु यह तब जबकि ठेकेदार भारसाधक इंजीनियर को (1) संदाय प्राप्त करने के लिए बैंक को प्राधिकार प्रदान करने वाले मुख्तारनामे जैसी वैध रूप से मान्य दस्तावेज के रूप में प्राधिकार दे और (2) उस हिसाब की शुद्धता के बारे में अपनी स्वीकृति दे जिसमें सरकार द्वारा उसकी शोध्य राशि बताई गई है या भारसाधक इंजीनियर द्वारा

हिसाब या दावे के, बैंक को संदाय करने के लिए आने से पहले सरकार को प्रस्तुत किए गए बिल या अन्य दावे पर अपने हस्ताक्षर दिखाए। ऐसे बैंक द्वारा दी गई रसीद संदाय के लिए पूर्ण और पर्याप्त उन्मोचन होगी किन्तु, ठेकेदार को, जहां संभव हो, सम्यक् रूप से स्टाम्पित और उन्मोचित बिल अपने बैंककारों की मार्फत प्रस्तुत करने चाहिएं।

इसमें अन्तर्विष्ट कोई बात समनुदेशिती को संविदा में के या उसके अधीन कोई भी अधिकार न सौंपेगी या सृजन नहीं करेगी।

सरकार द्वारा प्रदाय की गई सामग्री।

खण्ड 10. यदि विनिर्देश या मदों की सूची में यह आवश्यक हो कि ऐसे विशेष सामान का प्रयोग किया जाए जो भारसाधक इंजीनियर के भण्डार से दिया जाएगा या यदि यह अपेक्षित है कि ठेकेदार इससे उपाबद्ध सामान की अनुसूची में यथावर्णित भारसाधक इंजीनियर द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली अमुक सामग्री का प्रयोग करेगा तो ठेकेदार केवल संविदा के प्रयोजनों के लिए समय-समय पर उसके द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए अपेक्षित सामान और सामग्री प्राप्त करने के लिए आबद्ध होगा और उसे उसका प्रदाय किया जाएगा और सामान की उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट दरों पर इस प्रकार प्रदाय किए गए सामान और सामग्री की पूरी मात्रा का मूल्य ठेकेदार को संविदा के अधीन या अन्यथा उस समय देय या उसके पश्चात् देय होने वाली किन्हीं राशियों में से या प्रतिभूति निक्षेप के प्रति या उससे या यदि वह सरकारी प्रतिभूतियों में है तो उसे या उसके पर्याप्त प्रभाग को इस प्रयोजन के लिए बेचकर उसके विक्रय आगमों में से मुजरा कर दिया जाएगा या काट लिया जाएगा। ठेकेदार को इस प्रकार प्रदाय किया गया सब सामान पूर्णतः सरकार की संपत्ति बना रहेगा और किसी भी कारण से कार्य के स्थान से हटाया नहीं जाएगा और भारसाधक इंजीनियर द्वारा निरीक्षण के लिए हर समय खुला रहेगा। संविदा पूरी हो जाने या उसे समाप्त कर दिए जाने के समय अप्रयुक्त और पूरे तौर से अच्छी हालत में बचा हुआ सामान भारसाधक इंजीनियर को उसके द्वारा निर्दिष्ट स्थान पर तब लौटाया जाएगा, जबकि वह अपने हस्ताक्षर सहित लिखित सूचना द्वारा ऐसी अपेक्षा करे। किन्तु ठेकेदार ऐसी सम्मति के बिना ऐसे किसी सामान के लौटाए जाने का हकदार नहीं होगा और पूर्वोक्त रूप से प्रदाय किए गए किसी सामान के बारे में, जिसका वह उपयोग नहीं कर रहा है, या ऐसे किसी सामान की बरबादी या नुकसान के लिए प्रतिकर का दावा नहीं करेगा। परन्तु ठेकेदार ऐसे सभी या किसी सामान के प्रदाय में किसी विलम्ब या उसका प्रदाय न किए जाने के बारे में किसी भी दशा में किसी प्रतिकर या नुकसानी का हकदार नहीं होगा। परन्तु यह और कि यदि सरकार उस सामान का प्रदाय कार्य पूरा करने के लिए नियत समय में उसके 50 प्रतिशत समय को जोड़ कर जो समय आए उसके भीतर (यदि कार्य को पूरा करने का समय 12 मास से अधिक है तो, नियत समय में 6 मास जोड़कर जो समय आए उसके भीतर) कर देती है तो ठेकेदार सम्पूर्ण कार्य निष्पादित करने के लिए आबद्ध होगा। किन्तु यदि उक्त अवधि के भीतर सामान के कुछ भाग का ही प्रदाय किया गया हो तो ठेकेदार उतना ही कार्य करने के लिए आबद्ध होगा जितना उपर्युक्त अवधि में प्रदत्त सामान और सामग्री से करना संभव है। बाकी कार्य को पूरा करने के लिए ठेकेदार उतना समय बढ़ाए जाने का हकदार होगा जितना भारसाधक इंजीनियर अवधारित करे। भारसाधक इंजीनियर का इस संबंध में विनिश्चय अंतिम होगा।

खंड 10क. भारसाधक इंजीनियर को परिसर से सभी सामग्रियों को, जो उसकी राय में विनिर्देश के अनुसार नहीं हैं, हटाने की अपेक्षा करने की पूर्ण शक्ति होगी और व्यतिक्रम की दशा में, भारसाधक इंजीनियर उसे हटवाने के लिए अन्य व्यक्तियों को नियोजित कर सकेगा और ऐसा करने में ऐसी सामग्री को होने वाली हानि या नुकसान के लिए उत्तरदायी या लेखादायी नहीं होगा। भारसाधक इंजीनियर को, उसके स्थान पर अन्य उचित सामग्री दिए जाने की अपेक्षा करने की पूर्ण शक्ति होगी और व्यतिक्रम की दशा में भारसाधक इंजीनियर उसका प्रदाय कराएगा और ऐसे हटाए जाने या प्रतिस्थापन में जो खर्च आएगा वह ठेकेदार द्वारा वहन किया जाएगा।

खंड 10 ख. भारसाधक इंजीनियर द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में विलेख पर जब ठेकेदार हस्ताक्षर कर देगा तब वह इस बात का हकदार होगा कि कार्य के निष्पादन के दौरान उसे ऐसी सामग्री के 75 प्रतिशत प्राक्कलित मूल्य तक का संदाय किया जाए जो भारसाधक इंजीनियर की राय में अविनश्वर है और संविदा के अनुसार है और जो उस स्थल पर संविदा के संबंध में लाई गई है [illegible] नुकसान से पर्याप्त संरक्षित है, किन्तु जो अग्रिम दिए जाने के समय कार्य में समाविष्ट नहीं की गई थी। जब वह सामग्री, जिसके बारे में इस उपखण्ड के अधीन अग्रिम दिया गया है, कार्य में समाविष्ट कर ली जाती है तब इस संविदा के किसी खंड या किन्हीं खंडों के अधीन किए गए अगले संदाय में से ऐसे अग्रिम की कटौती कर ली जाएगी।

खंड 10 ग. यदि संकर्म की प्रगति के दौरान उसमें समाविष्ट किसी सामग्री की (जो उसके खंड 10 के अनुसार भारसाधक इंजीनियर के भण्डार में से प्रदाय की गई सामग्री नहीं है) कीमत में और/या श्रमिकों की मजदूरी में किसी नई विधि या कानूनी नियम या आदेश के प्रवृत्त हो जाने के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप (किन्तु विक्रय-कर में किसी परिवर्तन के कारण नहीं) वृद्धि हो जाती है और ऐसी वृद्धि कार्य के लिए निविदा प्राप्त करने के समय विद्यमान कीमत और/या मजदूरी के दस प्रतिशत से अधिक है, और तदुपरि ठेकेदार (संकर्म में समाविष्ट) उस सामग्री की बाबत आवश्यक और उचित रूप से ऐसी बढ़ी हुई कीमत और/या कार्य के निष्पादन में नियोजित श्रमिकों की बाबत ऐसी बढ़ी हुई मजदूरी का संदाय करता है, तो संविदा की रकम में तदनुसार परिवर्तन कर दिया जाएगा, परन्तु ऐसा तब होगा जब कि इस प्रकार संदेय वृद्धि अधीक्षण इंजीनियर की (जिसका विनिश्चय अंतिम और आबद्धकर होगा) राय में, संविदा के निष्पादन में ऐसे विलम्ब के कारण नहीं हुई है जो ठेकेदार के नियंत्रण के भीतर है :

परन्तु, यदि यह वृद्धि उक्त कीमत/मजदूरी के दस प्रतिशत से अधिक नहीं है तो कोई प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी और यदि वह वृद्धि उक्त कीमत/मजदूरी के दस प्रतिशत से अधिक है तो प्रतिपूर्ति 10 प्रतिशत से ऊपर की अतिरिक्त रकम पर ही की जाएगी। परन्तु यह और कि यदि ऐसी वृद्धि संविदा अथवा प्रश्नगत कार्य के पूरा होने की बढ़ी हुई तारीख के पश्चात प्रवृत्त हुई है तो ऐसी कोई वृद्धि संदेय नहीं होगी।

यदि संकर्म की प्रगति के दौरान, संकर्म में समाविष्ट किसी सामग्री की (जो उसके खंड 10 के अनुसार भारसाधक इंजीनियर के भंडार से प्रदाय की गई सामग्री नहीं है) कीमत और/या श्रमिकों की मजदूरी किसी नई विधि या कानूनी नियम या आदेश के प्रवृत्त हो जाने के प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप (किन्तु विक्रय कर-में किसी परिवर्तन के कारण नहीं) कम हो गई है और ऐसी कमी कार्य के लिए निविदा प्राप्त करने के समय विद्यमान कीमतों/और या मजदूरियों के दस प्रतिशत से अधिक है तो सरकार संकर्म में समाविष्ट सामग्री (जो उसके खंड 10 के अनुसार भारसाधक इंजीनियर के भंडार से प्रदाय की गई सामग्री नहीं है) और या कार्य के निष्पादन में, ऐसी विधि, कानूनी नियम या आदेश के प्रवृत्त होने की तारीख के पश्चात्, नियोजित श्रमिकों की बाबत ठेकेदार को शोध्य रकमों में से ऐसी रकम काटने की हकदार होगी जो कार्य के लिए निविदा प्राप्त करने के समय प्रचलित सामग्री की कीमत और/या मजदूरी में से उसके दस प्रतिशत के बराबर रकम घटाकर आने वाली रकम और ऐसी विधि, कानूनी नियम या आदेश के प्रवृत्त हो जाने पर सामग्री की कीमत और/या श्रमिकों की मजदूरी के बीच के अंतर के बराबर होगी।

ठेकेदार इस शर्त के प्रयोजन के लिए ऐसी लेखाबहियां और अन्य दस्तावेज रखेगा जो दावाकृत किसी वृद्धि या उपलब्ध कमी की रकम दिखाने के लिए आवश्यक है और सरकार के सम्यक् रूप से प्राधिकृत अभिकर्ता को उसका निरीक्षण करने देगा। इसके अतिरिक्त भारसाधक इंजीनियर से निवेदन पर इस प्रकार रखी गई कोई दस्तावेज और ऐसी अन्य जानकारी जिसकी भारसाधक इंजीनियर अपेक्षा करे ऐसी रीति में सत्यापित रूप में देगा जैसी भारसाधक इंजीनियर अपेक्षित करे।

ठेकेदार ऐसी किसी सामग्री की कीमत और/या श्रमिक की मजदूरी में किसी परिवर्तन की जानकारी हो जाने के युक्तियुक्त समय के भीतर भारसाधक इंजीनियर को उसकी सूचना यह कथन करते हुए देगा कि वह सूचना और उससे संबद्ध समस्त जानकारी जो वह देने की स्थिति में है, इस शर्त के अनुसरण में दी जा रही है।

खंड 10घ. ठेकेदार किसी संरचना के तोड़े जाने और कार्यस्थल के उत्खनन आदि के दौरान अभिप्राप्त सभी सामग्री को सरकारी सम्पत्ति समझेगा और ऐसी सामग्री का व्ययन भारसाधक इंजीनियर द्वारा जारी किए गए लिखित अनुदेशों के अनुसार सरकार के सर्वोत्तम लाभ के लिए किया जाएगा।

खंड 10ङ. सीमेंट की वसूली दर में जूट या कागज के बोरों की लागत भी सम्मिलित है। ठेकेदार के लिए यह आवश्यक है कि वह बोरे संग्रह करने वाले अभिकर्ताओं को सीमेंट वाले जूट के कम से कम 90 प्रतिशत बोरे, जो काम लायक हालत में हों, लौटा दे। खाली बोरों की लागत का संदाय बोरा संग्रह करने वाले अभिकर्ताओं द्वारा ठेकेदार को, पूर्ति तथा निपटान महानिदेशक द्वारा नियत प्रचलित दरों पर किया जाएगा। ठेकेदार बोरा संग्रह करने वाले अभिकर्ताओं का नाम भारसाधक इंजीनियर से लिखित रूप में प्राप्त करेगा। ठेकेदार के लिए यह आवश्यक है कि वह उन बोरों के बारे में जो उसने लौटाए हैं बोरे संग्रह करने वाले प्राधिकृत अभिकर्ताओं का मुद्रित पत्र शीर्ष वाले कागज पर प्रमाणपत्र सबूत के रूप में पेश करेगा। ऐसा प्रमाणपत्र उसे प्रत्येक चालू बिल के संदाय का दावा करते समय पेश करना होगा। यदि काम लायक हालत में लौटाए गए बोरों की संख्या जारी किए गए बोरों की संख्या के 90 प्रतिशत से कम है तो ठेकेदार से न्यूनतम संख्या से कम लौटाए गए बोरों पर प्रति बोरा एक रुपए की दर से प्रतिकर वसूल किया जाएगा।

यदि के० लो० नि० वि० को सीमेंट के खाली बोरों की कार्य में वास्तविक उपयोग के लिए आवश्यकता है तो कार्य के भारसाधक कार्यपालक इंजीनियर को बोरों का स्वयं संग्रह करने की शक्ति होगी और ठेकेदार को वांछित संख्या में जूट के ऐसे खाली बोरों को जो काम लायक हालत में हैं उसी शर्त पर लौटाने होंगे जो बोरा संग्रह करने वाले अभिकर्ताओं के लिए हैं।

खंड 11. ठेकेदार पूरे कार्य को और उसके हर भाग को अधिकतम सावधान और कुशल रीति से तथा सामग्री और अन्यथा दोनों ही के संबंध में हर प्रकार से विनिर्देशों के अनुसार निष्पादित करेगा। ठेकेदार, कार्य की बाबत डिजाइनों, आरेखनों और भारसाधक इंजीनियर द्वारा हस्ताक्षरित लिखित अनुदेशों के अनुसार, यथावत्, पूर्णतः और निष्ठापूर्वक कार्य करेगा और ठेकेदार को, विनिर्देशों और सभी ऐसी डिजाइनों, आरेखनों और अनुदेशों की, जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के समय-समय पर प्रवृत्त "दिल्ली में संकर्मों के लिए विनिर्देश 1977" नामक संग्रह या संविदा में अन्यत्र निर्दिष्ट साधारण विनिर्देशों के बारे में किसी अन्य मुद्रित प्रकाशन में सम्मिलित नहीं है, एक प्रति निःशुल्क दी जाएगी।

कार्य का विनिर्देशों, आरेखनों, अनुदेशों आदि के अनुसार निष्पादित किया जाना।

खंड 12. भारसाधक इंजीनियर को मूल विनिर्देशों, आरेखनों, डिजाइनों और अनुदेशों में कार्य की प्रगति के दौरान ऐसे परिवर्तन, लोप, परिवर्धन या उनके प्रतिस्थापन की शक्ति होगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हों और ठेकेदार उन अनुदेशों के अनुसार कार्य करेगा जो उसे लिखित रूप में भारसाधक इंजीनियर द्वारा दिए जाएं और हस्ताक्षरित हों और ऐसे परिवर्तन, लोप, परिवर्धन या प्रतिस्थापन से संविदा अविधिमान्य नहीं होगी और कोई परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य जिसे कार्य के भाग के रूप में ठेकेदार को ऊपर विनिर्दिष्ट रीति से करने के लिए निर्दिष्ट किया जाए, ठेकेदार द्वारा सभी दृष्टियों से उन्हीं शर्तों पर किया जाएगा जिन पर वह मुख्य कार्य करने के लिए सहमत हुआ है। कार्य पूरा करने के लिए समय उसी अनुपात में बढ़ाया जाएगा जो अनुपात परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य और मूल संविदा के कार्य के बीच है और ऐसे अनुपात के बारे में भारसाधक इंजीनियर का प्रमाणपत्र निश्चायक होगा। उसके अतिरिक्त ठेकेदार को इस प्रकार बढ़ाए गए समय के 25 प्रतिशत तक की अतिरिक्त कालावधि अनुज्ञात की जाएगी। इस खंड के अधीन ऐसे अतिरिक्त, परिवर्तित

विनिर्देशों और डिजाइनों में परिवर्तन।

या प्रतिस्थापित कार्य के लिए दरें निम्नलिखित उपबंधों के अनुसार उनके अपने-अपने क्रम से निकाली जाएंगी :

(i) यदि अतिरिक्त, परिवर्तित या प्रतिस्थापित कार्य के लिए दरें कार्य की संविदा में विनिर्दिष्ट हैं, तो ठेकेदार अतिरिक्त, परिवर्तित या प्रतिस्थापित कार्य उन्हीं दरों पर पूरा करेगा जो कार्य की संविदा में विनिर्दिष्ट हैं।

(ii) यदि अतिरिक्त, परिवर्तित या प्रतिस्थापित कार्य के लिए दरें कार्य की संविदा में विनिर्दिष्टतः उपबंधित नहीं हैं तो दरें वैसे ही वर्ग के कार्य के लिए दरों से ली जाएंगी जो कार्य की संविदा में विनिर्दिष्ट हैं।

(iii) यदि परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य में कोई ऐसा कार्य सम्मिलित है जिसके लिए दर कार्य की संविदा में विनिर्दिष्ट नहीं है और उसके लिए दरें संविदा में वैसे ही कार्य से नहीं ली जा सकती हैं तो ऐसा कार्य अद्यतन संशोधन पर्ची सहित दरों की *दिल्ली अनुसूची में प्रविष्ट दरों पर किया जाएगा जिसमें से ऐसी प्रतिशतता जो कुल निविदत्त रकम की निविदत्त समस्त कार्य की प्राक्कलित लागत पर आती है, घटा जोड़ दी गई हो।

(iv) यदि परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य के लिए दरें उक्त उपखंड (i) से (iii) तक में विनिर्दिष्ट रीति में अवधारित नहीं की जा सकती हैं, तो ऐसे कार्य के लिए दरें उक्त विनिर्दिष्ट जिले की दर सूची के आधार पर उनमें उस प्रतिशतता को जोड़ या घटाकर निकाली जाएंगी जो कुल निविदत्त रकम की निविदत्त संपूर्ण कार्य की प्राक्कलित लागत से है। परन्तु यदि किसी कार्य के विशिष्ट भाग या भागों के लिए दर, दर अनुसूची में नहीं है तो ऐसे भाग या भागों के लिए दर भारसाधक इंजीनियर द्वारा उस समय की, जब कार्य किया गया है, प्रचलित बाजार दरों पर अवधारित की जाएगी।

(v) यदि परिवर्तित, अतिरिक्त या प्रतिस्थापित कार्य के लिए दरें उक्त उपखंड (i) से (iv) तक में विनिर्दिष्ट रीति से अवधारित नहीं की जा सकती हैं तो ठेकेदार कार्य करने के लिए आदेश की प्राप्ति की तारीख से 7 दिन के भीतर ऐसे दर की जैसे कि, वह ऐसे वर्ग के कार्य के लिए प्रभारित करना चाहता है, जानकारी, दावाकृत दर या दरों के विश्लेषणों के सहित, भारसाधक इंजीनियर को देगा और भारसाधक इंजीनियर प्रचलित बाजार दरों के आधार पर दर या दरें अवधारित करेगा और ठेकेदार को तदनुसार संदाय करेगा। किन्तु भारसाधक इंजीनियर लिखित सूचना द्वारा ऐसे वर्ग के कार्य को करने के लिए अपने आदेश को रद्द कर सकेगा और उसे ऐसी रीति से कराने की व्यवस्था कर सकेगा जो वह वांछनीय समझे। किन्तु किसी भी परिस्थिति में ठेकेदार कार्य को इस दलील के आधार पर स्थगित नहीं करेगा कि इस खंड के अन्तर्गत आने वाले कार्यों की दरें तय नहीं की गई हैं।

(vi) नींव से संबंधित मदों के सिवाय, उक्त उपखंड (i) से (v) तक में अन्तर्विष्ट उपबंध, संविदा अथवा ऐसी प्रतिस्थापित मदों को लागू नहीं होंगे जो निविदा दस्तावेजों में निम्नलिखित निर्बंधनों के अधीन रहते हुए उपबंधित प्रतिशतता से अधिक हो जाएं (जिसे इसमें इसके नीचे विचलन परिसीमा कहा गया है) :—

(क) उपर्युक्त विचलन परिसीमा, आदिष्ट सभी परिवर्धनों और कटौतियों का अंतिम प्रभाव (बीजीय योग) है।

(ख) किसी भी दशा में परिवर्धन कटौतियां (गणितीय योग) विचलन परिसीमा के दुगने से अधिक नहीं होंगी।

(ग) संविदा में सम्मिलित किसी एकल व्यवसाय की मदों पर आदिष्ट विचलन संविदा में उस व्यवसाय के संपूर्ण मूल्य के 50% के बराबर जोड़कर या घटा कर जो आए उससे अथवा विचलन परिसीमा के आधे से इनमें जो भी कम हो, अधिक नहीं होंगे।

*यहां लागू दर-अनुसूची का नाम लिखिए.

(घ) किसी एकल व्यवसाय की ऐसी मदों के परिवर्धनों का मूल्य, जो संविदा में पहले ही सम्मिलित नहीं किया गया है, विचलन परिसीमा के 10% से अधिक नहीं होगा।

टिप्पण— "एकल व्यवसाय" से अभिप्रेत है वे व्यावसायिक खंड जिनमें प्रारूप में उपाबद्ध परिमाणों की अनुसूची विभाजित की गई है अथवा ऐसे किसी विभाजन के न होने पर ऊपर विनिर्दिष्ट केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की दरों की अनुसूची के अलग-अलग खंड उदाहरणार्थ, उत्खनन और मिट्टी का काम, कंक्रीट, लकड़ी का काम और बढ़ई का काम आदि।

खंड 12 (vi) के प्रवर्तन के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित संकर्मों को नींव से संबंधित संकर्म माना जाएगा :—

(क) भवनों के लिए, प्रांगण भित्तियां, कुर्सी तल या भूमि तल से 1.2 मीटर (4 फीट) ऊपर, जो भी निम्नतर हो, जिसके अन्तर्गत फर्श बनाना और डी. पी. सी. की मदें नहीं हैं किन्तु इसके अन्तर्गत फर्श के नीचे का कंकरीट आधार है।

(ख) अल्याधारों के लिए, पाए, पुश्ते या पुलिया और पुल, जलाशयों की दीवालें, फर्श तल का आधार।

(ग) पुश्तों के लिए जहां, फर्श तल निश्चित नहीं है औसत भूतल या आधार तल के 1.2 मीटर ऊपर।

(घ) सड़कों के लिए, खुदाई और भराई की सभी मदें जिनके अन्तर्गत उपाधार-उपचार और मिट्टी भरने का काम भी है।

(ङ) जल प्रदाय लाइनों, मल नालियों, तूफानी जल की भूगत नालियों और इसी प्रकार के संकर्म के लिए। नल संबंधी कार्य की मदों और चिनाई कार्य को छोड़कर भूतल के नीचे कार्य की सभी मदें।

(च) तूफानी जल की खुली नालियों के लिए : नालियों के अस्तर लगाने के काम को छोड़कर सभी मदें।

खंड 12 क. नींव कार्य संबंधी उन मदों को छोड़कर, जिनको करने की अपेक्षा ऊपर खंड 12 के अधीन ठेकेदार से की गई हो, ऐसी संविदा या प्रतिस्थापित मदों या परिवर्धित मदों की दशा में, जिनका परिणाम उपर्युक्त खंड 12 के उपखंड (vi) में अधिकथित परिसीमा से बाहर जाना हो, ठेकेदार आदेश प्राप्त होने के 7 दिन के भीतर विचलन परिसीमा से अधिक परिमाणों के लिए दरों के पुनरीक्षण का दावा उसके समर्थन में उन मदों के बारे में उचित विश्लेषण देते हुए करेगा और वह ऐसा दावा इस बात के होते हुए भी करेगा कि ऐसी मदों के लिए दरें मुख्य कार्य की निविदा में विद्यमान हैं या खंड 12 के उपखंड (ii) के उपबंधों के अनुसार उनका हिसाब लगाया जा सकता है, तथा भारसाधक इंजीनियर प्रचलित बाजार दरों को ध्यान में रखते हुए, उनकी दरों का पुनरीक्षण कर सकेगा और ठेकेदार को ऐसी नियत की गई दरों के अनुसार संदाय किया जाएगा किन्तु भारसाधक इंजीनियर को इस बात की स्वतंत्रता होगी कि वह ठेकेदार को लिखित सूचना देकर ऐसे बढ़े हुए कार्य को निष्पादित कराने के अपने आदेश को रद्द कर दे और उसे ऐसी रीति से कराने की व्यवस्था करे जैसी वह उचित समझे। किन्तु किन्हीं भी परिस्थितियों में ठेकेदार इस दलील के आधार पर कार्य को विलम्बित नहीं करेगा कि इस खंड के अधीन आने वाली मदों की दरें तय नहीं हुई हैं।

पूर्वगामी पैरा के सभी उपबंध विचलन परिसीमा से अधिक परिमाणों के लिए मदों की दरों में कमी को इस बात के होते हुए भी कि ऐसी मदों के लिए दरें मुख्य कार्य की निविदा में विद्यमान हैं या पूर्वगामी खंड 12 के उपखंड (ii) के उपबंधों के अनुसार उनका हिसाब लगाया जा सकता है, समान रूप से लागू होंगे और भारसाधक इंजीनियर प्रचलित बाजार दरों को ध्यान में रखते हुए ऐसी दरों का पुनरीक्षण कर सकेगा।

खंड 13. यदि कार्य प्रारम्भ होने के पश्चात् किसी समय भारत के राष्ट्रपति किसी भी कारण से यह अपेक्षा करें कि निविदा में जो कार्य विनिर्दिष्ट है वह पूरा सम्पन्न न किया जाए तो भारसाधक इंजीनियर इस बात की लिखित सूचना ठेकेदार को देगा जो न तो किसी ऐसे लाभ या फायदे के, जो उसे पूरा कार्य निष्पादित करने से प्राप्त होता किन्तु जो सम्पूर्ण कार्य को समाप्त न करने के परिणामस्वरूप उसे प्राप्त नहीं हुआ, लिए किसी भी प्रतिकर के संदाय के लिए दावा कर सकेगा और न मूल विनिर्देशों, आरेखणों, डिजाइनों या अनुदेशों में किए गए ऐसे परिवर्तनों के कारण, जिनसे मूलतः माने गए कार्य में कोई कटौती होती है, प्रतिकर के लिए दावा कर सकेगा :

निष्पादित किए जाने वाले कार्य में परिवर्तन या उसके निर्बंधन के लिए किसी प्रतिकर का न दिया जाना।

परन्तु ठेकेदार को केवल उतनी ही सामग्री की ढुलाई का प्रभार संदत्त किया जाएगा जितनी ठेकेदार द्वारा वस्तुतः और सद्भावपूर्वक कार्य के स्थल पर लाई गई है और जो कार्य अथवा उसके किसी भाग के परित्याग या उसमें कटौती के परिणामस्वरूप अधिशेष हो गई है और तब ठेकेदार द्वारा वापस ले जाई गई है। परन्तु, भारसाधक इंजीनियर को ऐसे सभी मामलों में ऐसी सभी या किसी सामग्री को उसकी क्रय कीमत पर अथवा स्थानीय चालू दरों पर, इनमें से जो भी कम हो ले लेने का विकल्प होगा। यदि ऐसा सामान सरकारी भंडार से दिया गया है और ठेकेदार ने वह सामान सरकारी भंडार को लौटा दिया है तो भारसाधक इंजीनियर द्वारा ठेकेदार को ऐसी दरों पर जो उन दरों से अधिक नहीं है जिन पर सामान उसे मूलतः जारी किया गया था, मुजरा दिया जाएगा। इसके लिए, ठेकेदार की अभिरक्षा में रहते हुए किसी क्षय या नुकसान के कारण किए गए दावों को और उनके लिए की गई कटौती को ध्यान में रखा जाएगा। इस संबंध में भारसाधक इंजीनियर का विनिश्चय अंतिम होगा।

खंड 14. यदि भारसाधक इंजीनियर अथवा उसके अधीनस्थ व्यक्ति को जो कार्य का भारसाधक है अथवा मुख्य तकनीकी परीक्षक को प्रतीत होता है कि कोई कार्य दोषयुक्त, अपूर्ण या अकुशल रीति से या किसी घटिया किस्म के सामान का प्रयोग करके किया गया है या यह कि कार्य के निष्पादन के लिए ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई गई कोई सामग्री अथवा वस्तु दोष-युक्त है या उस सामग्री अथवा वस्तु से घटिया क्वालिटी की है जिसके लिए संविदा हुई है या वह अन्यथा संविदा के अनुसार नहीं है, तो ठेकेदार, लिखित रूप में मांग की जाने पर, जो कार्य पूरा होने के छह मास के भीतर भारसाधक इंजीनियर द्वारा उस कार्य सामग्री अथवा वस्तु को विनिर्दिष्ट करते हुए की जाए जिसके विरुद्ध शिकायत है, इस बात के होते हुए भी कि वह कार्य पास कर दिया गया है, प्रमाणित कर दिया गया है और उसके लिए संदाय कर दिया गया है, ऐसे विनिर्दिष्ट कार्य को तुरन्त पूर्णतः या भागतः जैसी उससे अपेक्षा की जाए सुधारेगा या हटाएगा और उसका पुनः सन्निर्माण करेगा अथवा, यथास्थिति, ऐसी विनिर्दिष्ट सामग्री या वस्तु को हटा देगा और अपने उचित निजी प्रभार और खर्चे पर अन्य उचित और उपयुक्त सामग्री या वस्तुओं की व्यवस्था करेगा और भारसाधक इंजीनियर अपनी पूर्वोक्त मांग में जो अवधि विनिर्दिष्ट करे उसके भीतर यदि ठेकेदार ऐसा करने में असफल रहता है तो, वह निविदा में दी गई प्राक्कलित रकम पर प्रतिदिन, दस दिन से अनधिक प्रत्येक उस दिन के लिए जब ऐसा करने में उसकी असफलता बनी रहे, एक प्रतिशत की दर से प्रतिकर का संदाय करने के लिए दायी होगा और ऐसी किसी असफलता की दशा में, भारसाधक इंजीनियर उन सामग्री या वस्तुओं को, जिनके विरुद्ध शिकायत की गई है, हर प्रकार से ठेकेदार की जोखिम और व्यय पर यथास्थिति, सुधार सकेगा या हटा सकेगा और कार्य का पुनः निष्पादन कर सकेगा अथवा उसे हटा कर उसके स्थान पर दूसरी सामग्री या वस्तु लगा सकेगा।

खराब काम की दशा में कार्रवाई और संदेय प्रतिकर।

खंड 15. ऐसा सभी कार्य जो संविदा के अनुसरण में निष्पादित किया जा रहा है या निष्पादित हो चुका है हर समय भारसाधक इंजीनियर और उसके प्राधिकृत अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा निरीक्षण और पर्यवेक्षण किए जाने के लिए खुले रहेंगे तथा ठेकेदार सामान्य कार्य समय के दौरान हर समय और अन्य ऐसे सभी समयों पर जिसके बारे में ठेकेदार को यह उचित सूचना दी जा चुकी है कि भारसाधक इंजीनियर या उसका अधीनस्थ कार्य को देखने

सामग्री का निरीक्षण के लिए खुला रहना।

के लिए आने का इरादा रखता है, या तो स्वयं आदेशों और अनुदेशों को प्राप्त करने के लिए उपस्थित रहेगा या वह इस प्रयोजन के लिए लिखित रूप में सम्यक् रूप से प्रत्यायित किसी जिम्मेदार अभिकर्ता को उपस्थित रखेगा। ठेकेदारों के अभिकर्ताओं को दिए गए आदेशों का उतना ही बल माना जाएगा मानो वे स्वयं ठेकेदार को ही दिए गए थे। कार्य की प्रगति के दौरान कार्य का निरीक्षण भारसाधक इंजीनियर की ओर से मुख्य तकनीकी परीक्षक द्वारा भी किया जा सकता है।

खंड 16. ठेकेदार किसी कार्य को ढकने या अन्यथा उसको ऐसी स्थिति में जिसमें उसकी माप न हो सके, लाने से पूर्व भारसाधक इंजीनियर अथवा उसके प्राधिकृत अधीनस्थ व्यक्ति को, जो उस कार्य का भारसाधक है, कम से कम सात दिन की लिखित सूचना देगा ताकि उसके इस प्रकार ढके जाने या ऐसी स्थिति में, जिसमें उसकी माप न हो सके, लाए जाने से पूर्व उसकी माप की जा सके और उसकी सही लम्बाई, चौड़ाई आदि नापी जा सके और ठेकेदार किसी भी कार्य को भारसाधक इंजीनियर या उसके उस प्राधिकृत अधीनस्थ व्यक्ति की लिखित सम्मति के बिना जो उस कार्य का भारसाधक है न तो ढकेगा और न ऐसी स्थिति में रखेगा कि उसकी माप न हो सके और भारसाधक इंजीनियर अथवा उसका प्राधिकृत अधीनस्थ व्यक्ति, जो उस कार्य का भारसाधक है, सात दिन की उपर्युक्त अवधि के भीतर कार्य का निरीक्षण करेगा और यदि कोई कार्य ऐसी सूचना दिए बिना, अथवा भारसाधक इंजीनियर की सम्मति प्राप्त किए बिना ढका जाएगा या ऐसी स्थिति में ले आया जाएगा कि उसका माप न हो सके तो वह कार्य ठेकेदार के खर्चे पर खोल दिया जाएगा और यदि ऐसा नहीं होता है तो इस प्रकार के कार्य या उस सामग्री के लिए जिनकी मदद से उसे निष्पादित किया गया था कोई संदाय या मोक नहीं दिया जाएगा।

कार्य को ढकने से पूर्व सूचना का दिया जाना।

खंड 17. यदि ठेकेदार या उसके कर्मकार या सेवक किसी ऐसे भवन के, जिसमें वे काम कर रहे हैं, किसी भाग को या उस परिसर से जिस पर कोई कार्य या उसका कोई भाग निष्पादित किया जा रहा है लगे हुए किसी भवन, सड़क, सड़क के मोड़, बाड़, अहाते, पानी के नल, केबिल, नालियों, विद्युत् या टेलीफोन के खम्भों या तारों, पेड़ों, घास या घास के मैदान या जोती गई भूमि को तोड़ेगा, विरूपित करेगा, नुकसान पहुंचाएगा या नष्ट करेगा या यदि कार्य में, उसकी प्रगति के दौरान, कोई नुकसान किसी भी कारण से हो जाएगा या 6 महीने (40,000 रुपए या उससे कम लागत के सड़क कार्य से भिन्न कार्य के लिए 3 महीने) के अन्दर कार्य में कोई खराबी, संकुचन या कोई अन्य दोष, भारसाधक इंजीनियर द्वारा उस कार्य के पूरा होने का अंतिम या अन्यथा प्रमाणपत्र, यथापूर्वोक्त, दे दिए जाने के पश्चात् प्रकट होते हैं, जो त्रुटिपूर्ण या अनुचित सामग्री या कार्य-कौशल से पैदा हुए हैं, तो ठेकेदार, उस निमित्त लिखित रूप से सूचना प्राप्त होने पर उसे अपने खर्चे पर ठीक करेगा और इसमें व्यतिक्रम होने पर भारसाधक इंजीनियर उसे अन्य कर्मकारों से ठीक करा सकेगा और उसके खर्च की कटौती ऐसी किसी राशि में से जो उस समय या तत्पश्चात् किसी समय ठेकेदार को देय हो जाए या एस्फाल्ट के काम से संबंधित भाग को, जो खंड 35 के उपपैरा (iii) द्वारा शासित होता है, छोड़कर उसके प्रतिभूति निक्षेप में से अथवा उसके या उसके पर्याप्त भाग के विक्रय आगम में से कर सकेगा। ठेकेदार का प्रतिभूति निक्षेप [उस भाग को छोड़कर जो एस्फाल्ट के काम से संबंधित है और जो खंड 35 के उपपैरा (iii) द्वारा शासित होता है] कार्य पूरा होने के अंतिम या अन्यथा प्रमाणपत्र के, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, दिए जाने के पश्चात् छह मास (सड़क कार्य से भिन्न 40,000 रुपए और उससे कम लागत के किसी कार्य की दशा में तीन मास) की समाप्ति से पूर्व या जब तक कि अंतिम बिल तैयार और पास नहीं हो जाता है, जो भी पश्चात्वर्ती हो, लौटाया नहीं जाएगा। परन्तु सड़क कार्य की दशा में, यदि भारसाधक इंजीनियर की राय में प्रतिभूति निक्षेप का आधा भाग ठेकेदार के संविदा के अधीन दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है तो, प्रतिभूति निक्षेप का आधा भाग कार्य पूरा होने के उक्त प्रमाणपत्र के दिए जाने के तीन मास के पश्चात् और बाकी आधा भाग कार्य पूरा होने का उक्त प्रमाणपत्र दिए जाने के छह मास के पश्चात् या अंतिम बिल के तैयार और पास हो जाने पर, इनमें से जो भी पश्चात्वर्ती हो, प्रतिदेय होगा।

प्रमाणपत्र के पश्चात् विहित अनुरक्षण अवधि के भीतर हुए नुकसान और पाई गई अपूर्णता के लिए ठेकेदार का दायी होना।

ठेकेदार द्वारा सभी सयंत्र, सीढ़ियों, पाड़ों आदि का प्रदाय किया जाना।

खंड 18. ठेकेदार कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपने व्यय पर सब सामग्री (ऐसी विशेष सामग्री के, यदि कोई हो, सिवाय जिसका प्रदाय संविदा के अनुसार भारसाधक इंजीनियर के भंडारों से किया जा सकता हो), संयंत्र, औजारों, साधनों, उपकरणों, सीढ़ियों, डोरियों, टेकन, पाड़ तथा कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित या उचित अस्थायी संकर्मों की व्यवस्था करेगा चाहे वे मूल, परिवर्तित या प्रतिस्थापित हों और चाहे संविदा के भागरूप विनिर्देशों या अन्य दस्तावेजों में सम्मिलित या इन शर्तों में निर्दिष्ट किए गए हों, या नहीं, या जो किसी ऐसे विषय के बारे में भारसाधक इंजीनियर की अपेक्षाओं को पूरा करने या उनका अनुपालन करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों, जिनके बारे में वह इन शर्तों के अधीन इस बात का हकदार है कि उसका समाधान होना चाहिए या जिनकी वह कार्यस्थल तक और वहां से उनके लाने ले जाने सहित अपेक्षा करने का हकदार है। ठेकेदार साधनों और सामग्री सहित अपेक्षित व्यक्तियों का प्रदाय बिना किसी प्रभार के करेगा जो संकर्म को आरम्भ करने और किसी भी समय और समय-समय पर कार्य अथवा सामग्री की गणना, तौल और माप या परीक्षा करने में सहायता देने के प्रयोजन के लिए आवश्यक हों। उसके ऐसा करने में असफल रहने पर भारसाधक इंजीनियर ठेकेदार के व्यय पर उसकी व्यवस्था कर सकेगा और जो व्यय होगा उसकी कटौती संविदा के अधीन ठेकेदार को शोध्य किसी धन में से और या उसके प्रतिभूति निक्षेप या उसके विक्रय आगमों या उसके पर्याप्त भाग के विक्रय आगम में से की जा सकेगी।

खंड 18क. ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 12 की उपधारा (1) के उपबंधों के आधार पर, सरकार, ठेकेदार द्वारा कार्यों का निष्पादन करने के लिए नियोजित कर्मकार को प्रतिकर का संदाय करने के लिए बाध्य है, सरकार इस प्रकार संदत्त प्रतिकर की रकम ठेकेदार से वसूल कर लेगी, और उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन सरकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार चाहे इस संविदा के अधीन या अन्यथा, प्रतिभूति निक्षेप में से या सरकार द्वारा ठेकेदार को शोध्य किसी राशि में से कटौती करके ऐसी रकम या उसका कोई भाग वसूल कर सकेगी। सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन उसके विरुद्ध किए गए किसी दावे का प्रतिवाद करने के लिए तभी बाध्य होगी, जब ठेकेदार ने लिखित प्रार्थना की है और सरकार को उन सभी खर्चों के लिए, जिनके लिए सरकार ऐसे दावे का प्रतिवाद करने के परिणामस्वरूप दायी होगी, पूर्ण प्रतिभूति दे दी है, अन्यथा नहीं।

खंड 18ख. ऐसे प्रत्येक मामले में जिसमें ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 और ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के उपबंधों के अधीन सरकार किसी ऐसे कर्मकार को मजदूरी की किसी राशि का संदाय करने के लिए बाध्य है जिसे ठेकेदार ने संकर्म के निष्पादन में नियोजित किया है या कल्याण और स्वास्थ्य संबंधी ऐसी सुख सुविधाओं की व्यवस्था करने में कोई खर्च उपगत करने के लिए बाध्य है जिनके बारे में उक्त अधिनियम और नियम खंड 19ज या के०लो०नि०वि० के ठेकेदार के श्रम विनियमों या के०लो०नि०वि० के ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य की संरक्षा और स्वच्छता संबंधी प्रबंधों के लिए समय-समय पर बनाए गए नियमों के अधीन यह अपेक्षा है कि उनकी व्यवस्था की जाए, सरकार इस प्रकार संदत्त मजदूरी की रकम या इस प्रकार उपगत व्यय की रकम ठेकेदार से वसूल करेगी और ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 की धारा 20 की उपधारा (2) और धारा 21 की उपधारा (4) के अधीन सरकार के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार ऐसी रकम या उसका कोई भाग प्रतिभूति निक्षेप में से या सरकार द्वारा ठेकेदार को चाहे इस संविदा के अधीन या अन्यथा देय किसी राशि में से कटौती करके वसूल कर सकेगी जब ठेकेदार लिखित अनुरोध करेगा और जब वह सरकार को ऐसे सभी खर्च के लिए पूरी प्रतिभूति दे देगा जिनके लिए सरकार ऐसे दावों पर प्रतिवाद करने में दायी हो सकती है, तभी सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20 की उपधारा (1) और धारा 21

की उपधारा (4) के अधीन उसके (सरकार के) विरुद्ध किए गए दावे का प्रतिवाद करने के लिए आबद्ध होगी, अन्यथा नहीं।

खंड 19. ठेकेदार कार्य आरंभ करने से पूर्व ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 और ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के अधीन विधिमान्य अनुज्ञप्ति प्राप्त करेगा और जब तक कार्य पूरा नहीं हो जाता है तब तक अपने पास विधिमान्य अनुज्ञप्ति रखेगा। श्रम।

इस अपेक्षा की पूर्ति करने में कोई असफलता होती है तो कार्य का निष्पादन न करने से उद्भूत होने वाले इस संविदा के शास्ति विषयक उपबंध लागू होंगे।

खंड 19क. अट्ठारह वर्ष से कम आयु के किसी भी श्रमिक को कार्य पर नियोजित नहीं किया जाएगा।

खंड 19ख. मजदूरी का संदाय : उचित मजदूरी खंड।

(क) ठेकेदार उन श्रमिकों को जिन्हें उसने सीधे ही या उप-ठेकेदारों के माध्यम से नियोजित किया है, ऐसी उचित मजदूरी से कम मजदूरी का संदाय नहीं करेगा, जो के० लो० नि० वि० के ठेकेदारों के श्रम विनियमों में परिभाषित है या जो ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 और ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के, जहां वे लागू हैं, उपबंधों के अनुसार है।

(ख) ठेकेदार, तत्प्रतिकूल किसी संविदा के उपबंधों के होते हुए भी, कार्य पर अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित श्रमिकों को उचित मजदूरी का संदाय कराएगा मानो वे श्रमिक सीधे उसी के द्वारा नियोजित किए गए थे। इन श्रमिकों में ऐसा श्रमिक भी सम्मिलित है जिसे उसके (ठेकेदार के) उप-ठेकेदारों ने उक्त कार्य के संबंध में नियोजित किया है।

(ग) इस करार का उस भाग के पालन के लिए जिसका पालन ठेकेदार को करना है, संकर्म में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से नियोजित सभी श्रमिकों के बारे में ठेकेदार मजदूरी के संदाय, मजदूरी अवधि, मजदूरी से कटौतियों, असंदत्त मजदूरी की वसूली और अप्राधिकृत रूप से की गई कटौतियों, मजदूरी पुस्तकों या मजदूरी पर्चियों के अनुरक्षण, मजदूरी के मापमान और नियोजन के अन्य निबंधनों के प्रकाशन, निरीक्षण और आवधिक विवरणियों के प्रस्तुत किए जाने तथा इसी प्रकार के अन्य सभी विषयों के संबंध में सरकार द्वारा बनाए गए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के ठेकेदारों के श्रम विनियम का या ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 या ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971, जहां कहीं वे लागू होते हैं, के उपबंधों का अनुपालन करेगा या कराएगा।

(घ) संबंधित मंडल अधिकारी को यह अधिकार है कि वह ठेकेदार को देय राशि में से ऐसी किसी राशि की कटौती कर ले, जो उस हानि की प्रतिभूति के लिए अपेक्षित है या अपेक्षित होने के लिए प्राक्कलित है, जो किसी कर्मकार या कर्मकारों ने संविदा की, कर्मकारों के फायदे वाली शर्तों के अपालन, मजदूरी के असंदाय या उसकी या उनकी मजदूरी में ऐसी कटौतियों के कारण उठाई है, जो उनकी संविदा के निबंधनों के अनुसार या विनियमों के अपालन के कारण न्यायोचित नहीं है।

(ङ) ठेकेदार मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, नियोजक-दायित्व अधिनियम, 1938, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 और ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 के उपबंधों का, उनके उपांतरों का और उनसे संबंधित अन्य विधियों और उनके अधीन समय-समय पर बनाए गए नियमों का पालन करेगा।

(च) ठेकेदार उक्त विधियों और के० लो० नि० वि० के ठेकेदारों के श्रम विनियम के पालन और उनके अधीन किए गए संदायों के लिए सरकार की क्षतिपूर्ति करेगा। अपने उप-ठेकेदारों से क्षतिपूर्ति का दावा करने के उसके अधिकार पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(छ) उक्त विनियम इस संविदा के भागरूप समझे जाएंगे और उनका कोई भी भंग इस संविदा का भंग समझा जाएगा।

खंड 19ग. इस करार में ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले कार्य को करने के लिए प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: नियोजित सभी श्रमिकों के संबंध में, ठेकेदार समय-समय पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा विरचित सुरक्षा संहिता के अनुरूप सुरक्षा की व्यवस्था अपने खर्चे पर करेगा और वह उनके संबंध में सभी सुविधाओं की व्यवस्था भी अपने खर्चे पर करेगा। यदि ठेकेदा उपर्युक्त इंतजाम करने और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करने में असफल रहता है तो वह हर व्यतिक्रम के लिए 50 रुपए की शास्ति का संदाय करने के लिए दायी होगा और इसके अतिरिक्त भारसाधक इंजीनियर उपर्युक्त इंतजाम और सुविधाओं की व्यवस्था कर सकेगा और इस संबंध में किए गए खर्च को ठेकेदार से वसूल कर सकेगा।

खंड 19घ. ठेकेदार हर मास की चौथी और उन्नीसवीं तारीख तक भारसाधक इंजीनियर को क्रमश: पूर्ववर्ती मास के उत्तरार्ध और चालू मास के पूर्वार्ध की बाबत निम्नलिखित दर्शाते हुए एक सही विवरण देगा :

(1) उसके द्वारा कार्य पर नियोजित श्रमिकों की संख्या,

(2) उनके काम के घंटे,

(3) उनको संदत्त मजदूरी,

(4) उक्त पखवाड़े के दौरान हुई दुर्घटनाएं जिनमें उन परिस्थितियों को जिनके अधीन वे घटित हुई और उनके द्वारा हुए नुकसान और क्षति का विस्तार दर्शित हो, और

(5) ऐसी स्त्री कर्मकारों की संख्या जिनको खंड 19च के अनुसार प्रसूति-प्रसुविधा अनुज्ञात की गई है और उनको संदत्त रकम।

ऐसा न करने पर ठेकेदार सरकार को प्रत्येक व्यतिक्रम या तात्विक रूप से अशुद्ध विवरण के लिए 50 रु० से अनधिक राशि के संदाय का दायी होगा। ठेकेदार को शोध्य किसी बिल में से जुर्माने के रूप में उद्गृहीत रकम की कटौती करने की बाबत, मंडल अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा।

खंड 19ङ. इस करार में ठेकेदार द्वारा किए जाने वाले कार्य को करने के लिए प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: नियोजित सभी श्रमिकों के संबंध में, ठेकेदार केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग और उसके ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मकारों के लिए समय-समय पर सरकार द्वारा बनाए गए स्वास्थ्य संरक्षण और सफाई व्यवस्था संबंधी सभी नियमों का पालन करेगा या कराएगा। कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य और सफाई संबंधी इंतजाम।

खंड 19च. छुट्टी के दौरान वेतन निम्न प्रकार से विनियमित किए जाएंगे:—

1. छुट्टी : ठेकेदारों द्वारा नियोजित स्त्री कर्मकारों के लिए प्रसूति-प्रसुविधा नियम।

(i) प्रसव की दशा में—अधिक से अधिक 8 सप्ताह की प्रसूति छुट्टी जिसमें 4 सप्ताह की छुट्टी प्रसव होने तक, जिसके अंतर्गत प्रसव का दिन भी है, और 4 सप्ताह की छुट्टी उस दिन के पश्चात् होगी,

(ii) गर्भपात की दशा में—गर्भपात की तारीख से 3 सप्ताह तक।

2. वेतन :

(i) प्रसव की दशा में--प्रसूति छुट्टी के दौरान छुट्टी वेतन की दर उस तारीख से, जिसको उस स्त्री ने इस बात की सूचना दी है कि वह प्रसवावस्था में होने की आशा करती है, ठीक पूर्व 3 मास की अवधि के दौरान के उन दिनों के लिए जब उसने पूर्णकालिक कार्य किया है, कुल उपार्जित मजदूरी पर संगणित औसत दैनिक उपार्जन की दर से या एक रुपए प्रतिदिन की दर से उनमें से जो भी अधिक हो, होगी।

(ii) गर्भपात की दशा में--छुट्टी वेतन की दर ऐसे गर्भपात की तारीख से ठीक पूर्व 3 मास की अवधि के दौरान के उन दिनों के लिए, जब उसने पूर्णकालिक कार्य किया है, कुल उपार्जित मजदूरी पर संगणित औसत दैनिक उपार्जन की दर से होगी।

3. प्रसूति छुट्टी की मंजूरी के लिए शर्तें :

कोई प्रसूति छुट्टी प्रसुविधा किसी स्त्री को तब तक अनुज्ञेय नहीं होगी जब तक कि वह उस तारीख से, जिसको वह छुट्टी पर जा रही है, ठीक पूर्व कम से कम छह मास की कुल अवधि के लिए नियोजित न रह चुकी हो।

4. ठेकेदार, प्रसूति (प्रसुविधा) का एक रजिस्टर विहित प्ररूप में रखेगा जो नीचे दिखाया गया है और वह रजिस्टर कार्य के स्थान पर रखा जाएगा।

प्रसूति-प्रसुविधाओं का रजिस्टर

(संविदा की शर्तों का खण्ड 19घ)

ठेकेदार/ठेकेदारों का नाम और पता ....

कार्य का नाम और अवस्थिति ....

कर्मचारी का नाम	पिता/पति का नाम	नियोजन का स्वरूप	वास्तविक नियुक्ति की अवधि	तारीख जिसको प्रसवावस्था की सूचना दी गई
1	2	3	4	5

प्रसव/गर्भपात की तारीख	तारीख जिसको प्रसूति छुट्टी प्रारम्भ हुई और समाप्त हुई			
	प्रसव की दशा में		गर्भपात की दशा में	
	प्रारंभ हुई	समाप्त हुई	प्रारंभ हुई	समाप्त हुई
6	7	8	9	10

कर्मचारी को संदत्त छुट्टी वेतन				टिप्पणियां
प्रसव की दशा में		गर्भपात की दशा में		
छुट्टी वेतन की दर	संदत्त रकम	छुट्टी वेतन की दर	संदत्त रकम	
11	12	13	14	15

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के संकर्मों में ठेकेदारों के श्रमिकों को अनुज्ञेय प्रसूति-प्रसुविधा के बारे में रजिस्टर का नमूना प्ररूप

कार्य का नाम............... ठेकेदार का नाम..............

1. स्त्री का और उसके पति का नाम :
2. पदनाम :
3. नियुक्ति की तारीख :
4. मास और वर्ष सहित वह तारीख जब उसे नियोजित किया गया :
5. सेवोन्मुक्त/पदच्युत किए जाने की तारीख, यदि कोई हो :
6. गर्भधारण संबंधी प्रमाणपत्र पेश किए जाने की तारीख :
7. वह तारीख जब स्त्री प्रत्याशित प्रसव के बारे में इत्तिला देती है :
8. प्रसव/गर्भपात/मृत्यु की तारीख :
9. प्रसव/गर्भपात संबंधी प्रमाणपत्र पेश किए जाने की तारीख :
10. प्रत्याशित प्रसव से पूर्व संदत्त प्रसूति/मृत्यु प्रसुविधा की रकम और उसकी तारीख :
11. तत्पश्चात् प्रसूति-प्रसुविधा के संदाय की रकम और उसकी तारीख :
12. स्त्री की मृत्यु के बाद उसकी प्रसूति-प्रसुविधा का संदाय प्राप्त करने के लिए उस स्त्री द्वारा नामनिर्देशित व्यक्ति का नाम :
13. यदि महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसकी मृत्यु की तारीख, उस व्यक्ति का नाम जिसे प्रसूति-प्रसुविधा की रकम संदत्त की गई, संदाय की तारीख और मास :
14. रजिस्टर की प्रविष्टियों को अधिप्रमाणित करते हुए ठेकेदार के हस्ताक्षर :
15. निरीक्षण अधिकारी के उपयोग के लिए टिप्पणी स्तम्भ :

खंड 19छ. यदि ठेकेदार, कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य संरक्षण और सफाई व्यवस्था संबंधी, समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ठेकेदार श्रम विनियमों और आदर्श नियमों के उपबंधों में से किसी का व्यतिक्रम या भंग करेगा या उपर्युक्त विनियमों या नियमों के उपबंधों के अधीन कोई ऐसी जानकारी देगा या ऐसा कोई विवरण देगा या फाइल करेगा जो तात्विक रूप से अशुद्ध है तो वह/वे किसी अन्य दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, हर व्यतिक्रम, भंग के लिए या तात्विक रूप से ऐसे अशुद्ध विवरणों के देने, बनाने, प्रस्तुत करने, फाइल करने के लिए सरकार को 50 रुपए से अनधिक की राशि संदत्त करेगा और इस संबंध में ठेकेदार द्वारा लगातार व्यतिक्रम करने की दशा में शास्ति को बढ़ाकर व्यतिक्रम के प्रत्येक दिन के लिए 50 रुपए किया जा सकेगा किन्तु उसकी अधिकतम राशि उस कार्य की, जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गई है, प्राक्कलित लागत की 5 प्रतिशत होगी। भारसाधक इंजीनियर का विनिश्चय अंतिम और पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

यदि भारसाधक इंजीनियर को यह प्रतीत होता है कि ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा नियोजित कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य संरक्षण और सफाई व्यवस्था संबंधी केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ठेकेदार श्रम विनियम और आदर्श नियमों के उपबंधों तथा ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 तथा ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के उपबंधों का (जिन्हें इसमें आगे "उक्त नियम" कहा गया है) ठेकेदार उचित रूप से अनुपालन और अनुवर्तन नहीं कर रहा है/कर रहे हैं, तो भारसाधक इंजीनियर को यह शक्ति होगी कि वह ठेकेदार/ठेकेदारों को लिखित सूचना देकर उससे/उनसे अपेक्षा करे कि उक्त नियमों का अनुपालन किया जाए और उनमें विहित सुख-सुविधाएं सूचना में

विनिर्दिष्ट किए जाने वाले उचित समय के भीतर कर्मकारों को दी जाएं। यदि ठेकेदार सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त नियमों का अनुवर्तन और अनुपालन करने में और कर्मकारों को उपर्युक्त सुख-सुविधाएं देने में असफल रहता है तो भारसाधक इंजीनियर को, ठेकेदार (ठेकेदारों) के व्यय पर, इसमें इसके पूर्ववर्णित सुख-सुविधाओं की व्यवस्था करने की शक्ति होगी। ठेकेदार कार्य के निष्पादन के संबंध में कार्य-स्थल पर अपने कर्मकारों के लिए अपेक्षित आवश्यक झोंपड़ियों का परिनिर्माण और सफाई व्यवस्था अपने खर्च पर और अनुमोदित मानकों के अनुरूप करेगा और उन्हें बनाए रखेगा और यदि उनका परिनिर्माण या निर्माण अनुमोदित मानकों के अनुसार नहीं कराया गया तो भारसाधक इंजीनियर को यह शक्ति होगी कि वह ठेकेदार (ठेकेदारों) को लिखित सूचना दे कर यह अपेक्षा करे कि अनुमोदित मानकों के अनुसार ऐसी झोंपड़ियों और सफाई संबंधी व्यवस्थाओं का पुनः प्रतिरूपण और/या पुनर्निर्माण कराया जाए और यदि ठेकेदार सूचना में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुमोदित मानकों के अनुसार ऐसी झोंपड़ियों और सफाई संबंधी व्यवस्थाओं का पुनः प्रतिरूपण या पुनर्निर्माण करने में असफल रहता है/रहते हैं तो भारसाधक इंजीनियर को ठेकेदार (ठेकेदारों) के व्यय पर, अनुमोदित मानकों के अनुसार ऐसी झोंपड़ियों और सफाई संबंधी व्यवस्थाओं का पुनः प्रतिरूपण अथवा पुनर्निर्माण कराने की शक्ति होगी।

खंड 19-ज. ठेकेदार अपने श्रमिकों के लिए अपने खर्च पर, उपयुक्त भूखण्ड पर, जिसे भारसाधक इंजीनियर अनुमोदित करेगा, निम्नलिखित विनिर्देशों वाली झोंपड़ियों की (जिन्हें इसमें आगे कैम्प कहा गया है) पर्याप्त संख्या में व्यवस्था करेगा/करेंगे।

1. (क) प्रत्येक झोंपड़ी की ओलती तल पर ऊंचाई 2.10 मीटर (7 फुट) होगी और फर्श का क्षेत्रफल श्रमिक के साथ रहने वाले उसके कुटुम्ब के प्रत्येक सदस्य के लिए 2.7 वर्ग मीटर (30 वर्ग फुट) के हिसाब से होगा।

(ख) इसके अतिरिक्त ठेकेदार प्रत्येक कुटुम्ब के लिए झोंपड़ी के बगल में उपयुक्त रसोई घर बनाएगा जिसका क्षेत्रफल कम से कम 1.80 मीटर × 1.50 मीटर (6 फुट × 5 फुट) होगा।

(ग) ठेकेदार श्रमिकों के उपयोग के लिए अस्थायी शौचालयों और मूत्रालयों का भी निर्माण कराएगा/कराएंगे जो उनकी कुल संख्या के प्रत्येक सौ के लिए चार से कम नहीं होंगे। स्त्रियों के लिए अलग शौचालय और मूत्रालय होंगे।

(घ) ठेकेदार पर्याप्त संख्या में स्नानगृहों और धुलाई के स्थानों का निर्माण कराएगा/कराएंगे जो कैम्प में निवास करने वाले प्रत्येक 25 व्यक्तियों के लिए एक के हिसाब से होंगे। इन स्नानगृहों और धुलाई स्थानों पर यथोचित आड़ होगी।

2. (क) सभी झोंपड़ियों की दीवारें धूप में सुखाई गई या पकाई गई ईंटों की होंगी जो गारे या अन्य ऐसी यथोचित स्थानीय सामग्री से, जो भारसाधक इंजीनियर द्वारा अनुमोदित की जाए, जोड़ी जाएंगी। धूप में सुखाई गई ईंटों की दशा में दीवारों की दोनों ओर मिट्टी-गोबर का पलस्तर किया जाएगा। फर्श कच्चा हो सकता है किन्तु उस पर मिट्टी-गोबर का पलस्तर होगा और वह आसपास की भूमि से कम से कम 15 सेन्टीमीटर (6 इंच) की ऊंचाई पर होगा। छत फूस से या किसी अन्य ऐसी सामग्री से बनाई जाएगी जो भारसाधक इंजीनियर द्वारा अनुमोदित की जाए और ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि जब तक उनमें लोग रहें, छतों से पानी न टपके।

(ख) ठेकेदार प्रत्येक झोंपड़ी में उचित संवातन की व्यवस्था करेगा/करेंगे।

(ग) सभी द्वारों, खिड़कियों और रोशनदानों में सुरक्षा के प्रयोजनों के लिए उपयुक्त किवाड़ लगाए जाएंगे।

(घ) झोंपड़ियों की कतारों के बीच कम से कम 7.2 मीटर (8 गज) की खुली जगह रखी जाएगी जो स्थान की उपलब्धता के अनुसार भारसाधक इंजीनियर के अनुमोदन से घटा कर 6 मीटर (20 फुट) की जा सकती है। इस प्रकार से निर्माण की इजाजत होगी कि झोंपड़ियों के पिछवाड़े आपस में सटे हों।

3. **जल प्रदाय**—ठेकेदार श्रमिकों के उपयोग के लिए पर्याप्त जल प्रदाय की व्यवस्था करेगा/करेंगे। पीने के प्रयोजनों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कम से कम 2 गैलन शुद्ध और स्वास्थप्रद जल तथा स्नान और धुलाई के प्रयोजनों के लिए प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कम से कम 3 गैलन स्वच्छ जल की व्यवस्था होगी। जहां नल द्वारा जल प्रदाय उपलब्ध हो वहां जल प्रदाय स्टैण्ड-पोस्टों (नल खंभों) पर होगा और जहां जल प्रदाय कुओं या नदी से हो वहां ऐसी टंकियों की व्यवस्था होगी जो धातु की बनी हों या चिनाई की हों। ठेकेदार विद्यमान मेन्स (जल प्रदाय के मुख्य पाइप) से जहां कहीं वे उपलब्ध हों, अपने खर्च पर अपने श्रमिक कैम्प को जल के प्रदाय के लिए पाइप बिछाने की व्यवस्था करेगा/करेंगे और उसके लिए सभी फीस और प्रभारों का संदाय करेगा/करेंगे।

4. कैम्प के लिए चुना गया स्थान जगल से हटकर ऊंची भूमि पर होगा।

5. **मल-मूत्र का निपटान**—ठेकेदार शौचालयों के मल-मूत्र के निपटान के लिए खाइयां खोद कर अथवा भस्मीकरण द्वारा ऐसे आवश्यक इंतजाम करेगा/करेंगे जो स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित अपेक्षाओं के अनुसार होंगे। यदि खाइयों का खोदना या भस्मीकरण अनुज्ञात न हो तो ठेकेदार नगरपालिका समिति/प्राधिकारी के माध्यम से मल-मूत्र को हटवाने का इंतजाम करेगा/करेंगे और उसे नियोजित श्रमिकों की संख्या के विषय में जानकारी देगा/देंगे जिससे कि ऐसी समिति/प्राधिकारी मल-मूत्र के हटवाने का इंतजाम कर सके। इस संबंध में सभी प्रभार ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे और उनका संदाय उसके द्वारा सीधे नगरपालिका/प्राधिकारी को किया जाएगा। शुष्क शौचालयों की दशा में ठेकेदार प्रति आठ कदमचों के लिए एक झाड़कश की व्यवस्था करेगा।

6. **जल निकास**–ठेकेदार गंदे पानी की निकासी के लिए कारगर इंतजाम करेगा जिससे कि कैम्प साफ-सुथरा रहे।

7. ठेकेदार दुर्घटनाओं से कर्मकारों के बचाव के लिए कैम्प क्षेत्र में प्रकाश का पर्याप्त इंतजाम करेगा/करेंगे।

8. **सफाई**—ठेकेदार स्थानीय लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा प्राधिकारियों के नियमों के अनुसार श्रमिक कैम्पों में मलवहन और सफाई के लिए इंतजाम करेगा/करेंगे।

खंड 19झ. भारसाधक इंजीनियर, ठेकेदार से अपेक्षा कर सकेगा कि वह ऐसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को, जिसे ठेकेदार ने काम पर नियोजित किया है, पदच्युत कर दे या कार्य स्थल से हटा दे जो अक्षम है/हैं या जो अवचार करता है/करते हैं, और ठेकेदार ऐसी अपेक्षाओं का तुरन्त पालन करेगा।

खंड 19–ञ. यह जिम्मेदारी ठेकेदार की है कि वह यह ध्यान रखे कि निर्माणाधीन भवन पर उसके निर्माण के दौरान कोई व्यक्ति अवैध रूप से दखल न करे तथा वह पूरे भवन का खाली कब्जा भारसाधक इंजीनियर को सौंप दे। यदि भवन पूरा बन गया है किन्तु उस पर किसी ने अवैध रूप से दखल कर लिया है तो भारसाधक इंजीनियर को यह विकल्प होगा कि वह उक्त भवन/भवनों को उस हालत में स्वीकार करने से इंकार कर दे और इस कारण हुए विलम्ब को निर्माण पूरा होने में विलम्ब माना जाएगा और अधीक्षण इंजीनियर ऐसे विलम्ब के लिए उस प्राक्कलित लागत के, जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गई है, 5 प्रतिशत तक उद्ग्रहण अधिरोपित कर सकेगा। अधीक्षण इंजीनियर का विनिश्चय औचित्य और मात्रा, दोनों के संबंध में अंतिम होगा।

अधीक्षण इंजीनियर सूचना देकर ठेकेदार से अपेक्षा कर सकेगा कि वह निर्माण और परिदान के पूर्व अवैध दखल हटवा दे।

खण्ड 20. ठेकेदार न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948, ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 और उनके अधीन बनाए गए नियमों के और ठेका श्रम को प्रभावित करने वाली अन्य विधियों के, जो समय-समय पर प्रवृत्त की जाएं, सभी उपबंधों का पालन करेगा।

काम का उप-पट्टे पर न दिया जाना। उप-पट्टे पर देने, रिश्वत देने के कारण या यदि ठेकेदार दिवालिया हो जाता है तो संविदा को विखंडित और प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत किया जा सकेगा।

खण्ड 21. संविदा का, भारसाधक इंजीनियर के लिखित अनुमोदन के बिना न तो समनुदेशन किया जाएगा और न वह उप-पट्टे पर दी जाएगी। यदि ठेकेदार अपनी संविदा को समनुदेशित करेगा या उप-पट्टे पर देगा अथवा ऐसा करने का प्रयत्न करेगा अथवा दिवालिया हो जाएगा या दिवाला विषयक कार्यवाहियां प्रारंभ करेगा अथवा अपने लेनदारों से कोई प्रशमन करेगा या ऐसा करने का प्रयत्न करेगा अथवा यदि ठेकेदार या उसका कोई सेवक या अभिकर्ता किसी लोक अधिकारी या सरकार के नियोजन में व्यक्ति को किसी रूप से उसके पद अथवा नियोजन के संबंध में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई रिश्वत, उपदान, दान, उधार, परिलब्धि, इनाम या भत्तीय अथवा अन्यथा फायदा पहुंचाएगा, देने का वायदा करेगा या प्रस्थापना करेगा या यदि ऐसा अधिकारी या व्यक्ति संविदा में किसी भी प्रकार से प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः हितबद्ध होगा तो भारत के राष्ट्रपति की ओर से भारसाधक इंजीनियर को खंड 3 में विनिर्दिष्ट कोई भी कार्यवाही, जिसे वह सरकार के हित में सर्वोत्तम रूप से उपयुक्त समझे, करने की शक्ति होगी और यदि इनमें से कोई भी कार्यवाही की जाती है तो उसके वे परिणाम होंगे जो उक्त खंड 3 में विनिर्दिष्ट हैं।

प्रतिकर के तौर पर संदेय राशियों का वास्तविक हानि के प्रति निर्देश के बिना उचित प्रतिकर के रूप में समझा जाना।

खंड 22. इन शर्तों में से किसी शर्त के अधीन प्रतिकर के रूप में संदेय सब राशियां वास्तविक रूप से हुई हानि या नुकसान के प्रति निर्देश के बिना, और चाहे कोई नुकसान हुआ हो अथवा नहीं, सरकार के उपयोग में लाए जाने के लिए उचित प्रतिकर समझी जाएंगी।

गठन में परिवर्तन।

खण्ड 23. जहां ठेकेदार भागीदारी फर्म है वहां फर्म के गठन में कोई भी परिवर्तन करने से पूर्व भारसाधक इंजीनियर का लिखित पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा। जहां ठेकेदार व्यष्टि है या हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कारबारी समुत्थान है वहां इससे पूर्व कि ठेकेदार कोई ऐसा भागीदारी करार करे जिसके अधीन भागीदारी फर्म को वह कार्य करने का अधिकार होगा जो ठेकेदार ने इसके द्वारा अपने हाथ में लिया है, उक्त अनुमोदन उसी प्रकार से प्राप्त किया जाएगा। यदि उपर्युक्त पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है तो यह समझा जाएगा कि संविदा का अनुमोदन इसके खंड 21 का उल्लेख करते हुए किया गया है और उस पर वही कार्रवाई की जा सकेगी तथा उसके वही परिणाम होंगे जो उक्त खंड 21 में उपबंधित हैं।

कार्यों का भारसाधक इंजीनियर के निदेशाधीन होना।

खण्ड 24. संविदा के अधीन किया जाने वाला सब कार्य हर प्रकार से भारसाधक इंजीनियर के निदेशाधीन और उसके अनुमोदन के अधीन रहते हुए निष्पादित किया जाएगा और उस भारसाधक इंजीनियर को यह निदेश करने का हक होगा कि वे कार्य किस स्थान या किन स्थानों पर और किस प्रकार से आरम्भ किए जाते हैं और समय-समय पर चलाए जाते हैं।

माध्यस्थम् द्वारा विवादों का निपटारा।

खंड 25. जहां संविदा में अन्यथा उपबंधित है, वहां के सिवाय इसमें इसके पूर्व वर्णित विनिर्देशों, डिजाइनों, आरेखनों और अनुदेशों के अर्थ से संबंधित और कार्य में प्रयुक्त कर्मकौशल या सामग्री की क्वालिटी के संबंध में या किसी अन्य प्रश्न, दावे, अधिकार, बात या चीज के संबंध में, वह चाहे जो भी हो, जो संविदा, डिजाइनों, प्रारेखनों, विनिर्देशों, प्राक्कलनों, अनुदेशों या इन शर्तों से किसी प्रकार उद्भूत हुई है या उससे संबद्ध है, या अन्यथा कार्यों के संबंध में है अथवा उनके निष्पादन या निष्पादन में असफलता से संयुक्त है, सभी प्रश्न और विवाद चाहे वे कार्य की प्रगति के दौरान या उसके पूरे हो जाने या परित्याग के पश्चात् उद्भूत हुए हैं विवाद के समय कार्य के भारसाधक मुख्य इंजीनियर, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा या यदि कोई मुख्य इंजीनियर नहीं है तो ऐसी नियुक्ति के समय उक्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के प्रशासनिक प्रधान द्वारा नियुक्त व्यक्ति के एकमात्र माध्यस्थम् को निर्देशित किए जाएंगे। ऐसी नियुक्ति के विरुद्ध यह आपत्ति नहीं की जा सकेगी कि इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ सरकारी सेवक है, कि उसे उन बातों के संबंध में कार्यवाही करनी पड़ी थी जिनका संबंध संविदा से है और यह कि सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के अनुक्रम में उसने विवाद या

मतभेद वाले विषयों में से सभी पर या किन्हीं पर अपने विचार व्यक्त किए थे। उस मध्यस्थ के, जिसको विवाद मूलतः निर्दिष्ट किया गया है स्थानान्तरित होने या अपना पद रिक्त करने पर या किसी कारणवश कार्य करने में असमर्थ होने पर, ऐसे स्थानान्तरण, पद रिक्त करने या कार्य करने में असमर्थ होने के समय उक्त मुख्य इंजीनियर या प्रशासनिक प्रधान संविदा के निबंधनों के अनुसार किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करेगा। ऐसा व्यक्ति निर्देश के संबंध में उस प्रक्रम से जिस पर उसके पूर्ववर्ती ने उसे छोड़ा था, आगे कार्यवाही करने का हकदार होगा। इस संविदा का एक निबंधन यह भी है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उक्त इंजीनियर या प्रशासनिक प्रधान द्वारा नियुक्त व्यक्ति से भिन्न अन्य किसी व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए और यदि किसी कारण से ऐसा संभव नहीं है तो विवाद माध्यस्थम् को निर्देशित ही नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी मामलों में जिनमें प्रश्नगत दावे की रकम 50,000 रु० (पचास हजार रुपए) या उससे अधिक है, मध्यस्थ अपने पंचाट का कारण देगा।

ऊपर जो कुछ कहा गया है उसके अधीन रहते हुए माध्यस्थम अधिनियम, 1940 या उसके कानूनी उपांतर या पुनराधिनियमित और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध, जो तत्समय प्रवृत्त हों, इस खण्ड के अधीन माध्यस्थम् कार्यवाही को लागू होंगे।

इस संविदा का एक निबंधन यह भी है कि माध्यस्थम् का इच्छुक पक्षकार इस खण्ड के अधीन माध्यस्थम् को निर्देशित किए जाने वाले विवाद या विवादों के साथ प्रत्येक ऐसे विवाद के संबंध में दावा की गई रकम या रकमों को भी विनिर्दिष्ट करेगा।

इस संविदा का एक निबंधन यह भी है कि यदि ठेकेदार सरकार से यह सूचना मिलने के, कि बिल संदाय के लिए तैयार है, 90 दिन के भीतर लिखित रूप में किसी दावे (दावों) की बाबत माध्यस्थम् की कोई मांग नहीं करता है/करते हैं तो ठेकेदार (ठेकेदारों) का दावा अधित्यक्त और पूर्ण रूप से वर्जित माना जाएगा, और सरकार संविदा के अधीन उन दावों के संबंध में सब दायित्वों से उन्मोचित और निर्मुक्त हो जाएगी।

मध्यस्थ पंचाट देने या प्रकाशित करने के समय को पक्षकारों की सम्मति से समय-समय पर बढ़ा सकेगा/सकेंगे।

खण्ड 25. घटिया स्तर के उस कार्य के लिए जिसे स्वीकार करने का विनिश्चय किया जाए, दरों में कमी की मात्रा तथा उसके औचित्य के संबंध में अधीक्षण इंजीनियर का विनिश्चय अंतिम होगा और उसके बारे में माध्यस्थम् की कार्यवाही नहीं की जा सकेगी।

खण्ड 26. ठेकेदार पेटेन्ट या डिजाइन या किन्हीं अभिकथित पेटेन्ट या डिजाइन अधिकारों के अतिलंघन या उपयोग से संबद्ध किसी कार्रवाई, दावे या कार्यवाही के विषय में भारत के राष्ट्रपति की पूरी क्षतिपूर्ति करेगा और ऐसे स्वामिस्वों का संदाय करेगा जो संविदा में सम्मिलित किसी वस्तु या उसके भाग के बारे में संदेय हों। उक्त विषयों में से किसी के बारे में सरकार के विरुद्ध किए गए किसी अनुयोग के अधीन किए गए दावे की दशा में ठेकेदार को उसकी सूचना तुरन्त दी जाएगी और ठेकेदार, अपने खर्चों पर, कोई विवाद तय कर सकेगा या उससे उत्पन्न होने वाले मुकदमे का संचालन कर सकेगा। परंतु यदि पेटेन्ट या डिजाइन अथवा अभिकथित पेटेन्ट या डिजाइन अधिकार का अतिलंघन भारसाधक इंजीनियर द्वारा इस निमित्त पारित किसी आदेश का सीधा परिणाम है तो ठेकेदार भारत के राष्ट्रपति की क्षतिपूर्ति करने के लिए दायी नहीं होगा। पेटेन्ट अधिकार।

खण्ड 27. जब उस प्राक्कलन के अंतर्गत, जिस पर निविदा की जाती है, कार्य के भागों के बारे में एकमुश्त राशियां हों तब ठेकेदार अन्तर्वलित कार्य मदों या प्रश्नगत कार्य के भाग के बारे में उन्हीं दरों पर संदाय के लिए हकदार होगा, जो ऐसी मदों के लिए इस संविदा के अधीन संदेय है, और यदि प्रश्नगत कार्य का भाग भारसाधक इंजीनियर की राय में माप के योग्य नहीं है तो भारसाधक इंजीनियर प्राक्कलन में दर्ज एकमुश्त रकम का अपने विवेक के अनुसार संदाय कर सकेगा, और यदि प्रश्नगत कार्य का भाग भारसाधक इंजीनियर की राय में माप प्राक्कलनों में एकमुश्त राशियां।

के योग्य नहीं है तो भारसाधक इंजीनियर का प्रमाणपत्र इस खंड के उपबंधों के अधीन ठेकेदार को संदेय किसी राशि या राशियों के संबंध में ठेकेदार के विरुद्ध अंतिम और निश्चयात्मक होगा।

जहां कोई विनिर्देश नहीं है वहां कार्यवाई।

खण्ड 28. किसी ऐसे कार्य-वर्ग की दशा में, जिसके लिए ऐसा कोई विनिर्देश नहीं है जिसका वर्णन नियम 1 में किया गया है, ऐसा कार्य जिला विनिर्देश के अनुसार किया जाएगा और यदि कोई जिला विनिर्देश न हो तो ऐसी दशा में कार्य सब बातों में भारसाधक इंजीनियर के अनुदेशों और अपेक्षाओं के अनुसार किया जाएगा।

n holding and in respect of s claimed.

दावाकृत रकम का रोक लिया जाना और उसके संबंध में धारणाधिकार।

खण्ड 29. जब कभी ठेकेदार के विरुद्ध किसी धनराशि के संदाय के लिए कोई दावा या दावे संविदा में या उसके अधीन उद्भूत होता है होते हैं तब यदि ठेकेदार ने कोई प्रतिभूति जमा की है तो भारसाधक इंजीनियर या सरकार को उसमें से ऐसी पूरी राशि या उसका भाग रोक लेने का हक और उसे प्रतिधारित करने का धारणाधिकार भी होगा तथा उक्त प्रयोजन के लिए भारसाधक इंजीनियर या सरकार को हक होगा कि वह दिए गए प्रतिभूति निक्षेप को, यदि कोई हो, ऐसे किसी दावे का अंतिम निपटारा या न्यायनिर्णयन होने तक अपने पास रोक ले और उस पर उसका धारणाधिकार भी होगा। यदि प्रतिभूति की रकम दावाकृत रकम या रकमों के लिए पर्याप्त नहीं है या यदि ठेकेदार से कोई प्रतिभूति नहीं ली गई है तो भारसाधक इंजीनियर या सरकार को, ऐसे दावे का अन्तिम निपटारा या न्यायनिर्णयन होने तक, ऐसी राशि या राशियों में से जो उसी संविदा के या भारसाधक इंजीनियर या सरकार या भारसाधक इंजीनियर के माध्यम से किसी संविदाकारी व्यक्ति के साथ की गई किसी अन्य संविदा के अधीन ठेकेदार को संदेय पाई जाएं या तत्पश्चात किसी समय संदेय हो जाएं, उस दावाकृत रकम या रकमों के बराबर जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, रकम रोक लेने का हक और उसे प्रतिधारित करने का धारणाधिकार होगा।

इस संविदा की करार पाई गई एक शर्त यह है कि भारसाधक इंजीनियर या सरकार द्वारा रोकी गई या धारणाधिकार के अधीन प्रतिधारित की गई ऐसी रकम या रकमों को, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, भारसाधक इंजीनियर या सरकार द्वारा तब तक रोक रखा या प्रतिधारित किया जाएगा जब तक संविदा में या उसके अधीन उद्भूत दावे का, यथास्थिति, मध्यस्थ द्वारा (यदि संविदा माध्यस्थम् खण्ड द्वारा शासित होती है) या सक्षम न्यायालय द्वारा अवधारण नहीं कर दिया जाता है और यह कि इस प्रकार रोक रखने या धारणाधिकार के अधीन प्रतिधारण के, संबंध में, जिसका ऊपर उल्लेख किया गया है और जिसकी ठेकेदार को सम्यक् सूचना दे दी गई है, ठेकेदार किसी भी ब्याज या नुकसानी के लिए कोई दावा नहीं कर सकेगा। इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, जहां ठेकेदार भागीदारी फर्म या लिमिटेड कंपनी है, भारसाधक इंजीनियर या सरकार को, ऐसी किसी राशि में से जो, यथास्थिति, किसी भागीदार लिमिटेड कम्पनी को उसकी वैयक्तिक हैसियत से या अन्यथा संदेय पाई गई है, इस प्रकार दावा की गई पूरी रकम या उसके भाग के लेखे रकम रोक लेने का हक और उसे प्रतिधारित करने का धारणाधिकार भी होगा।

अन्य संविदाओं में दावों के संबंध में धारणाधिकार।

खण्ड 29क. भारसाधक इंजीनियर या सरकार या भारसाधक इंजीनियर के माध्यम से कोई अन्य संविदाकारी व्यक्ति, इस संविदा के अधीन ठेकेदार को शोध्य और संदेय कोई धनराशि (जिसके अंतर्गत वह प्रतिभूति निक्षेप भी है जो उसे लौटाया जाना है), ठेकेदार द्वारा भारसाधक इंजीनियर या सरकार या ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के साथ की गई किसी अन्य संविदा में या के अधीन उद्भूत होने वाली किसी धनराशि के संदाय के बारे में भारसाधक इंजीनियर या सरकार या ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी दावे के मद्दे रोक सकेगा या धारणाधिकार के रूप में प्रतिधारित कर सकेगा।

इस संविदा की करार पाई गई एक शर्त यह है कि भारसाधक इंजीनियर या सरकार द्वारा इस खण्ड के अधीन रोकी गई या प्रतिधारित की गई ऐसी धनराशि या धनराशियों को, जिनका उल्लेख ऊपर किया गया है, भारसाधक इंजीनियर या सरकार द्वारा तब तक रोक रखा या

प्रतिधारित किया जाएगा जब तक उसी संविदा या किसी अन्य संविदा से उद्भूत उसका दावा यथास्थिति, परस्पर तय नहीं हो जाता है या उसका अवधारण माध्यस्थम् खण्ड के अधीन या सक्षम न्यायालय द्वारा नहीं हो जाता है और यह कि इस खण्ड के अधीन रोकी गई या प्रतिधारित की गई किसी धनराशि के, जिसकी ठेकेदार को सम्यक् सूचना दे दी गई है, संबंध में ठेकेदार किसी भी ब्याज या नुकसानी के लिए इस आधार पर अथवा किसी अन्य आधार पर कोई दावा नहीं कर सकेगा।

कोयला खान या नियंत्रित क्षेत्र श्रमिकों के नियोजन के विरुद्ध प्रतिषेध।

खण्ड 30. ठेकेदार किसी भी प्रवर्ग के अधीन आने वाले कोयला खान या नियंत्रित क्षेत्र श्रमिकों को न तो कार्य पर या उसके संबंध में नियोजित करेगा और न नियंत्रित क्षेत्र के चारों ओर 32 किलोमीटर (20 मील) के भीतर के क्षेत्र के श्रमिकों को भर्ती करेगा। उपर्युक्त के अधीन रहते हुए, ठेकेदार केवल आयातित, अर्थात्, डिपो आयातित श्रमिकों या ऐसे क्षेत्रों से, जिनसे आयात अनुज्ञात है, ठेकेदार द्वारा आयातित श्रमिकों को नियोजित करेगा।

जहां आयातित श्रमिकों के लिए अधिकतम मजदूरी राज्य या प्रादेशिक श्रम समितियों द्वारा नियत कर दी गई है, वहां ठेकेदार श्रमिकों को इन अधिकतम मजदूरी से अधिक मजदूरी का संदाय नहीं करेगा।

ठेकेदार किसी ऐसे श्रमिक को तुरन्त हटाएगा, जिसके बारे में भारसाधक इंजीनियर यह कहे कि वह कोयला खान या नियंत्रित क्षेत्र श्रमिक है। यदि ठेकेदार ऐसा करने में असफल रहता है तो वह प्रतिदिन प्रति श्रमिक 10 रुपए की दर से संगणित राशि सरकार को संदाय करने के लिए दायी होगा। कोयला खान या नियंत्रित क्षेत्र श्रमिकों की संख्या और उन दिनों की संख्या के विषय में, जब उन्होंने कार्य किया है, भारसाधक इंजीनियर का प्रमाणपत्र अंतिम और इस संविदा के सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

इसके पक्षकारों द्वारा यह घोषणा की जाती है और उनके बीच यह करार किया जाता है कि इस खण्ड का पूर्वोक्त अनुबंध ऐसा है, जिसमें भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 74 के अपवाद के अर्थान्तर्गत जनता हितबद्ध है।

स्पष्टीकरण—"नियंत्रित क्षेत्र" से निम्नलिखित क्षेत्र अभिप्रेत है :—

मानभूम, हजारीबाग जिले, संथाल परगना का जामताड़ा उपखंड। बिहार

बांकुरा, बीरभूम, बर्दवान जिले। पश्चिमी बंगाल।

बिलासपुर जिला। मध्य प्रदेश।

कोई अन्य क्षेत्र जो केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके अनुमोदन से "नियंत्रित क्षेत्र" घोषित किया जाए।

बिना फिल्टर किए हुए जल के प्रदाय के संबंध में शर्तें।

खण्ड 31. ठेकेदार कार्य के लिए अपेक्षित बिना फिल्टर किए हुए जल के लिए स्वयं अपनी व्यवस्था करेगा/करेंगे और उसके लिए कुछ भी अतिरिक्त संदाय नहीं किया जाएगा। ऐसा निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होगा :

(i) ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा उपयोग किया जाने वाला जल, निर्माण प्रयोजनों के लिए, भारसाधक इंजीनियर के समाधानप्रद रूप में, ठीक होगा।

(ii) यदि भारसाधक इंजीनियर की राय में ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा जल की प्राप्ति के लिए की गई व्यवस्था संतोषप्रद नहीं है तो भारसाधक इंजीनियर जल के प्रदाय के लिए ठेकेदार (ठेकेदारों) की जोखिम और व्यय पर आनुकल्पिक व्यवस्था करेगा।

खण्ड 32. (i)* जहां नल द्वारा जल के प्रदाय की कोई व्यवस्था नहीं है और ठेकेदार सरकार द्वारा बनाए गए कुओं या हौजों से जल लेता है वहां उसके लिए ठेकेदार से कोई प्रभार वसूल नहीं किए जाएंगे। किन्तु ठेकेदार दिन के ऐसे घंटों में पानी लेगा कि उससे

*कार्य-स्थल की दशा के अनुसार, जो लागू नहीं है, कार्यपालक इंजीनियर द्वारा काट दिया जाएगा।

इस प्रसामान्य उपयोग में कोई विघ्न न पड़े, जिसके लिए हैण्डपम्प और कुएं आशयित हैं। वह अपने उपयोग से होने वाले सभी नुकसान अप्रसामान्य मरम्मतों के लिए भी उत्तरदायी होगा, जिसकी लागत उससे वसूल की जा सकेगी। भारसाधक इंजीनियर उसके लिए ठेकेदार से वसूल की जा सकने वाली लागत अवधारित करने के लिए अंतिम प्राधिकारी होगा।

(ii) *ठेकेदार को भारसाधक इंजीनियर से लिखित अनुज्ञा प्राप्त कर लेने पर ही, निर्माण के प्रयोजनों के लिए जल लेने के हेतु सरकारी भूमि पर अस्थायी कुओं का निर्माण करने की अनुज्ञा दी जाएगी। ठेकेदार से उसके लिए कोई प्रभार वसूल नहीं किए जाएंगे किन्तु ठेकेदार से यह अपेक्षा की जाएगी कि वह दुर्घटनाएं न होने देने के लिए और पार्श्वस्थ भवनों, सड़कों और सर्विस लाइनों को नुकसान से बचाने के लिए आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था करे। वह कुओं के बनवाने और तत्पश्चात् उनके अनुरक्षण के कारण हुई दुर्घटनाओं या नुकसान के लिए जिम्मेदार होगा और कार्य के सम्पन्न हो जाने पर कुओं को तोड़ कर भूमि को मूल दशा में वापस ले आएगा।

खण्ड 33. इस संविदा के किसी या सभी खंडों में अंतर्विष्ट किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी जहां संविदा के निष्पादन के लिए कोई सामग्री सरकार की सहायता से, चाहे वह सरकारी स्टाकों से जारी की गई हो या सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों, अनुज्ञापत्रों या अनुज्ञप्तियों के अधीन क्रय की गई हो, उपाप्त की जाती है, वहां ठेकेदार उक्त सामग्री को किफायत से और एकमात्र संविदा प्रयोजन के लिए ही धारण करेगा और सरकार की अनुज्ञा के बिना उसका व्ययन नहीं करेगा और भारसाधक इंजीनियर द्वारा यदि अपेक्षा की जाए, तो ऐसी सभी अधिशेष सामग्री या काम में न आ सकने योग्य सामग्री को, जो संविदा सम्पन्न होने के पश्चात् या उसके पर्यवसान पर, वह चाहे किसी भी कारणवश हो, उसके पास बच रहे, उसकी ऐसी कीमत, जो भारसाधक इंजीनियर द्वारा ऐसी सामग्री की दशा को ध्यान में रखते हुए, अवधारित की जाए, संदत्त कर दी जाने या उसके खाते में जमा कर दी जाने पर, लौटा देगा। किन्तु ठेकेदार को अनुज्ञात कीमत, भंडारकरण के प्रभारों को छोड़कर, उसमें प्रभारित रकम से अधिक नहीं होगी। भारसाधक इंजीनियर का विनिश्चय अंतिम और निश्चायक होगा। यदि उक्त शर्त भंग की जाती है तो ठेकेदार अनुज्ञप्तियों या अनुज्ञापत्रों के निबंधनों के उल्लंघन और/या आपराधिक न्यासभंग के लिए की जाने वाली कार्यवाही के लिए दायी तो होगा ही किन्तु उसके अलावा वह, सरकार के प्रति उस सभी धन, फायदे या लाभ के लिए भी दायित्वाधीन होगा जो ऐसे भंग के कारण उसे प्राप्त हुए हों या सामान्य अनुक्रम में प्राप्त होते। अधिशेष सामग्री का लौटाया जाना।

खण्ड 34. (क) कार्य के लिए अपेक्षित निम्नलिखित संयंत्र और मशीनरी ठेकेदार को नीचे दी हुई शर्तों पर भाड़े पर दी जाएगी—— संयंत्र और मशीनरी का भाड़ा।

क्रम संख्यांक	विवरण	प्रतिदिन के लिए भाड़ा प्रभार
(i)		
(ii)		

(ख) जब संयंत्र और मशीनरी का प्रदाय किया जाएगा तब वे** .... स्थित विभागीय उपस्कर शेड में ही सौंपे जाएंगे और वहीं पर उसे वापस लिया जाएगा और ठेकेदार शेड से कार्यस्थल तक उनको लाने और वहां से वापस ले जाने का व्यय वहन करेगा। ठेकेदार संयंत्र और मशीनरी को उसी दशा में, जिसमें वे उसे सुपुर्द की गई थी, लौटाने के लिए जिम्मेदार होगा और वह उक्त संयंत्र और मशीनरी को, कार्यस्थल पर अथवा अन्यत्र प्रचालन के समय

*कार्य-स्थल की दशा के अनुसार, जो लागू नहीं है, कार्यपालक इंजीनियर द्वारा काट दिया जाएगा।

**इसे कार्यपालक इंजीनियर भरेगा।

के अन्यथा या अभिवहन के दौरान हुए सभी नुकसान के लिए, जिसमें उसके पुर्जों का नुकसान या हानि भी सम्मिलित है, और उस कार्य के सम्पन्न हो जाने के तुरंत पश्चात् जिसके लिए वह दी गई थी, उन्हें वापस करने में उसकी असफलता के कारण हुई सभी हानियों के लिए उत्तरदायी होगा। ठेकेदार के दायित्व और उस संबंध में उसकी मात्रा को अवधारित करने के लिए मंडल इंजीनियर एक मात्र निर्णायक होगा और उसका विनिश्चय अंतिम और ठेकेदार पर आबद्धकर होगा।

(ग) ऊपर बताए गए संयंत्र और मशीनरी तब दी जाएगी जब वे उपलब्ध होंगी और जब ठेकेदार द्वारा अपेक्षा की जाएगी। जब रोलरों की आवश्यकता हो तब वे विभाग से प्राप्त किए जाएं। ठेकेदार अपना कार्यक्रम संयंत्र और मशीनरी की उपलब्धता के अनुसार बनाएगा तथा विभाग द्वारा प्रदाय में हुए किसी विलम्ब के बारे में उसका कोई दावा ग्रहण नहीं किया जाएगा।

(घ) भाड़ा प्रभार, संयंत्र और मशीनरी के सौंपे जाने की तारीख से उनके अच्छी हालत में लौटाए जाने की तारीख तक, जिनमें ये दोनों तारीखें भी सम्मिलित हैं, विहित दरों पर वसूल किए जाएंगे चाहे संयंत्र और मशीनरी किसी भी कारण से काम न कर रही हों किन्तु इसके अंतर्गत ऐसी बड़ी खराबी नहीं है जो ठेकेदार के इस दोष के कारण नहीं हुई है कि उसने उसका दोषपूर्ण उपयोग किया है और जिसके परिणाम स्वरूप संयंत्र को ठीक हालत में लाने के लिए निरंतर तीन कार्य दिन से अधिक का समय (जिसमें बीच में पड़ने वाले अवकाश दिन और रविवार सम्मिलित नहीं है) अपेक्षित है। जब कोई संयंत्र या मशीनरी इतनी खराब हो जाए कि उसमें बड़ी मरम्मत की ऐसी आवश्यकता हो जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है, तब ठेकेदार लिखित रूप में उसकी सूचना भारसाधक इंजीनियर को देगा। भारसाधक इंजीनियर ऐसी सूचना के प्राप्त होने की तारीख और उसका समय संयंत्र और मशीनरी की लाग शीट में अभिलिखित करेगा। यदि खराबी मध्याह्न भोजन के समय से पूर्व होती है तो बड़ी खराबी की अवधि की संगणना में शिकायत के दिन को आधे दिन की खराबी माना जाएगा। यदि खराबी मध्याह्न भोजन के समय के बाद होती है तो खराबी की अवधि की संगणना आगामी दिन से प्रारम्भ की जाएगी। इस खंड के अधीन किसी विवाद की दशा में अधीक्षण इंजीनियर का विनिश्चय अंतिम होगा।

(ङ) ऊपर बताया गया भाड़ा प्रभार 8 घंटे के प्रत्येक दिन (जिसके अन्तर्गत एक घंटे का मध्याह्न भोजन का समय भी है) या उसके भाग के लिए है। वाष्पचालित सड़क रोलर की दशा में 8 घंटे की अवधि के अंतर्गत वह समय भी होगा, जो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व बायलर में वाष्पदाब बनाने के लिए और कार्य समाप्त होने पर बायलर में वाष्पदाब कम करने के लिए आवश्यक होगा।

(च) भाड़ा प्रभारों के अंतर्गत अपेक्षित प्रचालन कर्मचारिवृन्द की सेवाएं और स्नेहक तेल और सफाई के प्रयोजनों के लिए सामान का तथा जब वाष्पचालित सड़क रोलर दिया जाए तो उसमें आग जलाने के लिए अधिक से अधिक 1.25 क्विंटल पत्थर के कोयले का प्रदाय भी होगा। ठेकेदार संयंत्र और मशीनरी के संरक्षण और सुरक्षा के लिए पूर्णतः जिम्मेदार होगा और वह संयंत्र और मशीनरी को चलाने के लिए अनुमोदित प्रकार के शक्ति, ईंधन, जलाने की लकड़ी, मिट्टी के तेल आदि की तथा संयंत्र और मशीनरी को हानि या नुकसान से बचाव के लिए पूर्णकालिक चौकीदार की भी व्यवस्था करेगा। संयंत्र और मशीनरी का प्रदाय किए जाने पर या उसके पूर्व ठेकेदार संयंत्र और मशीनरी को परिवहन के दौरान या कार्यस्थल पर होने वाली हानि या नुकसान के लिए विभाग की क्षतिपूर्ति करने के लिए एक करार पर हस्ताक्षर करेगा।

(छ) साधारणतः कोई भी संयंत्र और मशीनरी एक दिन में 8 घंटे से अधिक काम नहीं करेगी जिसमें मध्याह्न भोजन के लिए एक घंटे का समय भी सम्मिलित है। किन्तु अति आवश्यक कार्य की दशा में भारसाधक इंजीनियर अपने विवेकानुसार संयंत्र और मशीनरी को दिन में 8 घंटे की सामान्य कालावधि से अधिक चलाने की इजाजत दे सकेगा। इस दशा में ठेकेदार अतिकाल के लिए जो प्रति घंटा भाड़ा प्रभार देगा वह प्रसामान्य आनुपातिक प्रति घंटा प्रभार (दैनिक प्रभार का आठवां भाग) से 50 प्रतिशत अधिक होगा

किन्तु किसी विशिष्ट दिन का ऐसा प्रभार कम से कम उतना होगा जो आधे दिन का प्रसामान्य प्रभार होता है। अतिकाल भाड़ा प्रभार निकालने के लिए आधा घंटा और उससे ऊपर की अवधि को एक घंटे के रूप में प्रभारित किया जाएगा और आधा घंटे से कम समय की उपेक्षा कर दी जाएगी।

(ज) ठेकेदार संयंत्र और मशीनरी को हर सातवें दिन नियतकालिक सर्विस और/या धुलाई के लिए छोड़ देगा जिसमें लगभग तीन से चार घंटे तक का या अधिक समय लग सकेगा। वह एक श्रमिक और जल की भी व्यवस्था करेगा जिसकी वाष्पचालित रोलरों को धोने के लिए अपेक्षा हो। इस बात का विचार किए बिना कि सर्विस/धुलाई करने में कितना समय लगा है, ठेकेदार से सर्विस/धुलाई के दिन के लिए पूरे दिन का भाड़ा प्रभार वसूल किया जाएगा।

(झ) ठेकेदार को जो संयंत्र और मशीनरी एक बार जारी कर दी जाएगी उन्हें वह अपनी ओर से श्रमिक और सामग्री आदि की व्यवस्था के अभाव के कारण वापस नहीं करेगा। उन्हें वह तभी वापस करेगा जब कि या तो उनमें भारी मरम्मत की आवश्यकता है या जब भारसाधक इंजीनियर की राय में वह कार्य या उसका वह भाग, जिसके लिए उन्हें जारी किया गया था, पूरा हो चुका है।

(ञ) ठेकेदार को प्रदाय किए गए प्रत्येक संयंत्र और मशीनरी के दैनिक कार्य के समय का अभिलेख रखने के लिए विभाग द्वारा लॉग-बुक रखी जाएगी और वह प्रतिदिन ठेकेदार या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा अनुप्रमाणित की जाएगी। यदि ठेकेदार यह आपत्ति करता है कि उसकी प्रविष्टियां सही नहीं हैं और/या वह लॉग-बुक पर हस्ताक्षर करने में असफल रहता है तो भारसाधक इंजीनियर का विनिश्चय अंतिम और उस पर आबद्धकर होगा। भाड़ा प्रभार, लॉग-बुक की प्रविष्टियों के अनुसार परिकलित किया जाएगा और वह ठेकेदार पर आबद्धकर होगा। सड़क रोलरों के भाड़े प्रभार के लेखे वसूली उतने न्यूनतम दिनों के लिए की जाएगी जो इस धारणा के आधार पर निकलते हों कि एक रोलर प्रति दिन उतनी अधिकतम सामग्री या आपृष्ठन क्षेत्र की कुटाई कर सकता है जो संलग्न विवरण में प्रत्येक के सामने लिखी है (संलग्न विवरण देखिए)।

(ट) कंक्रीट मिश्रक की दशा में, ठेकेदार प्रतिदिन या प्रत्येक अवसर पर काम की समाप्ति पर हापर को साफ कराने और ड्रम को धुलवाने की व्यवस्था करेगा।

(ट-1) यदि ठेकेदार ने कुटाई के लिए रोलरों को स्वयं लगाया है तो ऐसे रोलरों के लिए लॉग-बुक उसी रीति में रखी जाएगी जिस रीति में वह विभागीय रोलरों की दशा में रखी जाती है। प्रत्येक रोलर के लिए एक दिन में कुटाई की जाने वाली किसी मद की अधिकतम मात्रा भी वही होगी जो खंड 34 (ञ) के उपबन्ध में है।

रोलरों के कम उपयोग किए जाने पर जितने रोलर दिन कम हैं उनके लिए नियत निर्गम दर पर वसूली की जाएगी।

(ठ) ठेकेदार संयंत्र और मशीनरी को उसी हालत में वापस करने के लिए जिम्मेदार है जिस हालत में वह उसे सौंपी गई थी और वह उस संयंत्र और मशीनरी में कार्यस्थल पर या अन्यत्र काम करते हुए या अन्यथा या लाते, ले जाते हुए जो कोई क्षति होगी उसके लिए, जिसमें उसके किन्हीं पुर्जों की हुई क्षति या उनका खो जाना भी शामिल है, और जिस काम के लिए वह दी गई थी उसके पूरे होने के तुरंत बाद उसके वापस न करने के कारण होने वाली सभी हानियों के लिए जिम्मेदार होगा। इस संबंध में ठेकेदार की देनदारी और उसका परिमाण निश्चित करने के लिए मंडल इंजीनियर एकमात्र निर्णायक होगा और उसका निर्णय अंतिम तथा ठेकेदार पर आबद्धकर होगा।

एस्फाल्टी सामग्री के उपयोग के संबंध में शर्तें।

खण्ड 35. (i) ठेकेदार उपयोग किए जाने वाले डामर या बिटुमेन का प्रदाय करने वाली फर्म द्वारा कार्य के पर्यवेक्षण की व्यवस्था करने के लिए वचनबंध करता है।

(ii) ठेकेदार डामर लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व मानक सूत्र के अनुसार कार्य के लिए अपेक्षित डामर या बिटुमेन की कुल मात्रा संगृहीत करेगा और भारसाधक इंजीनियर को उसका आडमान करेगा। यदि कार्य पूरा हो जाने पर विनिर्देशों के प्राधिकृत परिवर्तनों और कार्य के किसी भाग के परित्याग से भिन्न अन्य कारणों से वास्तविक निष्पादन में सामग्री के कम उपयोग के कारण कोई बिटुमेन या डामर बिना काम में आए बचा रहता है, तो भारसाधक इंजीनियर द्वारा यथा अवधारित अप्रयुक्त सामग्री की लागत के समतुल्य तत्सम कटौती की जाएगी और सामग्री ठेकेदारों को वापस लौटा दी जाएगी। यद्यपि सामग्री का सरकार को आडमान किया गया है, तथापि ठेकेदार सभी जोखिमों से उनकी उचित रखवाली, सुरक्षित अभिरक्षा और संरक्षा का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है। सामग्री भारसाधक इंजीनियर की लिखित सम्मति के बिना कार्यस्थल से नहीं हटाई जाएगी।

(iii) ठेकेदार कार्य पूरा हो जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर पता चलने वाली त्रुटियों को ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा और एस्फाल्टी कार्य से संबंधित प्रतिभूति निक्षेप के भाग का इस अवधि के अवसान के पश्चात् प्रतिदाय कर दिया जाएगा।

खण्ड 36. ठेकेदार इस कार्य के निष्पादन के दौरान निम्नलिखित तकनीकी कर्मचारियों को नियोजित करेगा :—

जब निष्पादित किए जाने वाले कार्य की लागत पांच लाख रुपए से अधिक है, तब एक स्नातक इंजीनियर।

जब निष्पादित किए जाने वाले कार्य की लागत दो लाख रुपए से अधिक किन्तु पांच लाख रुपए से कम है तब एक अर्हित डिप्लोमा धारक (ओवरसियर)।

भारसाधक इंजीनियर जब भी अपेक्षा करे तकनीकी कर्मचारियों को अनुदेश देने के लिए कार्यस्थल पर उपलभ्य रहना चाहिए।

यदि ठेकेदार उपर्युक्त तकनीकी कर्मचारियों को नियोजित करने में असफल रहेगा तो वह स्नातक इंजीनियर के मामले में व्यतिक्रम के प्रत्येक मास के लिए 2000 रु० (केवल दो हजार रुपए) से अनधिक की रकम तथा डिप्लोमा धारक (ओवरसीयर) के मामले में व्यतिक्रम के लिए प्रत्येक मास 1000 रु० (केवल एक हजार रुपए) से अनधिक यथोचित रकम का संदाय करने का दायी होगा।

उस अवधि के बारे में जिसमें ठेकेदार ने अपेक्षित तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की है और उस रकम के औचित्य के बारे में जिसकी इस लेखे कटौती की जानी है, भारसाधक इंजीनियर का विनिश्चय अंतिम होगा और जहां तक उक्त रकम का और उक्त रकम का संदाय करने के विषय में ठेकेदार के दायित्व का संबंध है, वह विनिश्चय ठेकेदार पर आबद्धकर होगा।

सफाई और जल प्रदाय संकर्म

ठेकेदार संकर्म के निष्पादन के दौरान निम्नलिखित तकनीकी कर्मचारियों को नियोजित करेगा :—

जब निष्पादित किए जाने वाले कार्य की लागत, जिसके लिए निविदा दी गई है, 25,000 रु० से अधिक है तब एक अर्हताप्राप्त ओवरसीयर जिसे पांच वर्ष का अनुभव हो जिसमें से कम से कम एक वर्ष का अनुभव सफाई इंजीनियरी या जल प्रदाय संकर्म का होना चाहिए।

भारसाधक इंजीनियर जब भी अपेक्षा करे तकनीकी कर्मचारियों को अनुदेश लेने के लिए कार्यस्थल पर उपलभ्य रहना चाहिए।

यदि ठेकेदार उपर्युक्त तकनीकी कर्मचारियों को नियोजित करने में असफल रहता है तो वह व्यतिक्रम के प्रतिमास के लिए 1000 रु० से अनधिक यथोचित रकम का संदाय करने का दायी होगा।

उस अवधि के बारे में जिसमें ठेकेदार ने अपेक्षित तकनीकी कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं की है और उस रकम के औचित्य के बारे में जिसकी इस लेखे कटौती की जानी है, भारसाधक इंजीनियर का विनिश्चय अंतिम होगा और जहां तक उक्त रकम का और उक्त रकम का संदाय करने के विषय में ठेकेदार के दायित्व का संबंध है वह विनिश्चय ठेकेदार पर आबद्धकर होगा।

खण्ड 37. यदि समीचीन समझा जाए तो संपूर्ण कार्य दो या अधिक ठेकेदारों में बांटा जा सकेगा या भागत: न कि पूर्णत: प्रतिगृहीत किया जा सकेगा।

खण्ड 38. (i) इस संविदा में संबंधित सामग्री पर विक्रय कर या कोई अन्य कर ठेकेदार द्वारा संदेय होगा और सरकार इस संबंध में कोई भी दावा ग्रहण नहीं करेगी।

(ii) यदि किसी विधि, अधिसूचना या आदेश के अनुसरण में या उसके अधीन कोई रायल्टी, उपकर, फीस या इसी प्रकार की कोई रकम संकर्मों में ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त किसी सामग्री के बारे में राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारियों को भारत सरकार द्वारा संदेय हो जाती है और किसी समय ठेकेदार द्वारा संदेय नहीं होती है तो ऐसी दशा में भारत सरकार के लिए यह विधिपूर्ण होगा और उसका यह अधिकार होगा तथा वह इस बात की हकदार होगी कि वह उपर्युक्त परिस्थितियों में संदत्त रकम ठेकेदार को देय राशि में से वसूल कर ले।

खण्ड 39. इस संविदा के अधीन अधिकारों या उपचारों में से किसी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ठेकेदार मर जाता है तो मण्डल अधिकारी को राष्ट्रपति की ओर से यह विकल्प होगा कि वह ठेकेदार को प्रतिकर दिए बिना संविदा को समाप्त कर दे।

खण्ड 40. ठेकेदार को के० लो० नि० वि० के (संविदा देने और उनके निष्पादन के लिए उत्तरदायी) सर्किल में, जिसमें उसका निकट नातेदार मंडल लेखापाल या अधीक्षण इंजीनियर और सहायक इंजीनियर (जिसमें ये दोनों अधिकारी भी हैं) की श्रेणियों के बीच किसी हैसियत में कोई अधिकारी है, कार्यों के लिए निविदा करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। वह उन व्यक्तियों के नाम भी सूचित करेगा जो उसके साथ किसी हैसियत में काम कर रहे हैं या उसके द्वारा तत्पश्चात् नियोजित किए जाते हैं और जो के० लो० नि० विभाग में या निर्माण और आवास मंत्रालय के किसी राजपत्रित अधिकारी के निकट नातेदार हैं। यदि ठेकेदार इस शर्त का कोई भंग करता है तो उसे इस विभाग के ठेकेदारों की अनुमोदित सूची से हटाया जा सकेगा।

टिप्पण :—"निकट नातेदार" पद से पत्नी, पति, माता-पिता और पितामह-पितामही, संतति और पौत्र-पौत्रियां, भाई और बहनें, चाचा-चाची और चचेरे, ममेरे भाई तथा उनके तत्सम ससुराली नातेदार अभिप्रेत है।

खण्ड 41. भारत सरकार के किसी इंजीनियरी विभाग में इंजीनियरी या प्रशासनिक कर्तव्यों में नियोजित राजपत्रित पंक्ति का कोई इंजीनियर या अन्य राजपत्रित अधिकारी भारत सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना अपनी सेवानिवृत्ति से दो वर्ष की अवधि तक ठेकेदार के रूप में कार्य करने के लिए अनुज्ञात नहीं है। यदि किसी समय यह पाया जाता है कि ठेकेदार, या उसका कोई कर्मचारी ऐसा व्यक्ति है जिसने, यथास्थिति, निविदा प्रस्तुत करने या ठेकेदार की सेवा में लगने से पूर्व भारत सरकार से उपर्युक्त अनुज्ञा अभिप्राप्त नहीं कर ली थी तो यह संविदा रद्द की जा सकेगी।

खण्ड 42. (i) ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि सामग्री की केवल अपेक्षित मात्रा ही ली जाए। कोई ऐसी सामग्री जो संविदा के पूरा होने या उसके पर्यवसान के समय अप्रयुक्त बची रहे और पूर्णत: अच्छी दशा में हो, भारसाधक इंजीनियर को, यदि वह अपने हस्ताक्षर से लिखित सूचना द्वारा ऐसी अपेक्षा करे, ऐसे स्थान पर जो वह निर्दिष्ट करे वापस लौटा दी जाएगी। ऐसी सामग्री के लिए, प्रचलित बाजार दर से मुजरा किया जाएगा जिसकी रकम उस रकम से अधिक नहीं होगी जो उससे प्रभारित की गई है, किन्तु इसमें उसे सामग्री देते समय उद्गृहीत भंडारण प्रभार सम्मिलित नहीं है। ठेकेदार अधिशेष सामग्री को उन

भंडारों से और वहां तक जहां से वह सामग्री दी गई थी, लौटाने के लिए ढुलाई और आनुषंगिक प्रभार का भी हकदार नहीं होगा।

(ii) कार्य पूरा हो जाने के पश्चात् सीमेंट की वह अनुमानमूलक मात्रा जिसका उपयोग कार्य की विभिन्न मदों में किया जाता है, उस विवरण के आधार पर परिकलित की जाएगी जिसमें कार्य की विभिन्न मदों में उपयोग की जाने वाली सीमेंट की मात्रा बताई गई है और जो के० लो० नि० वि० द्वारा मुद्रित दिल्ली दर अनुसूची-1977 में दिया गया है। यदि किसी ऐसी मद का निष्पादन किया जाता है जिसके लिए सीमेंट उपभोग के मानक स्थिरांक उपलब्ध नहीं हैं या इस विवरण से उनका हिसाब नहीं लगाया जा सकता है तो उसका परिकलन संबंधित सर्किल के अधीक्षण इंजीनियर द्वारा अधिकथित किए जाने वाले मानक सूत्र के आधार पर किया जाएगा। सीमेंट की इस अनुमानमूलक मात्रा पर उन संकर्मों के लिए जिनकी अनुमानित लागत, जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गई है, दो लाख रुपए से अधिक नहीं है, 5% अधिक/कम तक, उन संकर्मों के लिए जिनकी अनुमानित लागत, जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गई है, दो लाख रुपए से अधिक किन्तु पांच लाख रुपए तक है, 4% अधिक/कम तक और उन संकर्मों के लिए जिनकी अनुमानित लागत, जिसके लिए निविदा आमंत्रित की गई है, 5 लाख रुपए से अधिक है, 3% अधिक/कम तक फेरफार अनुज्ञात होगा। यदि ठेकेदार को वस्तुतः दी गई सीमेंट की मात्रा और प्राधिकृत फेरफार सहित अनुमानमूलक मात्रा के बीच का अन्तर ठेकेदार द्वारा लौटाया नहीं जाता है तो वह उस दर की दुगुनी दर से वसूल किया जाएगा जिस पर वह दी गई थी और सामग्री की वापसी से संबंधित उन सुसंगत शर्तों के उपबंधों पर जो इस संविदा को लागू होती हैं, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि यह पाया जाता है कि प्रयुक्त सीमेंट की मात्रा इसमें इसके पूर्व यथा उपबंधित, (ऊपर यथानियत कमी पक्ष में फेरफार को अनुज्ञात करते हुए) सुनिश्चित मात्रा से कम है तो इस प्रकार अप्रयुक्त सीमेंट की मात्रा की लागत ठेकेदार से कार्यस्थल तक ढुलाई सहित, अनुबंधित निर्गम दर के आधार पर वसूल की जाएगी।

(iii) पूर्वगामी उपखण्ड के उपबंध, इस्पात प्रबलन या इमारती इस्पात खण्डों की दशा में, इस बात को छोड़कर लागू होंगे कि इस्पात की अनुमानमूलक मात्रा, प्राधिकृत लेपेज सहित और टुकड़ों में काटने के कारण 5% छीजन को सम्मिलित करते हुए, ऐसी मात्रा के रूप में समझी जाएगी जैसी कि डिजाइन के अनुसार अपेक्षित है या जो भारसाधक इंजीनियर द्वारा प्राधिकृत है। इस अनुमानमूलक मात्रा पर छीजन के अधिक या कम होने के कारण फेरफार के रूप में 5% अधिक/4% कम अनुज्ञात किया जाएगा।

(iv) कार्य पूरा होने के पश्चात् संकर्म में उपयोग किए जाने वाले बिटुमेन की अनुमानमूलक मात्रा की संगणना के० लो० नि० वि० के उस विवरण के आधार पर की जाएगी जिसमें दिल्ली दर अनुसूची में उपबंधित कार्य की विभिन्न मदों में उपयोग किए जाने वाले बिटुमेन की मात्रा दर्शित है या उन करारों की बाबत जिनमें दिल्ली दर अनुसूची के लिए उपबंध नहीं किया गया है या जिनमें उसका लागू किया जाना प्राधिकृत नहीं किया गया है, संकर्म में उपयोग किए जाने वाले बिटुमेन की अनुमानमूलक मात्रा की संगणना संबद्ध सर्किल के अधीक्षण इंजीनियर द्वारा अधिकथित मानक सूत्र के आधार पर की जाएगी। बिटुमेन की उक्त अनुमानमूलक मात्रा पर $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत अधिक तक फेरफार अनुज्ञात किया जाएगा।

उन करारों में, जिनमें बिटुमेन के निःशुल्क प्रदाय का उपबंध है, ठेकेदार को वास्तविक रूप से प्रदाय किए गए बिटुमेन की मात्रा और अनुमानमूलक मात्रा, जिसके अंतर्गत प्राधिकृत फेरफार भी है, के बीच मूल्य या कीमत का अन्तर, यदि ठेकेदार द्वारा वापस नहीं कर दिया गया है तो, सामग्रियों की वापसी के संबंध में सुसंगत शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, निर्गम दर की दुगुनी दर पर वसूल किया जाएगा। यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार द्वारा उपयोग किए गए बिटुमेन की मात्रा उक्त रूप में संगणित मात्रा से कम है तो उस दशा में बिटुमेन के कम उपयोग के कारण कोई वसूली नहीं की जाएगी।

उन करारों में, जिनमें बिटुमेन के प्रदाय के लिए नियत दर का उपबंध है, ठेकेदार को वास्तविक रूप से प्रदाय की गई और अनुमानमूलक मात्रा से, जिसके अंतर्गत उक्त प्राधिकृत फेरफार भी है, अन्तर का मूल्य या कीमत यदि ठेकेदार द्वारा वापस नहीं कर दी जाती तो संविदा को शासित

करने वाली सामग्रियों की वापसी के संबंध में करार की सुसंगत शर्तों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उसे बिटूमेन की निर्गम दर से दुगुनी दर पर वसूल किया जाएगा।

यदि यह पाया जाता है कि ठेकेदार द्वारा उपयोग किए गए बिटूमेन की मात्रा उक्त रूप में संगणित मात्रा से कम है (निम्नतर पक्ष में कोई फेरफार अनुज्ञात नहीं किया जाएगा) तो उस प्रकार उपयोग न किए गए बिटूमेन की कीमत ठेकेदार से नियत निर्गम दर और कार्यस्थल तक उसकी ढुलाई के आधार पर वसूल की जाएगी।

(V) ऊपर किए गए उपबंध, विहित विनिर्देश के अनुसार काय न करने के कारण संविदा की शर्तों के अधीन ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करने के सरकार के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।

खण्ड 43. निविदा के पृष्ठ 4 पर निर्दिष्ट प्रतिशतता, किए गए कार्य के लिए बिलों की सकल रकम से काट ली जाएगी से छोड़ दी जाएगी।

ठेकेदारों की प्रतिशतता बिलों की शुद्ध या सकल रकमों में उपयोजित होगी या नहीं।

खण्ड 44. जब तक कार्य, भारसाधक इंजीनियर को परिदत्त नहीं कर दिया जाता और उससे उस आशय का प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर लिया जाता तब तक कार्य (चाहे पूर्णतः निर्मित हो अथवा नहीं) और उससे संबंधित सब सामग्री, मशीनें, औजार और संयंत्र, पाड़, अस्थायी भवन और अन्य वस्तुएं ठेकेदार की जोखिम पर रहेंगी। कार्य या उसमें लगाने के लिए स्थल पर उचित रूप से लाई गई किसी सामग्री को संघर्षों या युद्ध जैसी संक्रियाओं के परिणामस्वरूप क्षति होने अथवा उसके नष्ट होने की दशा में ठेकेदार भारसाधक इंजीनियर द्वारा लिखित आदेश दिए जाने पर कार्य स्थल से मलबे को हटाएगा और क्षतिग्रस्त कार्य से उद्धारित काम में आने लायक सारी सामग्री इकट्ठी करेगा और उसका उचित रूप से ढेर लगाएगा अथवा उसे भंडार में ले जाएगा तथा मलबे को कार्यस्थल से साफ करने और काम में आने लायक सामग्री का ढेर लगाने या उसे हटाने के कार्य के लिए और भारसाधक इंजीनियर द्वारा आदिष्ट समस्त संकर्म का पुनः निर्माण करने के लिए इस करार के उपबंध के अनुसार संविदा की दरों पर संदाय किया जाएगा और यह संदाय क्षतिग्रस्त या नष्ट होने के पूर्व मूलतः निष्पादित कार्य के, जिसके लिए संदाय नहीं किया गया है, मूल्य तक प्रतिकर के अतिरिक्त होगा। क्षतिग्रस्त या नष्ट हुए ऐसे कार्यों की दशा में जिनकी माप न हो चुकी हो और जिनके लिए संदाय न किया गया हो, प्रतिकर का निर्धारण 5,000 रु० तक संबंधित मंडल अधिकारी द्वारा और उससे अधिक रकम के लिए अधीक्षण इंजीनियर द्वारा किया जाएगा। ठेकेदार को कार्य में हुए नुकसान, उसके नष्ट हो जाने और सामग्रियों के प्रत्यास्थापन के लिए संदाय, इस करार के उपबंधों के अनुसार निविदत्त दरों के विश्लेषण पर आधारित दरों पर किया जाएगा। सामग्री की क्वालिटी और मात्रा और जिस प्रयोजन से उसे संगृहीत किया गया था उसके बारे में भारसाधक इंजीनियर का प्रमाणपत्र अंतिम और इस संविदा के सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा।

संघर्षों या युद्ध जैसी संक्रियाओं के परिणामस्वरूप कार्यों को हुए नुकसान से संबंधित खण्ड।

संघर्षों या युद्ध जैसी संक्रियाओं के परिणामस्वरूप हुई किसी हानि के लिए कोई भी प्रतिकर (क) तब तक संदेय नहीं होगा जब तक कि ठेकेदार ने हवाई हमले के विरुद्ध ऐसे सभी पूर्वोपाय न किए हों, जो हवाई हमला बचाव अधिकारी या भारसाधक इंजीनियर द्वारा आवश्यक समझे जाते हैं और (ख) ऐसा कोई भी प्रतिकर किसी ऐसी सामग्री आदि के लिए, जो कार्यस्थल पर नहीं है या किसी ऐसे औजार, संयंत्र, मशीनरी, पाड़, अस्थायी भवन और अन्य वस्तुओं के लिए, जो उस कार्य के लिए आशयित नहीं है, संदेय नहीं होगा।

यदि ठेकेदार को ऐसा पुनर्निर्माण करना पड़ता है जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है तो उसे उसको पूरा करने के लिए उतना और समय दिया जाएगा जितना मंडल अधिकारी द्वारा उचित समझा जाए।

खण्ड 45. ठेकेदार शिशु अधिनियम, 1961 और समय-समय पर उसके अधीन जारी किए गए नियमों और आदेशों के उपबंधों का अनुपालन करेगा। यदि वह ऐसा करने में असफल रहेगा तो उसकी असफलता संविदा का भंग होगी और अधीक्षण इंजीनियर अपने

विवेकानुसार इस संविदा को रद्द कर सकेगा। ठेकेदार अपने द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के किसी अतिक्रमण के कारण उद्भूत किन्हीं धनीय दायित्वों के लिए भी जिम्मेदार होगा।

खण्ड 46. ठेकेदार रायल्टी जमा करेगा और स्थानीय प्राधिकारियों से लाल बजरी, पत्थर, कंकड़ आदि के प्रदाय के लिए आवश्यक अनुज्ञापत्र लेगा।

खण्ड 47. प्रतिभूति निक्षेप तब तक वापस नहीं किया जाएगा जब तक कि ठेकेदार द्वारा श्रम अधिकारी से समाशोधन (क्लीयरेंस) प्रमाणपत्र नहीं ले लिया जाता।

जो कार्य निष्पादित किए जाने के लिए संविदा की गई है उसके लिए संविदा की शर्तों के खण्ड 10 के अधीन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रदाय की जाने वाली सामग्री की अनुमानित मात्रा और वे दरें जिन पर वे प्रभारित की जाती हैं, दर्शित करने वाली अनुसूची

विवरण	दरें, जो सामग्री के लिए ठेकेदार पर प्रभारित की जाएंगी			परिदान का स्थान
	एकक	रुपए	पैसे	

टिप्पण :—निविदा देने वाले व्यक्ति या फर्म को यह देख लेना चाहिए कि उपर्युक्त अनुसूची में दरें, प्ररूप के दिए जाने पर निविदा के प्रस्तुत किए जाने से पूर्व भारसाधक इंजीनियर द्वारा भर दी जाएं।

मंडल अधिकारी के हस्ताक्षर
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी ओर से

ठेकेदार के हस्ताक्षर

के० लो० नि० वि० सुरक्षा संहिता

सुरक्षा संहिता :

(i) कर्मकारों के लिए, ऐसे अल्पावधि कार्यों को छोड़कर, जिनको सीढ़ियों से निरापद रूप से किया जा सकता है, उन सभी कार्यों के लिए, जिनको जमीन से या ठोस-निर्माण से निरापद रूप से नहीं किया जा सकता है, यथोचित पाड़ की व्यवस्था की जानी चाहिए। जब सीढ़ी उपयोग में लाई जाती है तब एक अतिरिक्त श्रमिक सीढ़ी को पकड़ने के लिए नियुक्त किया जाएगा और यदि सीढ़ी सामग्री ले जाने के लिए भी उपयोग में लाई जाती है तो सीढ़ी पर यथोचित पायदानों और हाथ के लिए सहारों की व्यवस्था होगी और सीढ़ी की आनति 1 पर 1/4 के अनुपात (1/4 क्षैतिज और 1 ऊर्ध्वाधर) से अधिक ढालू न होगी।

(ii) भूमि या फर्श से 3.6 मीटर (12 फीट) से अधिक ऊंची पाड़ या मंच पर जो ऊर्ध्वस्थ आधार से झूलता हुआ या लटकता हुआ हो, या स्थिर आधार से खड़ा किया गया हो, समुचित रूप से सबद्ध, ब्रेकेटयुक्त, कसी हुई और अन्यथा मजबूती से बंधी हुई बचाव रोक होगी, जो ऐसे पाड़ या मंच के फर्श या प्लेटफार्म से कम से कम 90 से० मी० (3 फुट) ऊंची होगी और उसके बाहर और सिरों पर संपूर्ण लम्बाई पर लगी होगी और जिसमें ऐसे द्वार होंगे जो सामग्री के परिदान के लिए आवश्यक हों, ऐसे पाड़ या मंच को ऐसे बांधा जाएगा कि वह भवन या संरचना से झूले नहीं।

(iii) कार्य-प्लेटफार्मों, गलियारों और जीनों को ऐसे सन्निर्मित किया जाना चाहिए कि उन पर अनावश्यक या असमान रूप से बोझ न पड़े और यदि प्लेटफार्म, गैंगवे या जीना, भूमि या फर्श स्तर से 3.6 मीटर (12 फुट) से अधिक ऊंचा हो तो उसमें तख्ते पास-पास लगे होने चाहिए, उसकी पर्याप्त चौड़ाई होनी चाहिए और उसको यथोचित रूप से बांधा जाना चाहिए जैसा कि ऊपर पैरा (ii) में वर्णित है।

(iv) भवन या कार्य-प्लेटफार्म में हर द्वार, व्यक्तियों या सामग्री को गिरने से बचाने के लिए यथोचित बाड़े, द्वार या जंगले द्वारा जिसकी न्यूनतम ऊंचाई 90 से० मी० (3 फुट) होगी, यथोचित रूप से घिरा होना चाहिए।

(v) सभी कार्य-प्लेटफार्मों और अन्य कार्य-स्थानों तक पहुंचने के लिए निरापद साधनों की व्यवस्था होगी। हर सीढ़ी मजबूती से लगी होनी चाहिए। कोई भी सुवाह्य अकेली सीढ़ी लम्बाई में 9 मीटर (30 फुट) से अधिक नहीं होगी जबकि डण्डों वाली सीढ़ी में अगल-बगल के डण्डों के बीच की चौड़ाई 3 मीटर (10 फुट) तक लम्बी सीढ़ी में किसी भी दशा में 29 से० मी० (11.1/2") से कम नहीं होगी। अधिक लम्बी सीढ़ियों में इस चौड़ाई में लम्बाई के हर अतिरिक्त 30 से० मी० (1 फुट) के लिए 1/4" की वृद्धि होनी चाहिए। सीढ़ियों के मध्य समान जगह 30 से० मी० (12 इंच) से अधिक नहीं होगी। विद्युत् उपस्कर से होने वाले खतरे के निवारण के लिए यथोचित पूर्वावधानियां बरती जाएंगी। किसी भी कार्यस्थल पर कोई भी सामग्री इस प्रकार नहीं जमा की या रखी जाएगी कि वह किसी व्यक्ति या जनता के लिए खतरा या असुविधा उत्पन्न करे। जनता को दुर्घटनाओं से बचाने के लिए ठेकेदार सभी आवश्यक बाड़ों और प्रकाश की व्यवस्था करेगा और उक्त पूर्वावधानियों की उपेक्षा के कारण हुई क्षति के लिए किन्हीं व्यक्तियों द्वारा विधि के अधीन लाए गए हर वाद, कार्रवाई या अन्य कार्यवाहियों में प्रतिरक्षा के व्ययों का भार उठाने के लिए और ऐसी किसी नुकसानी या खर्चों का संदाय करने के लिए आबद्ध होगा जो ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को ऐसे किसी वाद, कार्रवाई या अन्य कार्यवाहियों में प्रतिरक्षा के व्ययों का भार उठाने के लिए और ऐसी किसी नुकसानी या खर्चों का संदाय करने के लिए आबद्ध होगा जो ऐसे किन्हीं व्यक्तियों को ऐसे किसी वाद, कार्रवाई या कार्यवाही में अधिनिर्णीत किए जाएं या जो, ठेकेदार की सहमति से, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा किए गए ऐसे किसी दावे में समझौता करने के लिए संदत्त किया जाए।

(vi) उत्खनन और खाई खोदना—1.2 मीटर (चार फीट) या अधिक गहरी सभी खाइयों के लिए सदैव लम्बाई के हर एक 30 मीटर (100 फीट) या उसके किसी भाग के लिए कम से कम एक सीढ़ी दी जाएगी। सीढ़ी की लम्बाई खाई की तली से लेकर भूमि की सतह से कम से कम 90 से० मी० (3 फीट) ऊपर तक होगी। 1.5 मीटर (पांच फीट) या अधिक गहरी खाइयों की दीवारें यथोचित ढलान देने के लिए स्टेप बैक की जाएंगी या उन पर काष्ठ के तख्तों की मजबूत रोक लगी होगी ताकि दीवारों के ढहने का खतरा न रहे। खोदी गई सामग्री खाई के किनारों से 1.5 मीटर (पांच फीट) के भीतर या खाई की गहराई के आधे के बराबर दूरी के भीतर उनमें जो भी अधिक हो, नहीं रखी जाएगी। कटाई, शीर्ष से तली तक की जाएगी। किन्हीं भी परिस्थितियों में तलोच्छेदन या अधःकर्तन नहीं किया जाएगा।

(vii) ढाना—ढाने का कोई कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व और कार्य की प्रक्रिया के दौरान भी:—

(क) कार्यस्थल के बगल की सभी सड़कें और खुले क्षेत्र या तो बंद कर दिए जाएंगे, या उनमें बचाव की उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

(ख) ऐसा कोई भी विद्युत केबिल या साधित्र जिससे खतरा उत्पन्न हो सकता हो या आपरेटर द्वारा प्रयुक्त होने वाला केबिल या साधित्र विद्युत आवेशित नहीं होगा।

(ग) नियोजित व्यक्तियों को अग्नि या विस्फोट या बाढ़ के खतरे से बचाने के लिए सभी व्यावहारिक कदम उठाए जाएंगे। भवन के किसी भी फर्श, छत या भाग को मलबे या सामग्री से इतना अतिभारित नहीं किया जाएगा कि वह असुरक्षित हो जाए।

(viii) कार्यस्थल पर नियोजित व्यक्तियों के उपयोग के लिए ऐसे सभी आवश्यक वैयक्तिक सुरक्षा उपस्कर उपलब्ध रखे जाने चाहिए जो भारसाधक इंजीनियर पर्याप्त समझे और उनको ऐसी हालत में अनुरक्षित रखा जाना चाहिए कि वे तुरन्त उपयोग के लिए उपयुक्त हों, तथा ठेकेदार, संबंधित व्यक्तियों द्वारा उनके समुचित उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए यथोचित कदम उठाएगा:—

(क) एस्फाल्टी सामग्री, सीमेंट और चूने का गारा मिलाने के लिए नियोजित कर्मकारों को बचाव जूते और बचाव-चश्मे दिए जाएंगे।

(ख) सफेदी करने और सीमेंट के बोरों को या ऐसी सामग्री को, जो आंखों के लिए हानिकर हो, मिलाने के लिए या उनके ढेर लगाने के काम में नियोजित व्यक्तियों को बचाव-चश्मे दिए जाएंगे।

(ग) झलाई कार्य में नियोजित व्यक्तियों को झलाईगरों की आंखों की रोशनी के बचाव के लिए काम में आने वाले ढक्कन दिए जाएंगे।

(घ) पत्थर तोड़ने वालों के लिए बचाव-चश्में और बचाव-वस्त्रों और पर्याप्त रूप से सुरक्षित दूरी पर बैठाने की व्यवस्था होगी।

(ङ) जब कर्मकार ऐसी मल-नालियों और मैनहोलों में नियोजित किए जाएं, जो काम में लाए जा रहे हैं, तब ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि मैनहोलों में कर्म-कारों के प्रवेश करने के कम से कम एक घंटे पूर्व उनके ढक्कन खोल दिए जाएं और उन्हें संवातित कर दिया जाए तथा जनता को खतरे से बचाने के लिए ऐसे खोले गए मैनहोलों को, यथोचित जंगलों से घेर दिया जाना चाहिए और उन पर चेतावनी सिगनल या बोर्ड लगा दिए जाने चाहिए।

(च) ठेकेदार 18 वर्ष से कम आयु वाले पुरुषों और स्त्रियों को ऐसे उत्पादों द्वारा जिनमें किसी भी रूप में सीसा अंतर्विष्ट हो, रंगाई के कार्य पर नियोजित नहीं करेगा। जहां कहीं 18 वर्ष से अधिक की आयु वाले व्यक्ति सीसा द्वारा रंगने के कार्य पर नियोजित किए जाएं, वहां निम्नलिखित पूर्वावधानिया बरती जानी चाहिए:—

(i) सीसा या सीसा उत्पादों को अंतर्विष्ट करने वाला कोई भी पेंट, जब तक कि वह पेस्ट या तैयार पेंट के रूप में न हो, उपयोग में नहीं लाया जाएगा।

(ii) जब पेंट फुहार के रूप में या ऐसी जगह पर किया जाना हो जिस पर से सीसे का पेंट शुष्क रगड़ा या खुरचा गया हो तब कर्मकारों के उपयोग के लिए यथोचित मुखपट की व्यवस्था की जानी चाहिए।

(iii) कर्मकारों को ओवरआल ठेकेदार द्वारा दिए जाएंगे और कार्य करने वाले पेंटरों को, कार्य के दौरान और कार्य की समाप्ति पर प्रक्षालन की समुचित प्रसुविधा दी जाएगी।

(iv) I(क) सफेद सीसा, सीसे का सल्फेट या इन वर्णनकों को अन्तर्विष्ट करने वाले उत्पाद का (उपयोग के लिए तैयार पेस्ट या पेंट को छोड़कर) पेंटिंग संक्रिया में उपयोग नहीं किया जाएगा।

(ख) जहां भी अपेक्षित हो फुहारों के रूप में पेंट लगाने से होने वाले खतरे से बचाव के लिए उपाय किए जाएंगे।

(ग) सूखी घिसाई और खुरचने से उठने वाली धूल से होने वाले खतरे से, जहां कहीं व्यवहार्य हो, बचाव के उपाय किए जाएंगे।

II(क) कार्य करने वाले पेंटरों को, कार्य के दौरान और कार्य की समाप्ति पर प्रक्षालन की समुचित प्रसुविधा दी जाएगी।

(ख) कार्य करने वाले पेंटरों को कार्य की सम्पूर्ण अवधि के दौरान ओवरआल पहनने होंगे।

(ग) कार्य के घंटों के दौरान, उतारे गए कपड़ों को पेंटिंग सामग्री से खराब होने से बचाने की यथोचित व्यवस्था की जाएगी।

III(क) सीसा विषाक्तीकरण और सीसा विषाक्तीकरण के संदेह के मामलों की अधिसूचना दे दी जाएगी और तत्पश्चात् केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा उसका सत्यापन किया जाएगा।

(ख) जब भी आवश्यक हो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग अपेक्षा कर सकेगा कि कर्मकारों की स्वास्थ्य परीक्षा कराई जाए।

(ग) पेंटिंग के व्यवसाय में कार्यरत पेंटरों को स्वास्थ्य रक्षा संबंधी पूर्वविधानियों के संबंध में अनुदेश वितरित किए जाएंगे।

(ix) जब काम किसी ऐसे स्थान के पास किया जाता है जहां डूबने की जोखिम हो तो सभी आवश्यक उपस्करों की व्यवस्था होनी चाहिए और वे उपयोग के लिए तैयार रहने चाहिए और खतरे में पड़े हुए व्यक्ति के तत्परता से बचाव के लिए सभी आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए और कार्य के अनुक्रम में उठाई जा सकने वाली संभाव्य सभी क्षतियों के तत्परता से प्राथमिक उपचार के लिए यथायोग्य व्यवस्था की जानी चाहिए।

(x) होइस्टिंग मशीन और टैकल का, जिसके अन्तर्गत उनके संलग्नक, स्थिरक स्थान और अवलम्ब भी आते हैं, उपयोग निम्नलिखित मानक या शर्तों के अनुरूप होगा :—

1. (क) ये अच्छे यांत्रिक सन्निर्माण, ठीक सामग्री की और पर्याप्त रूप से मजबूत और प्रत्यक्ष त्रुटियों से मुक्त होंगी और इन्हें अच्छी मरम्मत और अच्छी चालू हालत में रखा जाएगा।

(ख) प्रत्येक रस्सी, जिसका उपयोग सामग्रियों को ऊपर उठाने या नीचे लाने या निलम्बन के साधन के रूप में किया जाएगा, मजबूत क्वालिटी की और पर्याप्त रूप से मजबूत तथा प्रत्यक्ष त्रुटियों से मुक्त होगी।

2. प्रत्येक क्रेन चालक या होइस्टिंग साधित्र आपरेटर समुचित रूप से अर्हित होगा और 21 वर्ष से कम आयु वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी होइस्टिंग मशीन का, जिसके अंतर्गत पाड़ विंच आता है, भारसाधक नहीं होगा या आपरेटर को सिग्नल नहीं देगा।

3. प्रत्येक होइस्टिंग मशीन और ऊपर उठाने या नीचे लाने के लिए या निलम्बन के साधन स्वरूप प्रयुक्त प्रत्येक चेन रिंग हुक, शैकल स्विवेल और पुली ब्लाक की दशा में निरापद कार्यकरण बोझ का पता उपयुक्त साधनों द्वारा लगाया जाएगा। ऊपर निर्दिष्ट होइस्टिंग मशीन पर और सभी गियरों पर निरापद कार्यकरण बोझ साफ-साफ चिह्नित होगा। ऐसी होइस्टिंग मशीन की दशा में, जिसका

निरापद कार्यकरण बोझ परिवर्तनशील है, हरएक निरापद कार्यकरण बोझ, उन शर्तों सहित, जिनके अधीन वह लागू होता है, स्पष्ट रूप से उपदर्शित होगा। इस पैरा में ऊपर निर्दिष्ट मशीन या किसी गियर के किसी भी भाग पर परीक्षण के प्रयोजन से ही, निरापद कार्यकरण बोझ से अधिक भार लादा जाएगा अन्यथा नहीं।

4. विभागीय मशीनों की दशा में निरापद कार्यकरण बोझ भारसाधक विद्युत इंजीनियर द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। जहां तक ठेकेदारों की मशीनों का संबंध है, जब कभी ठेकेदार कार्यस्थल पर कोई मशीनरी लाएं, मशीन का निरापद कार्यकरण बोझ भारसाधक इंजीनियर को अधिसूचित करेगा और संबंधित विद्युत इंजीनियर से उसका सत्यापन करवाएगा।

(xi) होइस्टिंग साधित्रों के मोटर, गियरिंग, पारेषण, विद्युत वायरिंग और अन्य संलग्नाक भागों के रक्षोपाय की दक्ष व्यवस्था की जानी चाहिए। होइस्टिंग साधित्रों में ऐसे साधनों की व्यवस्था होनी चाहिए कि लदान के अकस्मात नीचे आ जाने की जोखिम न्यूनतम हो जाए। निलम्बित लदान के किसी भी भाग के अकस्मात खिसक जाने की जोखिम को न्यूनतम करने के लिए यथोचित पूर्वविधानियां बरती जाएं। जब कर्मकार ऐसे विद्युत संस्थापन पर नियोजित हों जो पहले से ही ऊर्जित हो, तो उनके लिए आवश्यकतानुसार विसंवाही चटाइयों, पहनने के वस्त्रों अर्थात् दस्तानों, बाहों और बूटों की व्यवस्था होनी चाहिए। कर्मकारों को अंगूठियां और घड़ियां नहीं पहननी चाहिए और चाबियां या अन्य ऐसी सामग्री नहीं ले जानी चाहिए जो विद्युत की सुसंवाहक हो।

(xii) सभी पाड़, सीढ़ियां और अन्य सुरक्षा युक्तियों को, जो इसमें उल्लिखित या वर्णित हैं सुरक्षित अवस्था में रखा जाना चाहिए और किसी भी पाड़, सीढ़ी या उपस्कर को जब वह उपयोग में हो, न तो परिवर्तित किया जाएगा और न हटाया जाएगा। कार्यस्थलों पर या उनके निकट धुलाई की उपयुक्त सुख सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए।

(xiii) सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी सभी संबद्ध व्यक्तियों को कार्यस्थल के किसी प्रमुख स्थान पर लगे सूचनापट्ट पर उसका प्रदर्शन करके दी जानी चाहिए। सुरक्षा संहिता के अनुपालन के लिए ठेकेदार द्वारा उत्तरदायी व्यक्ति का नाम उसमें दिया जाएगा।

(xiv) सुरक्षा पूर्वविधानियों से संबंधित नियमों और विनियमों के प्रभावकारी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार द्वारा किए गए इंतजाम विभाग के श्रम आफिसर, भारसाधक इंजीनियर या उनके प्रतिनिधियों के निरीक्षण के लिए खुले रहेंगे।

(xv) उक्त खण्ड (i) से लेकर (xiv) तक के खण्डों के होते हुए भी उनकी कोई भी बात ठेकेदार को भारत गणराज्य में प्रवृत्त किसी अन्य अधिनियम या नियम के प्रवर्तन से छूट नहीं देगी।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग या उसके ठेकेदारों द्वारा नियोजित कर्मकारों के स्वास्थ्य के संरक्षण और सफाई व्यवस्थाओं के लिए आदर्श नियम

1. लागू होना :

ये नियम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के नियंत्रणाधीन ऐसे सभी भवन और निर्माण कार्यों को लागू होंगे जिनमें उस अवधि के दौरान, जब संविदा कार्य चल रहा है, किसी भी दिन सामान्यतया 20 या उससे अधिक कर्मकार नियोजित किए गए हों अथवा नियोजित किए जाने का प्रस्ताव हो।

2. परिभाषा :

कार्यस्थान से वह स्थान अभिप्रेत है जहां, उस अवधि के दौरान जब संविदा कार्य चल रहा है, किसी भी दिन निर्माण कार्य के संबंध में सामान्यतया 20 या उससे अधिक कर्मकार नियोजित किए गए हों अथवा नियोजित किए जाने का प्रस्ताव हो।

3. प्राथमिक उपचार सुविधाएं :

(1) प्रत्येक कार्यस्थान में, सामान्यतया नियोजित 150 ठेका श्रमिकों या उनके किसी भाग के लिए कम से कम एक प्राथमिक उपचार पेटिका के हिसाब से प्राथमिक उपचार पेटिकाओं की व्यवस्था ऐसी जगह पर होनी चाहिए जहां काम के घंटों के दौरान आसानी से पहुंचा जा सके।

(2) प्राथमिक उपचार पेटिका पर सफेद जमीन पर रेड क्रास का चिह्न स्पष्ट रूप से अंकित होगा और पेटिका में निम्नलिखित उपस्कर होंगे, अर्थात् :—

(क) ऐसे कार्यस्थानों पर जहां नियोजित ठेका श्रमिकों की संख्या 50 से अधिक नहीं है—

प्रत्येक प्राथमिक उपचार पेटिका में निम्नलिखित उपस्कर होंगे:—

(i) 6 छोटी विसंक्रमित पट्टियां।

(ii) 3 मध्यम आकार की विसंक्रमित पट्टियां।

(iii) 3 बड़े आकार की विसंक्रमित पट्टियां।

(iv) 3 बड़े आकार की जले पर लगाने की विसंक्रमित पट्टियां।

(v) 2 प्रतिशत अल्कोहल-युक्त आयोडीन के घोल की 1 (30 मि० लि० की) शीशी।

(vi) सालवोलिटाइल की एक शीशी 1 (30 मि० लि० की) जिसके लेबल पर मात्रा और सेवन विधि लिखी हो।

(vii) सर्पदंश लेन्सेट।

(viii) पोटाशियम पर्मेगनेट क्रिस्टल की (30 ग्राम की) एक बोतल।

(ix) एक कैंची।

(x) महानिदेशक, फैक्टरी परामर्श सेवा तथा श्रम संस्थान, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया प्राथमिक उपचार पत्रक।

(xi) एक शीशी जिसमें एस्पिरिन की 100 टिकियां (प्रत्येक टिकिया 5 ग्राम की हो)।

(xii) जले पर लगाने के लिए मरहम।

(xiii) शल्यकर्म के लिए उपयुक्त कृमिनाशक घोल की एक शीशी।

(ख) ऐसे कार्य स्थानों पर जहां ठेका श्रमिकों की संख्या 50 से अधिक हो :—

प्रत्येक प्राथमिक उपचार पेटिका में निम्नलिखित उपस्कर होंगे—

(i) 12 छोटी विसंक्रमित पट्टियां।

(ii) 6 मध्यम आकार की विसंक्रमित पट्टियां।

(iii) 6 बड़े आकार की विसंक्रमित पट्टियां।

(iv) 6 बड़े आकार की विसंक्रमित जले पर लगाने की पट्टियां।

(v) विसंक्रमित रुई के 6 (15 ग्राम के) पैकेट।

(vi) 2 प्रतिशत अल्कोहलयुक्त आयोडीन के घोल की 1 (60 मि० लि० की) शीशी।

(vii) साल्वोलेटाइल की एक शीशी (60 मि० लि०) जिसके लेबल पर मात्रा और सेवन विधि लिखी हो।

(viii) आसंजक प्लास्टर का एक रोल।

(ix) सर्पदंश लेन्सेट।

(x) पोटाशियम पर्मेगनेट क्रिस्टल की 1 (30 ग्राम की) शीशी।

(xi) एक कैंची।

(xii) महानिदेशक, फैक्टरी परामर्श सेवा तथा श्रम संस्थान, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया प्राथमिक उपचार पत्रक।

(xiii) एस्पिरिन की 100 टिकियों की (प्रत्येक टिकिया 5 ग्राम की होगी) एक शीशी।

(xiv) जले पर लगाने का मरहम।

(xv) शल्यकर्म के लिए उपयुक्त क्रमिनाशक घोल की एक शीशी।

(3) आवश्यकतानुसार, उपस्कर की प्रतिपूर्ति की उपयुक्त व्यवस्था होनी चाहिए।

(4) प्राथमिक उपचार पेटिका में विहित वस्तुओं के सिवाय कुछ भी नहीं रखा जाएगा।

(5) प्राथमिक उपचार पेटिका किसी जिम्मेदार व्यक्ति के भारसाधन में रखी जाएगी जो कार्यस्थान पर कार्य समय के दौरान सदा सुगमता से उपलब्ध रहे।

(6) जिस कार्यस्थान पर नियोजित ठेका श्रमिकों की संख्या 150 से अधिक है वहां पर प्राथमिक उपचार में प्रशिक्षित व्यक्ति ही प्राथमिक उपचार पेटिका का भारसाधक व्यक्ति होगा।

(7) ऐसे कार्यस्थानों पर जहां नियोजित ठेका श्रमिकों की संख्या 500 या इससे अधिक है तथा अस्पताल संकर्म के नजदीक नहीं है, एक प्रशिक्षित कम्पाउण्डर की देखरेख में एक प्राथमिक उपचार केन्द्र खोला जाएगा। कम्पाउण्डर ड्यूटी पर रहेगा तथा जब मजदूर काम पर होंगे तो उसकी सेवाएं हर समय उपलब्ध रहेंगी।

(8) यदि कार्यस्थान किसी शहर या कस्बे में नहीं है तो घायल व्यक्तियों अथवा अकस्मात् बीमार पड़ने वाले व्यक्तियों को समीपवर्ती अस्पताल में ले जाने के लिए उपयुक्त मोटर परिवहन व्यवस्था सुगमता से उपलब्ध रहेगी।

4. पेय जल :

(क) प्रत्येक कार्यस्थान में उपयुक्त स्थानों पर पीने योग्य ठण्डे पानी की पर्याप्त सप्लाई की व्यवस्था की जाएगी और उसे बनाए रखा जाएगा। यह व्यवस्था ऐसे स्थानों पर होगी जहां श्रमिक आसानी से पहुंच सकें।

(ख) जहां पेय जल किसी अन्तर्विरामी सार्वजनिक जल प्रदाय से प्राप्त किया जाता है वहां प्रत्येक कार्यस्थान पर ऐसे जल के संचय की व्यवस्था की जाएगी जहां ऐसे पेय जल का संग्रह किया जाएगा।

(ग) प्रत्येक जल प्रदाय या जल संग्रह की शौचालय, नाली या प्रदूषण के अन्य स्रोत से दूरी कम से कम 50 फीट होगी। जहां जल किसी ऐसे विद्यमान कुएं से लिया जाना हो जो शौचालय, नाली या प्रदूषण के किसी अन्य स्रोत से उक्त दूरी से कम दूरी पर हो वहां ऐसी स्थिति में कुएं से पीने के लिए जल निकालने से पूर्व उसका उचित रूप से क्लोरीनीकरण किया जाएगा। ऐसे सभी कुएं पूर्णतः ढके हुए होंगे और उनमें धूल और जल-रोधी छतद्वार की व्यवस्था की जाएगी।

(घ) प्रत्येक ढके कुएं में एक विश्वसनीय पम्प फिट किया जाएगा। छतद्वार को ताला लगाकर रखा जाएगा और केवल सफाई या निरीक्षण करने के लिए, जो मास में कम से कम एक बार होगा, खोला जाएगा।

5. प्रक्षालन सुविधाएं :

(i) प्रत्येक कार्यस्थान पर वहां नियोजित ठेका श्रमिकों के उपयोग के लिए प्रक्षालन की पर्याप्त और उचित सुविधा का प्रबंध किया जाएगा तथा उसे बनाए रखा जाएगा।

(ii) स्त्री और पुरुष कर्मकारों के उपयोग के लिए अलग-अलग और पर्याप्त पर्दे की व्यवस्था होगी।

(iii) ऐसी सुविधाएं उन स्थानों पर होंगी जहां आसानी से पहुंचा जा सके और उन्हें स्वास्थ्य की दृष्टि से साफ-सुथरा रखा जाएगा।

6. शौचालय तथा मूत्रालय :

(i) प्रत्येक कार्यस्थान पर निम्नलिखित मानदण्ड के आधार पर शौचालयों की व्यवस्था की जाएगी, अर्थात् :—

(क) जहां पर महिलाएं नियोजित की गई हैं वहां पर प्रति 25 महिलाओं के लिए कम से कम एक शौचालय हो।

(ख) जहां पुरुष नियोजित हैं वहां प्रति 25 पुरुषों के लिए कम से कम एक शौचालय हो :

परन्तु जहां पर पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या 100 से अधिक है वहां यदि प्रथम 100 की संख्या तक, यथास्थिति, प्रत्येक 25 पुरुषों या महिलाओं के लिए एक शौचालय और तत्पश्चात् प्रत्येक 50 की संख्या के लिए एक शौचालय हो तो पर्याप्त होगा।

(ii) प्रत्येक शौचालय ढका हुआ होगा तथा उनका इस प्रकार विभाजन होगा कि एकान्तता सुरक्षित रहे तथा शौचालय में दरवाजे तथा चटखनियों की उचित व्यवस्था होगी।

(iii) शौचालयों का निर्माण :—भीतरी दीवारें चिनाई या किसी उपयुक्त ताप-रोधी अनवशोषी पदार्थ द्वारा निर्मित की जाएंगी और उनमें वर्ष में कम से कम एक बार भीतर और बाहर सीमेंट की पुताई की जाएगी। ये शौचालय "बोरहोल" तरीके के शौचालय के मानक से घटिया नहीं होंगे।

(iv) (क) जहां पर महिलाएं और पुरुष दोनों ही नियोजित किए जाते हैं वहां पर अधिकांश लोगों द्वारा समझी जाने वाली भाषा में शौचालय तथा मूत्रालयों में, यथास्थिति, "केवल पुरुषों के लिए" या "केवल महिलाओं के लिए" सूचना लिखकर लगाई जाएगी।

(ख) इस सूचना में, यथास्थिति, पुरुष या महिला का एक चित्र भी बना होगा।

(v) इस एक ही समय में नियोजित 50 पुरुषों तथा 50 महिलाओं के लिए कम से कम एक-एक मूत्रालय होगा। परन्तु जहां पुरुषों तथा महिलाओं की संख्या 500 से अधिक है वहां 500 तक पहले प्रत्येक 50 पुरुषों अथवा महिलाओं के लिए एक-एक मूत्रालय तथा शेष प्रत्येक 100 और उसके भाग के लिए एक मूत्रालय पर्याप्त होगा।

(vi) (क) शौचालयों तथा मूत्रालयों में उपयुक्त प्रकाश की व्यवस्था होगी तथा इनको हर समय साफ-सुथरी हालत में रखा जाएगा।

(ख) जो शौचालय और मूत्रालय स्वक्षाल्य मलवहन प्रणाली से जुड़े नहीं हैं उनके संबंध में लोक स्वास्थ्य प्राधिकारियों की अपेक्षाओं का अनुपालन करना होगा।

(vii) पानी नल के द्वारा दिया जाएगा अथवा शौचालयों तथा मूत्रालयों में या उनके निकट ऐसी जगह पर होगा जहां आसानी से पहुंचा जा सके।

(viii) **मल-मूत्र का व्ययन**—जब तक स्थानीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों द्वारा अन्यथा प्रबन्ध न किया जाए, कार्यस्थान पर भस्मीकरण द्वारा मल-मूत्र के उचित व्ययन का प्रबंध उचित भस्मक द्वारा किया जाएगा। इसके विकल्प के रूप में मल-मूत्र का व्ययन इस प्रयोजन के लिए तैयार किए गए पक्के टैंक के तल पर विष्ठा की एक परत रख कर और उसे रद्दी या कूड़े की 15 से० मी० परत से ढकने के उपरांत उसके ऊपर एक पखवाड़े तक मिट्टी की परत बिछाकर (जबकि वह खाद में परिवर्तित हो जाएगा), किया जा सकेगा।

(ix) कार्यस्थल पर नियोजित ठेकेदार के कर्मकारों तथा काम पर लगाए गए आदमियों के संबंध में सफाई कार्य तथा विष्ठा के उचित रूप से व्ययन के संबंध में भार-साधक इंजीनियर द्वारा जारी किए गए निदेशों का पालन ठेकेदार अपने ही खर्च पर करेगा। ठेकेदार **की** ओर से नगरपालिका अथवा छावनी प्राधिकरण द्वारा निष्पादित किए गए इस प्रकार के कार्य के लिए उनके द्वारा लगाए गए प्रभारों के भुगतान का उत्तरदायित्व ठेकेदार पर होगा।

7. विश्राम के लिए आश्रयस्थल की व्यवस्था:

प्रत्येक कार्यस्थल पर पुरुष और महिला श्रमिकों के विश्राम के लिए चार उपयुक्त शेडों की निःशुल्क व्यवस्था होगी। पुरुषों और महिलाओं के उपयोग के लिए अलग-अलग शेड होंगे। इनमें से दो शेड पुरुषों के लिए और दो महिलाओं के लिए होंगे। इन आश्रय-स्थलों की, फर्श से छत के निम्नतम भाग तक की, ऊंचाई 3 मीटर से कम नहीं होगी। ये स्थान प्रति व्यक्ति 0.6 वर्ग मीटर के हिसाब से बनाए जाएंगे और इन्हें साफ-सुथरा रखा जाएगा :

परन्तु भारसाधक इंजीनियर अपना समाधान हो जाने पर, निर्माणाधीन भवन के एक भाग या किसी वैकल्पिक स्थान को इस प्रयोजन के लिए उपयोग किए जाने की अनुज्ञा दे सकेगा।

8. शिशु-कक्ष:

(क) प्रत्येक कार्यस्थान पर जहां सामान्यतः 20 या इससे अधिक महिला श्रमिक नियोजित की जाती हैं, उनके 5 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त आकार के दो कमरों की व्यवस्था की जाएगी। एक कमरा बच्चों के खेलने के लिए होगा तथा दूसरा कमरा उनके सोने के लिए। ये कमरे निम्नलिखित मानक के आधार पर बनाए जाएंगे और उससे कम स्तर के नहीं होंगे :—

(i) घास-फूस की छत।

(ii) मिट्टी की दीवारें तथा फर्श।

(iii) मिट्टी के फर्श पर तख्ते बिछे हों और चटाई से ढके हों।

(ख) कमरों में उपयुक्त प्रकाश तथा संवातन की व्यवस्था होगी। इन स्थानों को साफ रखने के लिए झाड़ूकश का भी प्रबंध होना चाहिए।

(ग) ठेकेदार खेल के कमरे में उचित संख्या में खिलौने तथा सोने के कमरे में उपयुक्त संख्या में चारपाई और बिस्तर का प्रबंध करेगा।

(घ) जब महिला कर्मकारों की संख्या 50 से अधिक नहीं है तब शिशु-कक्ष में बच्चों की देखरेख के लिए ठेकेदार एक दाई रखेगा तथा महिला कर्मकारों की संख्या 50 से अधिक होने पर वह 2 दाई रखेगा।

(ङ) शिशु-कक्ष के लिए निर्धारित कमरों का उपयोग केवल बच्चे, उनके परिचारक तथा उनकी माताएं ही कर सकेंगी।

9. **कैन्टीन :**

(1) ऐसे प्रत्येक कार्यस्थान में जहां ठेका श्रमिकों की नियुक्ति का कार्य छह मास तक चलते रहने की संभावना है तथा जहां सामान्यतया नियोजित ठेका श्रमिकों की संख्या 100 या इससे अधिक है वहां ऐसे ठेका श्रमिकों के लिए ठेकेदार एक उपयुक्त कैन्टीन की व्यवस्था करेगा।

(2) ठेकेदार इस कैन्टीन की देखरेख दक्ष रीति से करेगा।

(3) कैन्टीन में कम से कम एक भोजन कक्ष, रसोई, भंडार कमरा, रसोई भंडार तथा बर्तनों को साफ करने और कर्मकारों के प्रक्षालन के लिए अलग-अलग स्थान होगा।

(4) जब भी कोई व्यक्ति कैन्टीन में आए तो इसमें उपयुक्त प्रकाश की व्यवस्था होनी चाहिए।

(5) फर्श चिकना तथा दुर्भेद्य सामग्री से निर्मित होगा और प्रत्येक वर्ष कम से कम एक बार अन्दर की दीवारों की चूना अथवा रंग से पुताई की जाएगी :

परन्तु रसोई की दीवारों पर भीतर की ओर हर चार महीने में एक बार चूना से पुताई की जाएगी।

(6) कैन्टीन के स्थान को साफ-सुथरी हालत में रखा जाएगा।

(7) गंदे पानी को ढ़की हुई नाली के द्वारा बहाया जाएगा तथा इसे एक स्थान पर इस प्रकार एकत्र नहीं होने दिया जाएगा कि उससे न्यूसेंस हो।

(8) कूड़ा करकट को एकत्र करने तथा उसके व्ययन के लिए उचित प्रबंध किया जाएगा।

(9) भोजन कक्ष में एक समय में ठेका श्रमिकों की कुल संख्या के 30 प्रतिशत आदमियों के बैठने का स्थान होना चाहिए।

(10) भोजन कक्ष में, सर्विस काउन्टर तथा फर्नीचर को छोड़कर, जिसमें मेज, कुर्सी शामिल नहीं है, प्रत्येक भोजन खाने वाले के लिए उप-नियम 9 में निर्धारित स्थान के अनुसार एक वर्ग मीटर से कम स्थान नहीं होना चाहिए।

(11)(i) भोजन कक्ष और सर्विस काउन्टर के एक भाग को महिला श्रमिकों के अनुपात के अनुसार विभाजित कर महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा।

(ii) महिलाओं के लिए प्रक्षालन स्थान अलग होना चाहिए तथा एकान्तता सुनिश्चित करने के लिए उसमें परदा लगा होगा।

(12) उप-नियम 9 में जैसा निर्दिष्ट है, खाना खाने वालों के लिए मेज, स्टूल, कुर्सी अथवा बैंच उपयुक्त संख्या में उपलब्ध होंगे।

(13) (क)(i) कैन्टीन को सुचारु रूप से चलाने के लिए उपयुक्त मात्रा में बर्तन, क्रोकरी, फर्नीचर और उसके लिए आवश्यक उपस्करों की व्यवस्था की जाएगी।

(ii) फर्नीचर, बर्तन तथा अन्य उपस्कर स्वच्छ और स्वास्थ्यकर दशा में रखे जाएंगे।

(ख)(i) कैन्टीन में काम करने वालों को साफ कपड़े दिए जाएंगे तथा उन कपड़ों को साफ रखा जाएगा।

(ii) यदि कोई सर्विस काउन्टर है तो उसके ऊपर का भाग साफ-सुथरा तथा दुर्भेद्य-सामग्री का बना होगा।

(iii) बर्तनों या उपस्करों को धोने के लिए उपयुक्त व्यवस्था होगी जिसके अन्तर्गत पर्याप्त गर्म पानी के प्रदाय की व्यवस्था भी है।

(14) कैन्टीन में परोसा जाने वाला खाना और अन्य वस्तुएं ठेका श्रमिक की सामान्य पसन्द के अनुसार होंगी।

(15) कैंटीन में परोसे जाने वाले भोजन, पेय पदार्थों और अन्य वस्तुओं की कीमत "लाभ हानि रहित" आधार पर रखी जाएगी और उसे कैंटीन में सहजदृश्य रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

(16) कैंटीन में परोसे जाने वाले खाद्य पदार्थ का तथा अन्य पदार्थों का मूल्य निर्धारण करते समय निम्नलिखित मदों को खर्चे की मद न समझा जाए, अर्थात् :—

(क) भूमि तथा भवन का किराया।

(ख) कैंटीन के लिए उपबंधित भवन और उपस्करों का अवक्षयण और अनुरक्षण प्रभार।

(ग) फर्नीचर, क्रोकरी, छुरी कांटे और बर्तन सहित उपस्करों के क्रय, मरम्मत तथा उनको बदलने की कीमत।

(घ) पानी के प्रभार तथा प्रकाश और संवातन के लिए उपगत प्रभार।

(ङ) कैंटीन के लिए उपस्करों की व्यवस्था करने और उनका अनुरक्षण करने पर खर्च की गई राशि तथा उसका ब्याज।

(17) कैंटीन से संबंधित लेखा की लेखापरीक्षा प्रत्येक 12 महीने में एक बार रजिस्ट्रीकृत लेखाकार तथा लेखापरीक्षक द्वारा की जाएगी।

10. **मलेरिया विरोधी पूर्वावधानियां:**

ठेकेदार, भारसाधक इंजीनीयर द्वारा उसे दिए गए सभी मलेरिया विरोधी अनुदेशों के अनुसार, जिनके अन्तर्गत ऐसे गड्ढों का भरा जाना भी है जो उसने खोदे हैं, अपने खर्च पर कार्य करेगा।

11. उक्त नियमों को संविदा तथा निविदा आमंत्रण सूचना में सम्मिलित किया जाएगा तथा वे संविदा के अभिन्न अंग होंगे।

12. **संशोधन** :

सरकार इन नियमों के प्रशासन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के प्रयोजन से समय-समय पर इन नियमों में परिवर्धन या संशोधन कर सकेगी और ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जो वह आवश्यक समझे।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ठेकेदार श्रम विनियम

1. **संक्षिप्त नाम :**

इन विनियमों का संक्षिप्त नाम "केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ठेकेदार श्रम विनियम" है।

2. (i) **परिभाषाएं :**

"कर्मकार" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा या उसके ठेकेदार द्वारा प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः किसी उप ठेकेदार के माध्यम से केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की जानकारी में या उसके बिना भाड़े या इनाम पर किसी कुशल, अर्ध-कुशल या अकुशल शारीरिक, पर्यवेक्षी, तकनीकी या लिपिकीय कार्य करने के लिए नियोजित किया गया है चाहे नियोजन की शर्तें अभिव्यक्त हों या विवक्षित हों किन्तु इसके अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति नहीं है—

(क) जो मुख्यतया प्रबन्धकीय या प्रशासनिक हैसियत से नियोजित है; या

(ख) जो पर्यवेक्षी हैसियत में नियोजित होते हुए प्रतिमास 500 रुपए से अधिक मजदूरी ले रहा है या पद से संलग्न कर्तव्यों की प्रकृति के कारण अथवा उसमें निहित शक्तियों के कारण मुख्य रूप से प्रबंधकीय स्वरूप के कृत्यों का पालन करता है ;

(ग) जो बाह्य कर्मकार है, अर्थात्, ऐसा व्यक्ति है जिसे प्रधान नियोजक द्वारा या उसकी ओर से कोई वस्तु या सामग्री प्रधान नियोजक के व्यापार या कारबार के प्रयोजन से विक्रय के लिए गढ़ने, साफ करने, धोने, बदलने, आलंकारिक सज्जा करने, मरम्मत करने, अनुकूलित करने या अन्यथा प्रसंस्कृत करने के लिए दी जाती है और वह प्रसंस्करण बाह्य कर्मकार के घर में या ऐसे किसी अन्य परिसर में जो प्रधान नियोजक के नियंत्रण और प्रबंध के अधीन नहीं है, किया जाता है।

(ii) "उचित मजदूरी" से वह मजदूरी अभिप्रेत है जो चाहे कालानुपाती काम के लिए या मात्रानुपाती काम के लिए हो और जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के उपबंधों के अधीन समय-समय पर अधिसूचित की गई हो।

(iii) "ठेकेदार" के अन्तर्गत ऐसा प्रत्येक व्यक्ति है जो विनिर्मित माल या वस्तुओं के प्रदाय मात्र से भिन्न कोई निश्चित परिणाम ठेका श्रमिक के माध्यम से उत्पन्न करने का वचनबंध करता है या जो किसी काम के लिए ठेका श्रमिक का प्रदाय करता है तथा इसके अन्तर्गत उप-ठेकेदार भी है।

(iv) "मजदूरी" का वही अर्थ है जो मजदूरी संदाय अधिनियम में है।

2(क) सामान्यतया किसी वयस्क कर्मचारी के काम का समय दिन में 9 घंटे और बालक के लिए 4½ घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। कार्य दिवस की व्यवस्था इस प्रकार से की जाएगी कि यदि कोई विश्राम का मध्यावकाश हो तो उसे मिला कर वह किसी भी दिन 12 घंटे से अधिक का न हो।

2(ख) यदि किसी वयस्क कर्मकार से किसी दिन 9 घंटे या किसी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम कराया जाता है तब उसे कार्य के अतिरिक्त समय के लिए मजदूरी की साधारण दर की दुगनी दर से अतिकाल भत्ता दिया जाएगा। बालक से अतिरिक्त समय में काम नहीं कराया जाएगा।

2(ग)(i) प्रत्येक कर्मकार इस बात का विचार किए बिना कि वह न्यूनतम मजदूरी अधिनियम द्वारा शासित होता है या नहीं, समय-समय पर यथा संशोधित न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम, 1960 के उपबंधों के अनुसार सामान्यतः रविवार को साप्ताहिक छुट्टी दी जाएगी।

(ii) जहां न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा विहित न्यूनतम मजदूरी में साप्ताहिक विश्राम के दिन की मजदूरी सम्मिलित नहीं है वहां कर्मकार ठीक पूर्वगामी दिन को देय मजदूरी की दर पर विश्राम दिवस की मजदूरी का हकदार होगा परन्तु यह तब होगा जब उसने उसी ठेकेदार के अधीन कम से कम 6 दिन निरन्तर कार्य किया हो।

(iii) जहां भारसाधक इंजीनियर द्वारा ठेकेदार को यह अनुज्ञा दी जाती है कि वह किसी कर्मकार को असामान्य साप्ताहिक अवकाश वाले दिन कार्य करने दे, वहां वह (ठेकेदार) उस कर्मकार को प्रसामान्य साप्ताहिक अवकाश दिन के ठीक पूर्व या पश्चात् के पांच दिनों में से किसी दिन पूरे दिन का प्रतिस्थापित अवकाश मंजूर करेगा और ऐसे कर्मकार को उस काम के लिए जो उसने प्रसामान्य साप्ताहिक अवकाश के दिन किया है अतिकाल दर से मजदूरी का संदाय करेगा।

3. **मजदूरी आदि के संबंध में सूचना का संप्रदर्शन :**

ठेकेदार अपनी संविदा का काम प्रारंभ करने से पूर्व कार्यस्थानों के सहजदृश्य स्थलों पर अंग्रेजी में और अधिकांश कर्मकारों द्वारा बोली जाने वाली स्थानीय भारतीय भाषा में स्वच्छ और सुवाच्य अक्षरों में ऐसी सूचनाएं संप्रदर्शित करेगा और ठीक से लगाए रखेगा तथा संप्रदर्शित करता रहेगा और ठीक से लगाए रखता रहेगा जिसमें न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अधीन नियत मजदूरी की न्यूनतम दरें, दी जा रही वास्तविक मजदूरी, ऐसी अर्जित की जाने वाली मजदूरी के कार्य के घंटे, मजदूरी की अवधियां, मजदूरी भुगतान की तिथियां तथा परिशिष्ट "क" के अनुसार अन्य सुसंगत जानकारी दी गई हो।

4. **मजदूरी का संदाय :**

(i) ठेकेदार मजदूरी की वे अवधियां नियत करेगा, जिनके बारे में मजदूरी देय होगी।

(ii) मजदूरी की कोई भी अवधि एक मास से अधिक नहीं होगी।

(iii) प्रत्येक ऐसे व्यक्ति को, जो किसी स्थापन में या ठेकेदार द्वारा ठेका श्रमिक के रूप में नियोजित है, मजदूरी का संदाय, जहां ऐसे एक हजार से कम व्यक्ति नियोजित हैं, उस मजदूरी अवधि के, जिसकी बाबत मजदूरी संदेय है, अंतिम दिन के पश्चात् सातवें दिन की समाप्ति के पूर्व और अन्य मामलों में दसवें दिन की समाप्ति के पूर्व किया जाएगा।

(iv) जहां किसी कर्मकार का नियोजन ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से समाप्त किया जाता है वहां उसके द्वारा अर्जित मजदूरी का संदाय उस तारीख से जिस तारीख को उसका नियोजन समाप्त किया जाता है, दूसरे कार्य दिवस की समाप्ति के पूर्व किया जाएगा।

(v) मजदूरी के सभी संदाय किसी कार्य दिवस को कार्य परिसर में और कार्य समय के दौरान तथा पहले से ही अधिसूचित तारीख को किए जाएंगे और यदि काम मजदूरी अवधि की समाप्ति के पूर्व पूरा हो जाता है तो अंतिम संदाय अंतिम कार्य दिवस के 48 घंटों के भीतर किया जाएगा।

(vi) प्रत्येक कर्मकार को देय मजदूरी का संदाय सीधे उसी को या इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत अन्य व्यक्ति को किया जाएगा।

(vii) सभी मजदूरी का संदाय प्रचलित सिक्कों अथवा करेन्सी या दोनों में किया जाएगा।

(viii) मजदूरी का संदाय, उन कटौतियों को छोड़कर जो केन्द्रीय सरकार ने इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट की है या जो मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 के अधीन अनुज्ञेय हैं, किसी भी प्रकार की कटौती के बिना किया जाएगा।

(ix) मजदूरी अवधि तथा मजदूरी वितरण के स्थान और समय की सूचना कार्यस्थान पर प्रदर्शित की जाएगी तथा ठेकेदार उसकी एक प्रति भारसाधक इंजीनियर को रसीदी डाक से भेजेगा।

(x) ठेकेदार का यह कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि कनिष्ठ इंजीनियर अथवा भारसाधक इंजीनियर के प्राधिकृत प्रतिनिधि को, जिससे यह अपेक्षित होगा कि वह ठेकेदार द्वारा कर्मकारों को मजदूरी संदाय के स्थान तथा समय पर उपस्थित रहे, उपस्थिति में मजदूरी का संदाय किया जाए।

(xi) ठेकेदार, यथास्थिति, कनिष्ठ इंजीनियर अथवा भारसाधक इंजीनियर के किसी अन्य प्राधिकृत प्रतिनिधि से, यथास्थिति, "मजदूरी रजिस्टर" या "मजदूरी-तथा-मस्टर रोल" में, प्रविष्टियों के अंत में हस्ताक्षर सहित प्रमाणपत्र निम्नलिखित रूप में लेगा :

"यह प्रमाणित किया जाता है कि स्तम्भ सं०————————————————में दिखाई गई रकम का संबंधित कर्मकारों को संदाय तारीख———————————— को————————————में मेरी उपस्थिति में किया गया है।"

5. **जुर्माने तथा कटौतियां जो मजदूरी में से की जा सकेंगी :**

(i) निम्नलिखित को छोड़कर कर्मकार की मजदूरी का संदाय उसको किसी भी प्रकार की कटौती के बिना किया जाएगा :—

(क) जुर्माने।

(ख) काम से अर्थात् उस स्थान या स्थानों से जहां उसके नियोजन के निबन्धनों के अनुसार उससे कार्य करने की अपेक्षा की गई है, अनुपस्थित रहने के कारण कटौतियां, कटौती की राशि उसकी अनुपस्थिति की अवधि के अनुपात में होगी।

(ग) नियोजित व्यक्ति को स्पष्ट रूप से अभिरक्षा के लिए सौंपे गए माल को हुए नुकसान या हानि या धन की हानि के लिए कटौती या कोई अन्य कटौती जिसके लिए वहां उससे हिसाब देने की अपेक्षा की जाती है, जहां इस प्रकार का नुकसान या हानि प्रत्यक्षतः उसके द्वारा उपेक्षा या व्यतिक्रम के कारण हुई मानी जा सकती है।

(घ) अग्रिम की वसूली के लिए या मजदूरी के अतिसंदाय के समायोजन के लिए कटौती, मंजूर किए गए अग्रिम की प्रविष्टि रजिस्टर में की जाएगी।

(ङ) कोई अन्य कटौती जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अनुज्ञात करे।

(ii) किसी भी कर्मकार पर उसके द्वारा किए गए उन कार्यों और लोपों को छोड़कर, जिनके लिए जुर्माना अधिरोपित किए जाने का अनुमोदन मुख्य श्रम आयुक्त ने कर दिया है, कोई जुर्माना अधिरोपित न किया जाए।

टिप्पण—उन कार्यों और लोपों की, जिनके लिए जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है अनुमोदित सूची परिशिष्ट 1 में संलग्न है।

(iii) कर्मकार पर नुकसान या हानि के लिए तब तक न तो कोई जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा और न उसकी मजदूरी में से कोई कटौती की जाएगी जब तक कि उसे ऐसे जुर्माने या कटौतियों के विरुद्ध कारण बताने का अवसर न दे दिया गया हो।

(iv) किसी कर्मकार पर किसी एक मजदूरी अवधि में अधिरोपित किए जा सकने वाले जुर्माने की कुल रकम उस मजदूरी अवधि की बाबत उसको देय मजदूरी में एक रुपए पर तीन पैसे से अधिक नहीं होगी।

(v) किसी कर्मकार पर अधिरोपित किया गया कोई जुर्माना उससे किस्तों में, या जुर्माना अधिरोपित किए जाने की तारीख से 60 दिन बीतने के बाद वसूल नहीं किया जाएगा।

(vi) प्रत्येक जुर्माना उस दिन अधिरोपित किया गया समझा जाएगा, जिस दिन वह कार्य या लोप किया गया है जिसके कारण जुर्माना अधिरोपित किया गया है।

6. **श्रम संबंधी अभिलेख :**

(i) ठेकेदार, संविदा कार्य पर "नियोजित व्यक्तियों का रजिस्टर" ठेका श्रम (विनियमन तथा उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के प्ररूप 13 (परिशिष्ट ख) में रखेगा।

(ii) ठेकेदार उन सभी कर्मकारों के संबंध में जिन्हें उसने संविदा के अधीन कार्य में नियोजित किया है, एक "मस्टर रोल" ठेका श्रम (विनियमन तथा उत्सादन) नियम, 1971 के प्ररूप 16 (परिशिष्ट ग) में रखेगा।

(iii) ठेकेदार उन सभी कर्मकारों के संबंध में, जिन्हें उसने संविदा के अधीन कार्य में नियोजित किया है, एक "मजदूरी रजिस्टर" ठेका श्रम (विनियमन तथा उत्सादन) नियम, 1971 के प्ररूप 17 (परिशिष्ट "घ") में रखेगा।

(iv) दुर्घटनाओं का रजिस्टर—ठेकेदार ऐसे प्ररूप में, जो कार्यस्थल पर सुविधाजनक हो, दुर्घटनाओं का एक रजिस्टर रखेगा, जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित बातें होंगी :—

(क) उन श्रमिकों के पूरे ब्यौरे जो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं।

(ख) मजदूरी की दर।

(ग) लिंग।

(घ) आयु।

(ङ) दुर्घटना की प्रकृति और उसका कारण।

(च) दुर्घटना का समय और तारीख।

(छ) अस्पताल में दाखिल होने की तारीख और समय।

(ज) अस्पताल छोड़ने की तारीख।

(झ) उपचार की अवधि और उसका परिणाम।

(ञ) अर्जन क्षमता की हानि और निःशक्तता की वह प्रतिशतता जो चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित की गई है।

(ट) वह दावा जिसका संदाय किया जाना कर्मकार प्रतिकर अधिनियम के अधीन अपेक्षित है।

(ठ) क्षतिपूर्ति के संदाय की तारीख।

(ड) संदत्त रकम और उस व्यक्ति का ब्यौरा जिसे वह रकम संदत्त की गई है।

(ढ) प्राधिकारी, जिसके द्वारा प्रतिकर निर्धारित किया गया।

(ण) टिप्पणियां।

(v) जुर्माने का रजिस्टर—ठेकेदार, ठेका श्रम (विनियमन तथा उत्सादन) नियम, 1971 के प्ररूप 12 में (परिशिष्ट-ज) एक "जुर्माने का रजिस्टर" रखेगा।

ठेकेदार उन कार्यों और लोपों की, जिनके लिए जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है, अनुमोदित सूची (परिशिष्ट झ) कार्य स्थल पर अच्छी हालत में और सहजदृश्य स्थल पर प्रदर्शित करेगा।

(vi) कटौतियों का रजिस्टर—ठेकेदार, ठेका श्रम (विनियमन तथा उत्सादन) नियम, 1971 के प्ररूप 20 में (परिशिष्ट-ञ) "नुकसान तथा हानियों के लिए कटौतियों का रजिस्टर" रखेगा।

(vii) अग्रिम का रजिस्टर—ठेकेदार, ठेका श्रम (विनियमन तथा उत्सादन) नियम, 1971 के प्ररूप 22 में (परिशिष्ट-ट) एक "अग्रिम का रजिस्टर" रखेगा।

(viii) अतिकाल रजिस्टर—ठेकेदार, ठेका श्रम (विनियमन तथा उत्सादन) नियम, 1971 के प्ररूप 23 में (परिशिष्ट-ठ) एक "अतिकाल रजिस्टर" रखेगा।

7. हाजिरी कार्ड-तथा-मजदूरी पर्ची :

(i) ठेकेदार, ऐसे प्रत्येक कर्मकार को जिसे उसने नियोजित किया है, परिशिष्ट "ड" में दिए गए नमूना प्ररूप के अनुसार एक हाजिरी कार्ड-तथा-मजदूरी पर्ची देगा।

(ii) यह कार्ड प्रत्येक मजदूरी अवधि के लिए विधिमान्य होगा।

(iii) ठेकेदार कार्ड पर प्रत्येक कर्मकार की प्रतिदिन दो बार, अर्थात् दिन के आरंभ होने पर तथा विश्राम मध्यान्तर के पश्चात् उसके वस्तुतः कार्य आरंभ करने से पूर्व हाजिरी लगाएगा।

(iv) यह कार्ड संबंधित मजदूरी अवधि के दौरान कर्मकार के कब्जे में रहेगा।

(v) ठेकेदार संबंधित मजदूरी अवधि की बाबत मजदूरी का संवितरण करने से कम से कम एक दिन पूर्व कार्ड के पृष्ठ भाग पर मजदूरी पर्ची के भाग को भर कर पूरा करेगा।

(vi) ठेकेदार मजदूरी का संवितरण करते समय मजदूरी पर्ची पर कर्मकार के हस्ताक्षर लेगा अथवा अंगूठे का निशान लगवाएगा तथा कार्ड को स्वयं अपने पास रखेगा।

8. नियोजन कार्ड :

ठेकेदार प्रत्येक कर्मकार को, उसके नियोजन के तीन दिन के भीतर ठेका श्रम (नियोजन तथा उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के प्ररूप 14 में (परिशिष्ट-च) एक नियोजन कार्ड देगा।

9. सेवा प्रमाणपत्र :

किसी भी कारण से नियोजन के समाप्त कर दिए जाने पर, ठेकेदार उस कर्मकार को, जिसकी सेवाएं समाप्त की गई हैं, ठेका श्रम (विनियमन तथा उत्सादन) केन्द्रीय नियम, 1971 के प्ररूप 15 में (परिशिष्ट-छ) एक सेवा प्रमाणपत्र देगा।

10. श्रम अभिलेखों का परिरक्षण :

ऐसे सभी अभिलेख, जिनके रखे जाने की अपेक्षा विनियम सं० 6 तथा 7 के अधीन की गई है, उनमें की गई अंतिम प्रविष्टि की तारीख से तीन वर्ष की अवधि तक मूल रूप में परिरक्षित रखे जाएंगे और वे भारसाधक इंजीनियर, श्रम अधिकारी अथवा निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अन्य अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध किए जाएंगे।

11. श्रम अधिकारियों को अन्वेषण या जांच करने की शक्ति :

श्रम अधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी ओर से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को यह शक्ति होगी कि वह उचित मजदूरी संबंधी खण्डों और विनियमों के उपबंधों का सम्यक् और उचित अनुपालन अभिनिश्चित करने और प्रवर्तित कराने की दृष्टि से जांच करे। वह ठेकेदार या उप ठेकेदार द्वारा ऐसे उपबंध के संबंध में किए गए व्यतिक्रम के बारे में की गई शिकायत का अन्वेषण करेगा।

12. श्रम अधिकारी की रिपोर्ट :

श्रम अधिकारी या पूर्वोक्त रूप में प्राधिकृत अन्य व्यक्ति अपने अन्वेषण या जांच के परिणाम की एक रिपोर्ट संबंधित कार्यपालक इंजीनियर को भेजेगा जिसमें वह यह बताएगा कि व्यतिक्रम किस सीमा तक, यदि कोई है, किया गया है और साथ ही यह टिप्पण भी देगा कि ठेकेदार के बिल में से आवश्यक कटौतियां कर ली जाएं और संबंधित श्रमिकों को मजदूरी और अन्य देय रकमों का संदाय कर दिया जाए। यदि ठेकेदार इन विनियमों के खण्ड 12 के अधीन अपील करता है तो ऐसी अपील पर अधीक्षण इंजीनियर द्वारा निर्णय किए जाने के पश्चात कार्यपालक इंजीनियर श्रमिकों को वास्तविक संदाय करेगा।

(क) कार्यपालक इंजीनियर, यथास्थिति, श्रम अधिकारी या अधीक्षण इंजीनियर से रिपोर्ट के प्राप्त होने के 45 दिन के भीतर संबंधित श्रमिकों को संदाय की व्यवस्था करेगा।

13. श्रम अधिकारी के विनिश्चय के विरुद्ध अपील :

श्रम अधिकारी या इस प्रकार प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के विनिश्चय और सिफारिशों से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध विनिश्चय की तारीख से 30 दिन के भीतर संबंधित अधीक्षण इंजीनियर को अपील कर सकेगा, और उसके साथ ही अपनी अपील की एक प्रति संबंधित कार्यपालक इंजीनियर को भेजेगा, किन्तु ऐसी अपील के अधीन रहते हुए, उस अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और ठेकेदार पर आबद्धकर होगा।

14. वकील के माध्यम से प्रतिनिधित्व के बारे में प्रतिषेध :

(i) कर्मकार इन विनियमों के अधीन किसी अन्वेषण या जांच में निम्नलिखित द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का हकदार होगा :—

(क) उस रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का कोई अधिकारी, जिसका वह सदस्य है।

(ख) व्यवसाय संघों के ऐसे परिसंघ का अधिकारी, जिससे खंड (क) में निर्दिष्ट व्यवसाय संघ संबद्ध है।

(ग) जहां नियोजक किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का सदस्य नहीं है वहां जिस उद्योग में कर्मकार नियोजित है, उससे संबंधित व्यवसाय के किसी अधिकारी द्वारा अथवा किसी अन्य कर्मकार द्वारा।

(ii) नियोजक इन विनियमों के अधीन किसी अन्वेषण या जांच में निम्नलिखित द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का हकदार होगा :—

(क) उस नियोजक संगम का कोई अधिकारी, जिसका वह सदस्य है।

(ख) नियोजक संगमों के ऐसे परिसंघ का कोई अधिकारी, जिससे खण्ड (क) में निर्दिष्ट संगम सम्बद्ध है।

(ग) जहां नियोजक किसी नियोजक संगम का सदस्य नहीं है वहां, जिस उद्योग में नियोजक लगा हुआ है, उससे संबंधित नियोजक संगम के किसी अधिकारी द्वारा या उस उद्योग में लगे किसी अन्य नियोजक द्वारा।

(iii) इन विनियमों के अधीन किसी अन्वेषण या जांच में कोई भी पक्षकार किसी विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का हकदार नहीं होगा।

15. बहियों और पर्चियों का निरीक्षण :

ठेकेदार अपने किसी कर्मकार या उसके अभिकर्ता को, अथवा श्रम अधिकारी या केन्द्रीय सरकार द्वारा उसकी ओर से प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को, सम्यक् सूचना मिलने के पश्चात् सुविधापूर्ण समय और स्थान पर सभी विहित श्रम अभिलेखों का निरीक्षण करने देगा।

16. विवरणियां प्रस्तुत करना :

ठेकेदार ऐसी नियतकालिक विवरणियां प्रस्तुत करेगा जो समय-समय पर विनिर्दिष्ट की जाएं।

17. संशोधन :

केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विनियमों में परिवर्धन या संशोधन कर सकेगी और इन विनियमों के लागू होने, निर्वचन या प्रभावी होने के बारे में किसी प्रश्न पर संबंधित अधीक्षण इंजीनियर का विनिश्चय अंतिम होगा।

परिशिष्ट 'क'

श्रम बोर्ड

कार्य का नाम ____________________

ठेकेदार का नाम ____________________

ठेकेदार का पता ____________________

के० लो० नि० विभाग के मंडल का नाम व पता ____________________

के० लो० नि० विभाग के श्रम अधिकारी का नाम ____________________

के० लो० नि० विभाग के श्रम अधिकारी का पता ____________________

श्रम प्रवर्तन अधिकारी का नाम ____________________

श्रम प्रवर्तन अधिकारी का पता ____________________

तारीख ____________________

क्रम संख्यांक	श्रेणी	नियत न्यूनतम मजदूरी	वस्तुतः संदत्त मजदूरी	उपस्थिति संख्या	टिप्पणियां

साप्ताहिक अवकाश ____________________

मजदूरी की अवधि ____________________

मजदूरी के संदाय की तारीख ____________________

काम के घंटे ____________________

विश्राम मध्यांतर ____________________

परिशिष्ट 'ख'

प्ररूप 13

(नियम 75 देखिए)

ठेकेदार द्वारा नियोजित कर्मकारों का रजिस्टर

ठेकेदार का नाम और पता ....

उस स्थापन का नाम और पता जिसमें/जिसके अधीन संविदा-कार्य किया जा रहा है ....

कार्य का स्वरूप और स्थान ....

मुख्य नियोक्ता का नाम और पता ....

क्रम संख्यांक	कर्मकार का नाम और कुलनाम	आयु तथा लिंग	पिता /पति का नाम	नियोजन का स्वरूप/पद नाम	कर्मकार का स्थायी गृह पता / गांव और तहसील, तालुक और जिला	स्थानीय पता	नियोजन आरंभ होने की तारीख	कर्मकार के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान	नियोजन की समाप्ति की तारीख	समाप्ति के कारण	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

प्ररूप 16

[नियम 78(2) (क) देखिए]

मस्टर रोल

ठेकेदार का नाम और पता ....

उस स्थापन का नाम और पता जिसमें/जिसके अधीन संविदा-कार्य किया जा रहा है ....

कार्य का स्वरूप और स्थान ....

मुख्य नियोक्ता का नाम और पता.. वह मास/पक्ष जिसके लिए है.................

क्रम संख्यांक	कर्मकार का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	तारीख					टिप्पणियां
1	2	3	4	5					6
				1	2	3	4	5	

परिशिष्ट 'ख'

प्ररूप 17

[नियम 78(2)(क) देखिए]

मजदूरी का रजिस्टर

ठेकेदार का नाम और पता..

उस स्थापन का नाम और पता जिसमें/जिसके अधीन संविदा-कार्य किया जा रहा है..

कार्य का स्वरूप और स्थान..

मुख्य नियोक्ता का नाम और पता..

मजदूरी की अवधि : मासिक / पाक्षिक..

क्रम संख्यांक	कर्मकार का नाम	कर्मकारों के रजिस्टर में क्रम संख्यांक	पदनाम किए गए कार्य का स्वरूप	कितने दिन कार्य किया	कार्य की वे इकाइयां जो की गई	दैनिक मजदूरी दर/मात्रानुपाती दर	उपार्जित मजदूरी की रकम					यदि कोई कटौती की गई है तो वह लिखिए (उसका स्वरूप लिखिए)	संदत्त शुद्ध रकम	कर्मकार के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान	ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
							मूल मजदूरी	मंहगाई भत्ता	अतिकाल भत्ता	अन्य नकद संदाय (संदाय का स्वरूप लिखिए)	योग				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

मजदूरी कार्ड सं०.......... .

परिशिष्ट 'ङ'
(मुख भाग)

मजदूरी कार्ड

ठेकेदार का नाम और पता.. जारी करने की तारीख.............

कार्य का नाम और स्थान.. पदनाम.........................

कर्मचारी का नाम.. मास/पक्ष.........................

मजदूरी की दर..

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

प्रातः

दर

सायं

रकम

आद्याक्षर

मुझे...............से अपनी मजदूरी के ....रुपए प्राप्त हुए।

यह मजदूरी कार्ड जारी किए जाने की तारीख से एक मास के लिए विधिमान्य है।

हस्ताक्षर

परिशिष्ट 'ङ'
(पृष्ठ भाग)

प्ररूप [illegible]

[नियम [illegible]]

मजदूरी पर्ची

ठेकेदार का नाम और पता--

कर्मकार का नाम तथा उसके पिता/पति का नाम------------------------------

कार्य का स्वरूप और स्थान --

उस सप्ताह/पक्ष/मास के लिए जो--को समाप्त होता है।

1. जितने दिन कार्य किया उनकी संख्या--

2. मात्रानुपाती दर कर्मकारों के मामले में कितनी इकाइयों पर कार्य हुआ--

3. दैनिक मजदूरी की दर/मात्रानुपाती दर--

4. अतिकाल मजदूरी की रकम--

5. कुल संदेय रकम --

6. कटौतियां यदि कोई हों --

7. संदत्त मजदूरी की शुद्ध रकम --

ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि के आद्याक्षर

परिशिष्ट 'च'

प्ररूप 14

[नियम 76 देखिए]

रोजगार कार्ड

ठेकेदार का नाम और पता ————————————————————

उस स्थापन का नाम और पता जिसमें/जिसके अधीन संविदा-कार्य किया जा रहा है ————————

कार्य का नाम और स्थान ————————————————————

मुख्य नियोक्ता का नाम और पता ————————————————————

1. कर्मकार का नाम ————————————————————

2. नियोजित कर्मकारों के रजिस्टर में क्रम संख्यांक ————————————————

3. नियोजन का स्वरूप/पदनाम ————————————————————

4. मजदूरी की दर (मात्रानुपाती कार्य के मामले में इकाई की विशिष्टियों सहित) ————————

5. मजदूरी की अवधि ————————————————————

6. नियोजन की अवधि ————————————————————

7. टिप्पणियां

————————

ठेकेदार के हस्ताक्षर

परिशिष्ट छ

प्ररूप 15

(नियम 77 देखिए)

सेवा प्रमाणपत्र

ठेकेदार का नाम और पता....................

कार्य का स्वरूप और स्थान....................

कर्मकार का नाम और पता ....

आयु अथवा जन्मतिथि ....

पहचान-चिह्न ....

पिता/पति का नाम....................

उस स्थापन का नाम और पता जिसमें जिसके अधीन संविदा-कार्य किया जा रहा है ....

मुख्य नियोजक का नाम और पता....................

क्रम संख्यांक	नियोजन की कुल अवधि		किए गए कार्य का स्वरूप	मजदूरी दर (मात्रानुपाती कार्य के मामले में इकाई की विशिष्टियां सहित)	टिप्पणियां
	से	तक			
1	2	3	4	5	6

हस्ताक्षर

17—1 M of Law ND 80

प्ररूप 12

[नियम 78(2)(घ) देखिए]

जुर्मानों का रजिस्टर

ठेकेदार का नाम और पता ....

उस स्थापन का नाम और पता जिसमें / जिसके अधीन संविदा-कार्य किया जा रहा है ....

कार्य का स्वरूप और स्थान ....

मुख्य नियोजक का नाम और पता ....

क्रम संख्यांक	कर्मकार का नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम, नियोजन का स्वरूप	वह कार्य/लोप जिसके लिए जुर्माना अधिरोपित किया गया है	अपराध की तारीख	क्या कर्मकार ने इस बात का कोई कारण बताया है कि उस पर जुर्माना न किया जाए	उस व्यक्ति का नाम जिसकी उपस्थिति में कर्मचारी का स्पष्टीकरण सुना गया	मजदूरी की अवधि तथा संदेय मजदूरी	अधिरोपित जुर्माने की रकम	जुर्माना वसूल किए जाने की तारीख	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

परिशिष्ट "म"

ऐसे कार्यों और लोपों की सूची जिनके लिए जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है

इसे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ठेकेदार श्रमिक विनियमों के नियम 8 (घ) के अनुसार, कार्यस्थल पर अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा दोनों भाषाओं में प्रमुख रूप से प्रदर्शित किया जाए।

1. अकेले या अन्य व्यक्तियों के साथ, जानबूझ कर अनधीनता या अवज्ञा।
2. केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कार्य या सम्पत्ति के अतिरिक्त ठेकेदारों के संबंध में चोरी, कपट या बेईमानी करना।
3. रिश्वत या अवैध अन्य पारितोषण लेना या देना।
4. काम पर अभ्यासतः देर से आना।
5. मत्त होकर लड़ना, बल्वात्मक या विशृंखल या अव्यवस्थित व्यवहार।
6. आभ्यासिक उपेक्षा।
7. उस क्षेत्र के निकट या आस-पास धूम्रपान करना जहां ज्वलनशील या अन्य सामग्री रखी है।
8. आभ्यासिक अनुशासनहीनता।
9. चालू कार्य में अथवा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की या ठेकेदार की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाना।
10. ड्यूटी पर सोना।
11. कर्तव्य से बचने के लिए रोग का बहाना करना या कार्य को धीरे करना।
12. नाम, आयु, पिता के नाम आदि के बारे में गलत जानकारी देना।
13. नियोक्ता द्वारा दिए गए मजदूरी कार्ड को अभ्यासतः खो देना।
14. कार्यस्थान पर अप्राधिकृत वस्तुओं का विनिर्माण करने या उन्हें बनाने के लिए नियोक्ता की सम्पत्ति का अप्राधिकृत उपयोग।
15. निर्माण तथा अनुरक्षण में कुशल कर्मकारों द्वारा अकुशल कारीगरी जिसका अनुमोदन विभाग नहीं करता है और जिसका सुधार करने के लिए ठेकेदारों को बाध्य किया जाता है।
16. मिथ्या शिकायतें करना और/या भ्रामक कथन करना।
17. स्थापनों के परिसर के भीतर कोई व्यापार चलाना।
18. कर्मचारियों के कारबारी क्रियाकलाप को अप्राधिकृत रूप से प्रकट करना।
19. स्थापन के परिसर के भीतर किसी प्रकार का धन एकत्र करना या इसके लिए याचना करना जब कि नियोक्ता ने प्राधिकार न दिया हो।
20. नियोक्ताओं की पूर्व मंजूरी के बिना परिसर के भीतर बैठकें करना।
21. परिसर के भीतर कार्य के समय में किसी कर्मकार या कर्मचारी को धमकाना या अभित्रस्त करना।

प्ररूप 20

[नियम 78(2)(घ) देखिए]

नुकसान या हानि के लिए कटौती का रजिस्टर

ठेकेदार का नाम और पता ....

उस स्थापन का नाम और पता जिसमें/जिसके अधीन संविदा-कार्य किया जा रहा है..............................

कार्य का स्वरूप और स्थान.............................

मुख्य नियोक्ता का नाम और पता ....

क्रम संख्यांक	कर्मकार का नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम/कार्य का स्वरूप	नुकसान या हानि की विशिष्टियां	नुकसान या हानि की तारीख	क्या कर्मकार ने इस बात का कोई कारण बताया है कि उस से कटौती न की जाए	उस व्यक्ति का नाम जिसकी उपस्थिति में कर्मचारी का स्पष्टीकरण सुना गया	अधिरोपित कटौती की राशि	किस्तों की संख्या	वसूली की तिथि		टिप्पणियां
										प्रथम किस्त	अंतिम किस्त	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

प्ररूप 22

[नियम 78 (2) (घ) देखिए]

अग्रिम का रजिस्टर

ठेकेदार का नाम और पता ....

उस स्थापन का नाम और पता जिसमें/जिसके अधीन संविदा-कार्य किया जा रहा है ....

कार्य का स्वरूप और स्थान ....

मुख्य नियोक्ता का नाम और पता ....

क्रम संख्यांक	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम/नियोजन का स्वरूप	मजदूरी की अवधि तथा संदेय मजदूरी	दिए गए अग्रिम की तारीख और रकम	वह प्रयोजन जिसके लिए अग्रिम दिया गया	किस्तों की संख्या जिसमें अग्रिम लौटाया जाना है	लौटाई गई प्रत्येक किस्त की तारीख और रकम	वह तारीख जब अंतिम किस्त लौटाई गई	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

I M of Law ND '83

परिशिष्ट 'ठ'

प्ररूप 23

[नियम 78(2)(ड) देखिए]

अतिकाल रजिस्टर

ठेकेदार का नाम और पता ....

उस स्थापन का नाम और पता जिसमें/जिसके अधीन संविदा-कार्य किया जा रहा है ....

कार्य का स्वरूप और स्थान ....

मुख्य नियोक्ता का नाम और पता ....

क्रम संख्यांक	कर्मकार का नाम	पिता/पति का नाम	लिंग	पदनाम/नियोजन का स्वरूप	वे तारीखें जब अतिकाल कार्य किया गया	मात्रानुपाती कार्य की दशा में किया गया कुल अतिकाल कार्य या उत्पादन	मजदूरी की सामान्य दर	अतिकाल मजदूरी की दर	अतिकाल उपार्जन	अतिकाल मजदूरी संदाय की दर	टिप्पणियां
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

खंड 34 (ञ) का उपाबन्ध, जिसमें पृष्ठ लेपन क्षेत्रों के लिए सामग्री के वे परिमाण दर्शित हैं जिन्हें उस न्यूनतम अवधि का हिसाब लगाने के लिए ध्यान में रखा जाना है जिसके लिए रोड-रोलर के भाड़ा प्रभार वसूल किए जाने हैं

क्रम संख्यांक	पृष्ठ लेपन सामग्री	परिमाण या क्षेत्र

MGIPCBE--S6—1 M of Law/ND/80—22-7-83—5,030.